वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

विषय सूची

1. प्रस्तावना

2. औषध उद्योग का सिंहावलोकन

3. चिकित्सा उपकरण उद्योग का सिंहावलोकन

4. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

6. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

8. राजभाषा कार्यान्वयन

9. सामान्य प्रशासन

10. नागरिक उन्मुख अभिशासन

11. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

12. अनुलग्नक

संक्षिप्त विषय सूची

1. प्रस्तावना 1

1.1 औषध विभाग का अधिदेश

2. औषध उद्योग का सिंहावलोकन 5

2.1 औषध तथा भेषज उद्योग का वित्तीय प्रदर्शन

2.2 फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण नीति

2.3 औषध क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2.4 औषध क्षेत्र क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी - पीएस)

2.5 बल्क औषध पार्क में साझी सुविधा केन्द्रो के वित्तपोषण की योजना

2.6 व्यापार करने में आसानी

2.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात संवर्धन

2.8 औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)

2.9 इंडिया फार्मा 2017 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017

2.10 इंडिया फार्मा सम्मान

3. चिकित्सा उपकरण उद्योग का सिंहावलोकन 25

3.1 भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग

3.2 चिकित्सा उपकरण बाजार आकार - वैश्विक

3.3 चिकित्सा उपकरण बाजार आकार - भारत

3.4 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र - भारत

3.5 चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2016

3.6 चिकित्सा उपकरण उद्योग के हेतु पहलें

4. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 35

5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) 45

5.1 पृष्ठभूमि

5.2 प्रवेश प्रक्रिया

5.3 नाईपर, मोहाली

5.4 नाईपर, अहमदाबाद

5.5 नाईपर, गुवाहाटी

5.6 नाईपर, हाजीपुर

5.7 नाईपर, हैदराबाद

5.8 नाईपर, कोलकाता

5.9 नाईपर, रायबरेली

6. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम **73**

6.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

6.2 औषध पीएसयू संबंधी मंत्रिमंडलीय टिप्पणी

6.3 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)

6.4 हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल)

6.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (केएपीएल)

6.6 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)

6.7 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आरडीपीएल)

7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) **97**

8. राजभाषा कार्यान्वयन **111**

9. सामान्य प्रशासन **115**

9.1 संगठनात्मक ढांचा

10. नागरिक उन्मुख अभिशासन **121**

10.1 हमारा विजन

10.2 हमारा मिशन

10.3 हमारे ग्राहक

10.4 हमारी प्रतिबद्धता

10.5 हमारी सेवाएं

10.6 हमारी गतिविधियां

10.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

10.8 सीपीजीआरएएमएस

11 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी **127**

12 अनुलग्नक **135**

अनुलग्नक-I (क) (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं अन्य संगठनों की सूची)

(ख) (विभिन्न संगठनों और पीएसयू के नाम एवं पते)

(ग) (उत्तरदायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची)

अनुलग्नक-II (एनपीपीए का संगठनात्मक ढांचा)

1

अध्याय

प्रस्तावना

1.1 औषध विभाग का अधिदेश

अध्याय-1
प्रस्तावना

1.1 औषध विभाग का अधिदेश

मंत्रिमंडल सचिवालय ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक नए विभाग अर्थात् औषध विभाग के सृजन को अधिसूचित किया जो 1 जुलाई, 2008 से अस्तित्व में आया और जिसका उद्देश्य देश में औषध क्षेत्र के विकास पर और अधिक ध्यान और जोर देना तथा दवाओं के मूल्य निर्धारण और वहनीय मूल्यों पर इसकी उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करना था जिसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करना अपेक्षित था।

औषध विभाग को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:

1. औषध और भेषज, सिवाय अन्य विभागों को विशेष रूप से आबंटित मदें।
2. चिकित्सा उपकरण - संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित उद्योग मुद्दे, सिवाय अन्य विभागों को विशिष्ट रूप से आबंटित मुद्दे।
3. औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय।
4. औषध क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल विकास तथा संबंधित सूचना का प्रबंधन।
5. औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृतियां प्रदान करना,सूचना तथा तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-प्रदान शामिल है।
6. औषध से संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
7. औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश में संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
8. विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय शामिल है।
9. औषध क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा से निपटने हेतु तकनीकी सहायता ।
10. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिनमें मूल्य नियंत्रण / मॉनीटरिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं।
11. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) से संबंधित सभी मामले ।

12. विभाग से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता ।
13. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।
14. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड।
15. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।
16. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ।
17. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ।

विभाग के कार्य को तीन प्रभागों में विभाजित गया है अर्थात् औषध उद्योग प्रभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम प्रभाग और अनुसंधान एवं विकास प्रभाग जिसमें राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो इस विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, को औषध कीमत नियंत्रण आदेश, **2013** के अंतर्गत औषधीय उत्पादों के मूल्यों को निर्धारित और संशोधित करने का कार्य सौंपा गया है।

श्री जय प्रिय प्रकाश विभाग के सचिव हैं जिन्होंने दिनांक 01.07.2016 से इस विभाग का कार्यभार संभाला है।

2

अध्याय

औषध उद्योग का सिंहावलोकन

2.1 औषध तथा भेषज उद्योग का वित्तीय प्रदर्शन

2.2 फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण नीति

2.3 औषध क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2.4 औषध क्षेत्र क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी - पीएस)

2.5 बल्क औषध पार्क में साझी सुविधा केन्द्रो के वित्तपोषण की योजना

2.6 व्यापार करने में आसानी

2.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात संवर्धन

2.8 औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)

2.9 इंडिया फार्मा 2017 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017

2.10 इंडिया फार्मा सम्मान

अध्याय-2
औषध उद्योग का सिंहावलोकन

2.1 औषध तथा भेषज उद्योग का वित्तीय प्रदर्शन

औषध एवं भेषज उद्योग का वित्तीय प्रदर्शन। भेषज निर्यात ने वर्ष 2015-16 को समाप्त दशक में 11.9 प्रतिशत रिकॉर्ड सीएजीआर। वर्ष 2016 - 19 के दौरान 105.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की परियोजना पूरा करना अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय औषध उद्योग का वार्षिक कारोबार करीब 1,85,388 करोड़ रुपये रहा। यह वर्ष 2014-15 के संगत अवधि के 2,00,151 करोड़ रुपये के आंकड़े की तुलना में 7.4 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। पिछले 5 वित्त वर्ष का सीएजीआर 8.88 प्रतिशत है।

दवाइयों को किफायती बनाने के सरकार के प्रयासों के कारण चालू वित्त वर्ष में घरेलू औषध उद्योग में मंदी देखी गई। इसका प्रभाव उद्योग की वित्तीय स्थिति पर भी देखा जा सकता है। औषध एवं भेषज उद्योग सितंबर 2016 को समाप्त दो लगातार तिमाहियों में खराब बिक्री प्रदर्शन की सूचना मिली है। जून 2016 को समाप्त तिमाही में दर्ज 2.5 प्रतिशत की मंद संवृद्धि के पश्चात सितंबर 2016 तिमाही की बिक्री में केवल 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस उद्योग के परिचालन व्यय सितंबर 2016 तिमाही के दौरान 5.4 प्रतिशत बढ़ा, बिक्री की संवृद्धि से कहीं ज्यादा। परिणामस्वरूप, उद्योग का परिचालन लाभ 5.4 प्रतिशत घटा। परिचालन मार्जिन 185 आधार बिन्दु सिकुड़ कर 21.1 प्रतिशत रह गया। उद्योग का परिचालन पश्चात व्यय में 3.4 प्रतिशत की गिरावट से निवल लाभ में गिरावट 0.8 प्रतिशत तक सीमित रहा। उद्योग का निवल इस तिमाही के दौरान लाभ मार्जिन 160 आधार बिन्दु सिकुड़कर 13.7 प्रतिशत हो गया।

पिछले 5 वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआईई) से उपलब्ध अपरिवर्तनशील आंकड़े निम्न तालिका के अनुसार है।

आय एवं व्यय सारांश: औषध एवं भेषज उद्योग							
	मिलियन रुपये : वर्ष 2010 - 11 से 2015 - 16						
क्र.सं.	**विवरण**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
1.	कुल आय	14,09,099	15,10,061	16,48,757	19,18,723	20,01,508	18,53,879
2.	कुल	11,58,65	14,21,04	15,18,11	17,53,43	18,36,29	16,44,00

	व्यय	2	0	7	7	7	4
3.	कर पूर्व लाभ	4,39,716	3.18,476	3,38,153	4,39,199	4,56,616	4,50,514
4.	करोंपरांत लाभ	2,77,945	1,17,337	1,52,141	1,89,291	1,90,994	2,17,781
स्रोत : दिनांक 15;02.2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआईई) डेटा							

फार्मा निर्यात का प्रदर्शन: - वर्ष 2015-16 को समाप्त दशक के दौरान, भारत का औषध निर्यात 11.9 फीसदी की सीएजीआर से बढ़ा है। यह वृद्धि बड़ी संख्या में दवाओं के पेटेंट मुक्त होने, औषध अनुमोदन की संख्या में वृद्धि और नये बाजार में प्रवेश से हुई है। सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक, औषध निर्यात की प्रवृत्ति चालू वित्तीय वर्ष पलट गया है। अप्रैल - नवंबर 2016 के दौरान, औषध निर्यात एक प्रतिशत घट गया। ऐसा विभिन्न देशों द्वारा उनके विनियामकीय तंत्र के कड़ा होने, अमेरिकी बाजार में मूल्य अवमूल्यन और उभरते बाजारों में आर्थिक कठिनाईयों के कारण हुआ। वर्ष 2016-17 में समग्र रूप से, औषध निर्यात 0.4 प्रतिशत घटना अपेक्षित है। भारतीय फार्मा उद्योग का पिछले संगत तिमाही की तुलना में प्रतिशत आंकड़ों को दर्शाने वाले तिमाही वित्तीय संकेत निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं।

आय एवं व्यय सारांश: औषध एवं भेषज उद्योग (तिमाही)					
वर्ष दर वर्ष प्रतिशत परिवर्तन: मार्च 2016 से दिसं, 2016 तक					
क्र.सं.	**विवरण**	**मार्च 16**	**जून-16**	**Sep-16**	**16 Dec,**
1.	कुल आय	4.57	3.37	3.77	5.1
2.	कुल बिक्री	7.38	2.52	2.91	4.1
3.	कुल खर्च	1.43	3.55	14.65	5.42
4.	परिचालन खर्च	3.17	3.64	5.15	4.8
5.	कच्चे माल, भंडार और पुर्जे	-8.91	-3.71	-1.66	-1.81
6.	वेतन और मजदूरी	8.89	10.7	15.11	12.92
7.	बिजली और ईंधन	-13.16	12.38	11.7	18.52
8.	ब्याज खर्च	14.26	13.36	0.63	-1.25
9.	मूल्यह्रास	-11.41	13.5	9.75	9.73
10.	पीबीटी	12.95	-7.67	-4.79	8.02

11.	कुल कर प्रावधान	1.46	-10.13	-16.33	17.7
12	निवल लाभ (पीएटी)	17.41	-6.82	-0.96	5.11
13.	पी एंड ई निवल कुल व्यय	42.96	-6.81	-0.99	2.35
14.	पीबीडीआइटी निवल पी एंड ई	2.6	3.56	4.05	5.6
15.	पीबीडीआइटी निवल पी एंड ई	16.28	-2.57	-2.03	5.66
16.	पीबीडीआइटी निवल पी एंड ई एवं ओएल (परिचालन लाभ)	18.47	-6.77	-5.45	2.93
17.	गिनती	151	151	149	128

फार्मा आयात का प्रदर्शन: - अप्रैल-नवंबर 2016 के दौरान, औषध आयात में 9.3 फीसदी की गिरावट आई है। ऐसा सरकार द्वारा कुल 71 औषधियों पर सीमा शुल्क छूट की वापसी के कारण हुआ। यह कदम औषध आयात पर निर्भरता को कम करने और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2016-17 में, औषध आयात में 9.3% की गिरावट की संभावना है।

विदेश व्यापार आंकड़ों के बेहतर उपयोग के लिए डीजीसीआईएस द्वारा प्रधान वस्तुओं में परिवर्तन: यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आधुनिक दवा प्रणाली के लिए प्रासंगिक विदेशी व्यापार आंकड़ा (डीओपी से संबंधित) उपलब्ध नहीं था। यह मुख्यत: औषध एवं भेषज के लिए प्रासंगिक एचएस संहिताओं के बारे किसी प्रकार की स्पष्टता की अनुपलब्धता के कारण था। निर्यात पर आंकड़ों का संकलन के लिए विचार किए गए वस्तुओं की संख्या आयात के लिए विचार किए गए डेटा संकलन से भिन्न था। वर्ष 2008 में एक पृथक औषध विभाग के गठन के पश्चात इस समस्या को दूर करने के लिए डीओपी ने अध्याय 29 के तहत बल्क औषध एवं औषध इंटरमीडिएट के लिए प्रासंगिक एच एस कोड की सूची बनाने के लिए और साथ ही औषध सम्मिश्रणों के लिए संबंधित एचएस कोड जो डीओपी क्षेत्र के अधीन नहीं हैं, यहाँ तक कि अध्याय 30 में भी नहीं हैं, की सूची बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन किया था।

ऊपर उल्लिखित समिति की रिपोर्ट के आधार पर डीजीसीआईएस ने उसके बाद से प्रमुख वस्तु समूह और विदेशी व्यापार आंकड़ों को मार्च 2014 के बाद से संशोधित किया है और अब यह निम्नलिखित 4 प्रमुख वस्तुओं के लिए उपलब्ध है :

1. बल्क औषध और औषध इंटरमीडिएट,
2. औषध निर्माण और बायोलॉजिकल,
3. सर्जिकल्स और
4. आयुष और हर्बल उत्पाद।

प्रासंगिक एच एस कोड से संबंधित विवरण अब डीजीसीआईएस और डीजीएफटी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

भावी संभावनाएं: - वर्ष 2010 - 13 के दौरान देखे गए 170.4 बिलियन रुपये की लागत के परियोजनाओं के समापन के पश्चात, औषध एवं भेषज उद्योग में वर्ष 2013-16 के दौरान निवेश कम होकर 57.2 बिलियन रुपये हो गया। हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले वर्षों में परियोजना समापन में तेजी आएगी। सम्मिश्रणों के अलावा, यह उद्योग एपीआई आवश्यकताओं में स्व-निर्भरता हासिल करने के लक्ष्य के साथ सक्रिय औषध घटकों (एपीआई) अथवा बल्क औषध विनिर्माण के निर्माण की इसकी क्षमता में विस्तार करने के लिए यह उद्योग निवेश कर रहा है। उद्योग ने अप्रैल - दिसंबर 2016 के दौरान 11 परियोजनाओं को चालू किया। इनमें से, आठ परियोजनाओं के लागत विवरण उपलब्ध हैं। इन परियोजनाओं में 11.6 बिलियन रुपये का निवेश परिव्यय शामिल है। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स, शांथा बायोटेकनिक्स, सिपला बायोटेक और औरोबिंदो फार्मा कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस अवधि के दौरान अपनी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं।

अपेक्षा है कि 17.5 अरब रुपये मूल्य की परियोजनाएं मार्च 2017 तक पूरी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हुए, 45.1 बिलियन रुपये मूल्य की परियोजनाएं वर्ष 2017-18 में पूरा होने की उम्मीद है, जिसके पश्चात वर्ष 2018- 19 में 31.5 अरब रुपये मूल्य की परियोजनाएं शुरु होंगी।

2.2 <u>औषध मूल्य निर्धारण नीति</u>

औषध विभाग ने इस उद्योग की संवृद्धि में सहायता करने के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए, और इस प्रकार सभी के लिए रोजगार और साझे आर्थिक कुशलता के लक्ष्यों को पूरा करते हुए भी वहनीय मूल्यों पर अपेक्षित दवाईयों - ''आवश्यक दवाईयां'' - की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषधियों के मूल्य निर्धारण के लिए विनियामकीय ढ़ॉचा स्थापित करने के उद्देश्य से दिनांक 07.12.2012 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति - 2012 (एनपीपीपी - 2012) अधिसूचित किया था।

तदोपरांत, एनपीपीपी - 2012 क्रियान्वित करने के लिए, राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची - 2011 (एनएलईएम -2011) में यथा विनिर्दिष्ट खुराक और क्षमता के मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए दिनांक 15.05.2013 को नया औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 अधिसूचित किया गया था। दिनांक 10.03.2016 की अधिसूचना के तहत एनएलईएम - 2015 में शामिल दवाईयों को शामिल करने के लिए इसे संशोधित किया गया था, जब यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त हुआ था, जिन्होंने उपचारात्मक उत्पादों के उपयोग के समकालीन ज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम - 2011) की समीक्षा करने और संशोधन की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक कोर समिति गठित की थी।

2.3 औषध क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है और दिनांक 24.06.2016 की उनकी प्रेस विज्ञप्ति सं. 5 (2016 श्रृंखला) के तहत एफडीआई नीति में संशोधन किया है जिसके तहत औषध कंपनियों को ग्रीनफील्ड फार्मा परियोजनाओं के लिए ओटोमैटिक मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई निवेश कर सकते हैं और ब्राउनफील्ड फार्मा परियोजनाओं के लिए ओटोमैटिक मार्ग के तहत 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश अनुमत है और उससे अधिक के लिए कंपनियों को सरकारी मार्ग से आना होता है।

2.4 औषध क्षेत्र क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी - पीएस)

औषध क्षेत्र में गुणवत्तापरक उत्पादकता एवं नवाचार को उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए और भारतीय औषध उद्योग विशेषकर एसएमई को प्रतिस्पर्द्धी वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम करने के लिए माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने दिनांक 27.10.2014 को **औषध क्षेत्र क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी - पीएस)** की प्रस्तावना को मंजूरी दी। उक्त रिपोर्ट माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री द्वारा दिनांक 17.06.2015 को जारी की गयी थी।

सीडीपी - पीएस एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है। 12वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए 125 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत साझी सुविधा केन्द्रों के सृजन हेतु सहायता राशि प्रति क्लस्टर 20 करोड़ रुपये अथवा परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत, जो भी कम हो, है। साझी सुविधाओं के अंतर्गत सांकेतिक गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- साझी परीक्षण सुविधाएं
- प्रशिक्षण केन्द्र
- प्रवाह उपचार संयंत्र
- आर एंड डी केन्द्र
- साझा संभरण केन्द्र

3. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) जिसका इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में चयन किया गया था ने रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है और आमंत्रित ईओआई के संसाधन के पश्चात, योजना चयन समिति (एसएससी) ने मैसर्स चैन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी, अलाथुर, चैन्नई, तमिलनाडु के प्रस्ताव का चयन किया है। इसके अलावा मैसर्स आंध्रा प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) लिमिटेड के प्रस्ताव को अन्य प्राप्त प्रस्तावों के साथ पीडीआईएल द्वारा जॉच की जा रही है।

2.5 **<u>बल्क औषध पार्क में साझी सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) के वित्त पोषण की योजना</u>**

औषध विभाग (डीओपी), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का विजन बल्क औषध क्षेत्र में गुणवत्ता, उत्पादकता और नवाचार को उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करना है और भारतीय बल्क औषध उद्योग को बल्क औषधों के आयात पर निर्भरता को कम करना है। इसके लिए, नवाचार क्षमताओं के साथ उच्च स्तरीय उत्पादकता वाली विश्व स्तरीय गुणवत्तायुक्त विनिर्माण संयंत्रों की आवश्यकता है। हालांकि, एक ओर ये बहुत पूंजी प्रधान हैं और आर्थिक कठिनाईयों के कारण बल्क औषध विनिर्माण इकाईयों द्वारा स्वयं ही स्थापित और खोले नहीं जा सकते हैं।

इस दिशा में, विभाग प्रथमतया 450 करोड़ रुपये की कुल लागत पर देश में 3 बल्क औषध / एपीआई पार्कों में साझी सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) का वित्तपोषण करने के लिए एक योजना शुरु करने का प्रस्ताव करती है। इस साझी सुविधा केन्द्रों के अंतर्गत कुछ सांकेतिक गतिविधियां इस प्रकार हैं :

i. उत्प्रवाह उपचार संयंत्र

ii. आबद्ध विद्युत संयंत्र

iii. वाष्प और शीतन और *जल प्रणालियां*

iv. उष्मायन (इनक्यूबेशन) सुविधाएं

v. साझी संभरण सुविधाएं

vi. उन्नत साझे परीक्षण केन्द्र

vii. विनियामकीय जागरुकता सुविधा केन्द्र

इस योजना के लक्ष्य निम्नवत हैं :

(i) साझी विश्व स्तरीय सुविधा केन्द्रों के सृजन के माध्यम से घरेलू बल्क उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि करना, मानक परीक्षण और अवसंरचना सुविधाओं की सुगमता और मूल्य वर्द्धन करना।

(ii) भारतीय बल्क औषध उद्योग को बल्क औषध निर्यातों में एक वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं को सशक्त करना।

(iii) बल्क औषध पार्कों में उत्पादन लागत को 20 से 25 प्रतिशत कम करना, जिससे घरेलू बाजार में बल्क औषध की उपलब्धता और वहनीयता बेहतर हो सके।

(iv) संसाधनों के इष्टतमीकरण और बड़े पैमाने की किफायत से उत्पन्न लाभों का दोहन।

औषध विभाग को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यय विभाग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

2.6 व्यापार करने की आसानी

औषध विभाग आवश्यकता के अनुरूप समय-समय व्यापार करने में आसानी के लिए औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश - 2013 (डीपीसीओ - 2013) के प्रावधानों में संशोधन करता रहा है। इस दिशा में, 22 मार्च 2016 को आईवी तरल विनिर्माताओं को सुगम करने के लिए विभाग ने डीपीसीओ - 2013 के पैरा 11 में संशोधन किया है, जिससे देश में अधिक विदेशी निवेश आएगा और देशवासियों के लिए नियोजन के अवसर में वृद्धि होगी।

2.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / औषधियों का निर्यात संवर्धन

<u>संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) / उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी)</u>

औषध विभाग के निम्नलिखित संयुक्त कार्य समूह / उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह हैं : -

1. फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों संबंधी यूरोपीय संघ-भारत संयुक्त कार्य समूह

2. औषध एवं भेषज संबंधी भारत-ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह

3. फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर संबंधी भारत - यूक्रेन संयुक्त कार्य समूह

4. भारत-अमेरिका उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी)

5. फार्मास्यूटिकल्स संबंधी भारत-बेलारूस संयुक्त कार्य समूह

6. ''फार्माजोन'' और फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत-फिलीपींस तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी)

7. फार्मास्यूटिकल्स संबंधी भारत-अल्जीरिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)

8. औषध और स्वास्थ्य संबंधी भारत-मिस्र संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी)

<u>अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी</u>

1. श्री सुधांश पंत, संयुक्त सचिव, औषध विभाग की सह-अध्यक्षता में यूरोपीय संघ-भारत की 7वीं बैठक दिनांक 5-6 जुलाई 2016 को आयोजित की गई।
2. डॉ. एम. ए. अहमद, तत्कालीन संयुक्त सचिव, औषध विभाग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बोस्टन (अमेरिका) में दिनांक 2.6.2016 को आयोजित 10वीं वार्षिक बायो फार्मा और स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
3. श्री सुधांश पंत, संयुक्त सचिव, औषध विभाग की सह-अध्यक्षता में 11-13 जनवरी, 2017 को ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स संबंधी भारत-ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक ट्यूनिस में आयोजित की गयी।

2.8 औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस):

औषध संवर्धन विकास स्कीम (पीपीडीएस) का उद्देश्य वृद्धि, निर्यात एवं साथ ही औषध क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को सुकर बनाने हेतु निर्यात को बढ़ावा देने और साथ ही साथ निवेश, अध्ययन/परामर्शी सेवाओं के लिए संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, भारत में प्रतिनिधि मंडलों का आना एवं उनका जाना आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा औषध क्षेत्र में संवर्धन, विकास और निर्यात संवर्धन करना है। पीपीडीएस के अन्तर्गत औषध विकास अपनी क्षमता पर अथवा जीएफआर 2005 के नियम 206 में यथा उल्लिखित संस्थाओं, संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

i) औषध उद्योग के विकास से संबंधित मुद्दों/विषयों पर प्रशिक्षणों/ज्ञान विकास कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन करना। विषयों की एक सांकेतिक सूची इस प्रकार है:-

क) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली / गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

ख) यूएसएफडीए नोटिस पर किस प्रकार कार्रवाई करें?

ग) सफलता की कहानी का प्रस्तुतिकरण - औषध उद्यमी

घ) संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आदि के नैदानिक परीक्षणों संबंधी सरकारी विनियमों/दिशा निर्देशों की तुलना में भारत के सरकारी विनियम/दिशा निर्देश।

ङ) अपशिष्ट प्रबंधन

ii) भारत में एवं विदेश में शिखर सम्मेलनों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, फार्मेसी सप्ताह, बैठकों आदि का आयोजन करना और प्रचार सामग्री अर्थात् फिल्म, प्रस्तुतिकरण आदि का उत्पादन करना।

iii) अनुसंधान अध्ययन, क्षेत्र रिपोर्ट आदि तैयार करना।

iv) सूचना डाटा बैंक और ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि का विकास करने के लिए किताबों, गुणवत्ता मानकों, फार्माकोपिया, पत्रिकाओं, निर्देशिकाओं, सॉफ्टवेयर की खरीद करना।

v) औषध उद्योग में उपलब्धि हासिल करने वालो को पुरस्कार प्रदान करना।

vi) उपरोक्त श्रेणियों के तहत कवर नहीं किया गया कोई भी अन्य कार्यकलाप जिस पर औषध विभाग द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस) के अंतर्गत आयोजित / आयोजित किए जाने वाले समारोह -

1 एसोसिएटटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के साथ मिलकर बद्दी, हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई 2016 को "एपीआई : आयात पर निर्भरता को कम करने" संबंधी सम्मेलन

2 एसोसिएटटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के साथ मिलकर 6 अक्तूबर 2016 को हैदराबाद में "बायो-फार्मा : बायोसिमिलर और बायोजेनरिक; उभरते निवेश गंतव्य'' विषय पर संगोष्ठी

3 नाईपर कोलकाता के साथ मिलकर नाईपर, कोलकाता में 29-30 जुलाई, 2016 का "प्रौद्योगिकी उन्नयन और फार्मास्युटिकल संवर्धन" विषय पर कार्यशाला (इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन)

4 दुर्गापुर विश्वगंधा साइंस सोसायटी के साथ मिलकर 9 सितंबर 2016 को दुर्गापुर में "भारत में ग्रीन कैमिस्ट्री चुनौतियां और अवसर "

5 जैव उत्पत्ति स्वास्थ्य क्लस्टर के सहयोग से "ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट-2016" 23-25 नवंबर 2016 को बंगलौर में वर्ल्ड कांग्रेस

6 सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 10 दिसंबर 2016 को राजकोट में राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी "चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक परिप्रेक्ष्य"

7 नाईपर, अहमदाबाद के साथ मिलकर 23-17 जनवरी 2017 को अहमदाबाद में (i) 14-17 नवंबर 2016 को बेहतर नौकरी प्राप्त करने के लिए नये उम्मीदवारों में क्या कमी है और (ii) 23 से 27 जनवरी 2017 को छात्रों के लिए रोजगार मेला

8 इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के साथ मिलकर 29 जुलाई 2016 को बेंगलोर में ''गुणवतता पर खरा उतरना और वैश्विक अनुपालना हासिल करना'' विषय पर संगोष्ठी।

9 कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के साथ "चिकित्सा के लिए पहुंच में सुधार विषय पर उपभोक्ता जागरूकता सृजन" विषय पर 26/27 अक्तूबर 2016 को कार्यशाला

10 *इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन* (आईडीएमए) के सहयोग से ''गुणवतता पर खरा उतरना और वैश्विक अनुपालना हासिल करना'' विषय पर 26 अगस्त 2016 को संगोष्ठी का आयोजन

11 *इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन* (आईडीएमए) के सहयोग से ''गुणवतता पर खरा उतरना और वैश्विक अनुपालना हासिल करना'' विषय पर 10 अक्तूबर 2016 को संगोष्ठी का आयोजन

12 कर्नाटक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (केडीपीएमए) के सहयोग से 16 सितंबर 2016 को बंगलौर में औषध (विपणन के लिए कोड) आदेश यूसीपीएमपी विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

13 पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ मिलकर अमृतसर में ''जन औषधि योजना जागरुकता'' विषय पर संगोष्ठी / कार्यशाला

14 पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ मिलकर 30 सितंबर 2016 को भोपाल में ''जन औषधि योजना जागरुकता'' विषय पर संगोष्ठी / कार्यशाला

15 नाईपर, हैदराबाद के साथ मिलकर आंधप्रदेश और तेलंगना में "जन औषधि योजना" विषय पर आठ जागरूकता कार्यक्रम

16 नाईपर, हैदराबाद के साथ मिलकर 24-25 नवंबर 2016 को हैदराबाद में ''जीएलपी / जीएमपी अनुपालना विषय पर एक कार्यशाला के साथ नये फार्मा प्रौद्योगिकी / प्रक्रिया में नवाचार'' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

17 नाईपर, हैदराबाद के साथ मिलकर 19 अक्तूबर 2016 को हैदराबाद में "क्लस्टर विकास पर फार्मा उद्योग सम्मेलन : भारतीय फार्मा उद्योग का सशक्तीकरण" विषय पर राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन

18 पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ मिलकर 23 फरवरी 2017 को देहरादून में क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर जागरूकता संबंधी कार्यशाला

19 पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ मिलकर 16 मार्च 2017 को देहरादून में क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर जागरूकता संबंधी कार्यशाला

20 एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री **(एसोचैम)** के साथ मिलकर 8 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में ''फार्मास्यूटिकल्सा एवं चिकित्सा उपकरण'' विषय दूसरी प्रदर्शनी

21 फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन (एफएबीए) के साथ मिलकर 6-8 फरवरी 2017 को हैदराबाद में बायो एशिया 2017

22 नाईपर, हैदराबाद के सहयोग से 16-17 फरवरी 2017 को हैदराबाद में औषध खोज एवं विकास : कैंसर एवं जीवन शैली रोग विषय पर सम्मेलन

23 भारतीय औषधि एसोसिएशन (मध्य प्रदेश शाखा), इंदौर के साथ मिलकर विशाखापतनम में आईपीसी 68 भारतीय कांग्रेस फार्मा विजियो 2020 विषय पर संगोष्ठी

24 भारतीय औषधि एसोसिएशन (मध्य प्रदेश शाखा), इंदौर के सहयोग से इंदौर में 15 जुलाई 2016 को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी के बारे में "इंडस्ट्रीज से नियामकों की अपेक्षाएं'' विषय पर संगोष्ठी

25 फार्मेक्सिल के साथ मिलकर अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में फार्मा एवं बायोटेक के लिए आईपीआर और विनियामकीय परिप्रेक्ष्य पर कार्यशालाएं

26 पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ मिलकर राष्ट्रीय सम्मेलन : फार्मामेड 2016

27 पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ मिलकर 29 जनवरी 2017 को अहमदाबाद में क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर जागरूकता संबंधी सेमिनार/कार्यशाला

28 पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ मिलकर पहुँच और उद्योग परिप्रेक्ष्य पर मूल्य विनियमन का प्रभाव संबंधी सेमिनार

औषध विभाग ने वित्त वर्ष 2016 - 17 के दौरान औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस) से फार्मा क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास हेतु निम्नलिखित गतिविधियों / कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की :

क्र.सं .	वित्तीय सहायता
1	बद्दी, हिमाचल प्रदेश में "एपीआई : आयात पर निर्भरता को कम करने" संबंधी सम्मेलन के लिए एसोसिएटटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) को वित्तीय सहायता
2	हैदराबाद "बायो-फार्मा : बायोसिमिलर और बायोजेनरिक; उभरते निवेश गंतव्य'' विषय पर संगोष्ठी के लिए एसोसिएटटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) को वित्तीय सहायता
3	नाईपर, कोलकाता में "प्रौद्योगिकी उन्नयन और फार्मास्युटिकल संवर्धन" विषय पर दिनांक 29 से 30 जुलाई 2016 को कार्यशाल (इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन) के लिए नाईपर कोलकाता को वित्तीय सहायता
4	9 सितम्बर, 2016 को दुर्गापुर में “भारत में ग्रीन कैमिस्ट्री चुनौतियों और अवसर विषय” पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए दुर्गापुर विश्वगंधा साइंस सोसायटी को वित्तीय सहायता
5	"ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट-2016" विषय पर 23-25 नवंबर, 2016 को बंगलौर में वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित करने के लिए जैव उत्पत्ति स्वास्थ्य क्लस्टर को वित्तीय सहायता
6	10 दिसंबर 2016 को राजकोट में राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी "चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक परिप्रेक्ष्य" एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी आयोजित करने के लिए सौराष्ट्र विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता
7	23-17 जनवरी 2017 को अहमदाबाद में (i) 14-17 नवंबर 2016 को बेहतर नौकरी प्राप्त करने के लिए नये उम्मीदवारों में क्या कमी है और (ii) 23 से 27 जनवरी 2017 को छात्रों के लिए रोजगार मेला आयोजित करने के लिए नाईपर, अहमदाबाद को वित्तीय सहायता

8	29 जुलाई 2016 को बेंगलोर में ''गुणवतता पर खरा उतरना और वैश्विक अनुपालना हासिल करना'' विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) को वित्तीय सहायता
9	"चिकित्सा के लिए पहुंच में सुधार विषय पर उपभोक्ता जागरूकता सृजन" विषय पर 26/27 अक्तूबर 2016 को कार्यशाला का आयोजन करने के लिए कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन को वित्तीय सहायता
10	''गुणवतता पर खरा उतरना और वैश्विक अनुपालना हासिल करना'' विषय पर 26 अगस्त 2016 को संगोष्ठी का आयोजन *करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन* (आईडीएमए) को वित्तीय सहायता
11	नासिक में ''गुणवतता पर खरा उतरना और वैश्विक अनुपालना हासिल करना'' विषय पर 10 अक्तूबर 2016 को संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए *इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन* (आईडीएमए) को वित्तीय सहायता
12	16 सितंबर 2016 को बंगलौर में औषध (विपणन के लिए कोड) आदेश यूसीपीएमपी विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने के लिए कर्नाटक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (केडीपीएमए) को वित्तीय सहायता
13	इंडिया फार्मा 2016 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2016 के दौरान रात्रि भोज का आयोजन करने के लिए फिक्की को वित्तीय सहायता
14	16 सितंबर, 2016 को अमृतसर में ''जन औषधि योजना जागरुकता'' विषय पर संगोष्ठी / कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)को वित्तीय सहायता
15	30 सितंबर, 2016 को भोपाल में ''जन औषधि योजना जागरुकता'' विषय पर संगोष्ठी / कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)को वित्तीय सहायता
16	आंध्रप्रदेश और तेलंगना में "जन औषधि योजना" विषय पर आठ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नाईपर, हैदराबाद को वित्तीय सहायता
17	24-25 नवंबर 2016 को हैदराबाद में ''जीएलपी / जीएमपी अनुपालना विषय पर एक कार्यशाला के साथ नये फार्मा प्रौद्योगिकी / प्रक्रिया में नवाचार'' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए नाईपर, हैदराबाद को वित्तीय सहायता
18	19 अक्तूबर 2016 को हैदराबाद में "क्लस्टर विकास पर फार्मा उद्योग सम्मेलन :

	भारतीय फार्मा उद्योग का सशक्तीकरण" विषय पर राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन आयोजित करने के लिए नाईपर, हैदराबाद को वित्तीय सहायता
19	23 फरवरी 2017 को देहरादून में क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर जागरूकता संबंधी कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) को वित्तीय सहायता
20	16 मार्च 2017 को हैदराबाद में क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर जागरूकता संबंधी कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) को वित्तीय सहायता
21	8 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में ''फार्मास्यूटिकल्सा एवं चिकित्सा उपकरण'' विषय दूसरी प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री **(एसोचैम)** को वित्तीय सहायता
22	6-8 फरवरी 2017 को हैदराबाद में बायो एशिया 2017 आयोजित करने के लिए फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन (एफएबीए) को वित्तीय सहायता
23	16-17 फरवरी 2017 को हैदराबाद में औषध खोज एवं विकास : कैंसर एवं जीवन शैली रोग विषय पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए नाईपर, हैदराबाद को वित्तीय सहायता
24	इंडिया फार्मा 2017 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 के दौरान रात्रि भोज आयोजित करने के लिए फिक्की को वित्तीय सहायता
25	विशाखापतनम में आईपीसी 68 भारतीय कांग्रेस फार्मा विजियो 2020 विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए भारतीय औषध एसोसिएशन (मध्य प्रदेश शाखा), इंदौर को वित्तीय सहायता
26	15 जुलाई 2016 को इंदौर में डब्ल्यूएचओ - जीएमपी के संबंध में उद्योगों से नियामक की अपेक्षाएं विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए भारतीय औषध एसोसिएशन (मध्य प्रदेश शाखा), इंदौर को वित्तीय सहायता
27	अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में क्रमशः 26.09.2016, 03.10.2016 और 04.01.2017 फार्मा एवं बायोटेक के लिए आईपीआर और विनियामकीय परिप्रेक्ष्य पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए फार्मेक्सिल को वित्तीय सहायता
28	इंडिया फार्मा 2017 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 के लिए डीएवीपी विज्ञापन आयोजित करने के लिए डीएवीपी को वित्तीय सहायता

29	9 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय सम्मेलन : फार्मामेड 2016 आयोजित करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता
30	29 जनवरी 2017 को अहमदाबाद में क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर जागरुकता संबंधी संगोष्ठी / कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को वित्तीय सहायता
31	पहुँच और उद्योग परिप्रेक्ष्य पर मूल्य विनियमन का प्रभाव संबंधी संगोष्ठी आयोजित करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) को वित्तीय सहायता
32	20 और 21 फरवरी को इंडस्ट्रियल सम्मेलन आयोजित करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री को वित्तीय सहायता

2.9 इंडिया फार्मा 2017 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017

इंडिया फार्मा 2017 एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन केन्द्र, बेंगलुरु, कर्नाटक में 11 से 13 फरवरी 2017 को फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन आयोजित किए गए थे। दोनों आयोजन में कई समकालिक समारोहों जैसे सीईओ का फोरम, क्रेता - विक्रेता सम्मेलन, अंतर्राष्टींय औषध विनियामक सम्मेलन इत्यादि के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इस समारोह द्वारा वैश्विक निवेश समुदाय को भारत के औषध एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के हितधारकों, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, अग्रणी व्यापारियों और उद्योग के शीर्ष कार्यकारियों, विश्व के एकेडमिक्स और विशेषज्ञों के साथ संपर्क करने का एक मंच प्रदान किया। इन समारोहों में औषध एवं चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक एवं डिवाइस के औषध सम्मिश्रण, बल्क औषध, मशीनरी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से प्रतिभागिता हुई। सीईओ गोलमेज ने माननीय मंत्री और सरकार के शीर्ष निर्णय कर्ताओं के साथ भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग में उद्योग संवृद्धि की प्रमुख नीतियों और रुझानों पर चर्चा करने के लिए प्रचुर अवसार प्रदान किया।

2.10 भारतीय फार्मा पुरस्कार

श्री अनंत कुमार, माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 11.02.2017 को बेंगलोर में इंडिया मेडिकल एक्सपो के दौरान 2रा इंडिया फार्मा पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार है : -

क्रम सं	वर्ग सं	पुरस्कार की श्रेणी	कंपनी का नाम
i)	1	समग्र भारत फार्मा उत्कृष्टता पुरस्कार	ल्यूपिन लिमिटेड
ii)	2	भारत फार्मा अग्रणी पुरस्कार	श्री दिलीप सुराणा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, माइक्रो लैब्स लिमिटेड
iii)	3	वर्ष भारत फार्मा कंपनी पुरस्कार	ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
iv)	4	वर्ष का भारत फार्मा बल्क ड्रग कंपनी पुरस्कार	ल्यूपिन लिमिटेड
v)	7	वर्ष का इंडिया फार्मा अभिनव पुरस्कार	डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड।
vi)	8	भारत फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एचीवमेंट अवार्ड	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
vii)	9	वर्ष का भारत फार्मा निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम पुरस्कार	ल्यूपिन लिमिटेड

viii)	10	वर्ष की भारतीय चिकित्सा उपकरण कंपनी पुरस्कार	मेरिल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ix)	11	वर्ष की भारत फार्मा निर्यात कंपनी पुरस्कार	कामू फार्मा प्रा. लिमिटेड
x)	12	वर्ष की भारत फार्मा बल्क ड्रग्स निर्यात कंपनी पुरस्कार	कामू फार्मा प्रा. लिमिटेड
xi)	14	वर्ष की भारत चिकित्सा उपकरण निर्यात कंपनी पुरस्कार	मेरिल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
xii)	15	वर्ष का इंडिया फार्मा पीएसयू पुरस्कार	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

3

अध्याय

चिकित्सा उपकरण उद्योग का सिंहावलोकन

3.1 भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग

3.2 चिकित्सा उपकरण बाजार आकार - वैश्विक

3.3 चिकित्सा उपकरण बाजार आकार - भारत

3.4 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र - भारत

3.5 चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2016

3.6 चिकित्सा उपकरण उद्योग के हेतु पहलें

अध्याय-3
चिकित्सा उपकरण उद्योग का सिंहावलोकन

3.1. भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग

चिकित्सा उपकरण उद्योग एक बहु-उत्पाद उद्योग है जिसमें कई उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है। भारत चिकित्सा उपकरण में विनिर्माण एवं व्यापार भी काफी तेजी से विकास कर रहा है। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग लगभग 70% तक आयात पर निर्भर है। अधिकतर अभिनव उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी सुविकसित परि-तंत्र एवं अभिनव चक्र से उत्पन्न होते हैं जिसे देश के उद्योग को बढ़ावा देने तथा आयातों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए, भारत में इसे विकसित किए जाने की जरूरत है। भारत में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का अधिदेश औषध विभाग के पास है। (आईएनआर 14.82 लाख करोड़)

सितंबर, 2014 में, भारत सरकार ने भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनाने के और इस प्रकार विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी लाने के उद्देश्य से "मेक इन इंडिया" अभियान शुरू किया; तदनुसार देश में उच्च मूल्य चिकित्सा उपकरण के घरेलू उत्पादन का संवर्धन करने से संबंधित मुद्दों का हल निकालने के लिए सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्यबल ने 8 अप्रैल, 2015 को जारी अपनी रिपोर्ट में देश में चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन के लिए कई सिफारिशें की।

3.2. चिकित्सा उपकरण बाजार आकार-वैश्विक

- वर्ष 2015 में वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार 228 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकलित किया गया था।
- उद्योग आकलन बताते हैं कि वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार वर्ष 2010 से वर्ष 2020 तक 7.8% सीएजीआर की दर पर बढ़ेगा।
- यह बाजार वर्ष 2020 तक 332 बिलियन अमेरिकी डॉलर (21.58 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंचने की अपेक्षा है।

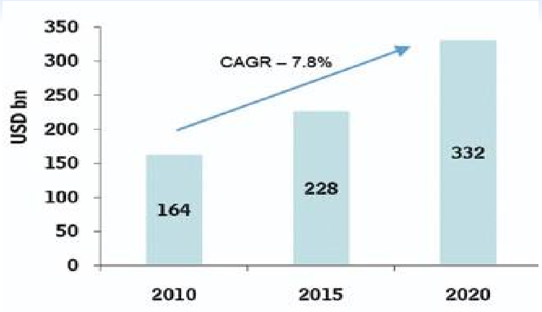

आंकड़े-वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार आकार

3.3. चिकित्सा उपकरण बाजार आकार-भारत

- भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार वर्ष 2009 में 2.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर (13,130 करोड़ रुपए) से बढ़कर 15.8% सीएजीआर की दर पर वर्ष 2015 में 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (25,259 करोड़ रुपए) पहुंच गया। यह 2015 में वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का करीब 1.7 प्रतिशत है।
- भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार वर्ष 2015 में 96.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (6.29 लाख करोड़ रुपए) पर सीमित भारतीय स्वास्थ्य देखभाल सर्वे बाजार में 4% का योगदान करता है।
- उद्योग आकलन यह बताता है कि भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार 16% सीएजीआर की दर पर वर्ष 2020 तक 8.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (53,053 करोड़ रुपए) तक पहुंच जाएगा।
- भारत शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारमें से एक है और एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है।

चित्र- चिकित्सा उपकरण बाजार आकार-भारत

3.4. चिकित्सा उपकरण क्षेत्र-भारत

- वर्ष 2015 में नैदानिक इमेजिंग भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार के अंदर सबसे बड़ा वर्ग था। यह वर्ष 2015 में 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर (7,690 करोड़ रुपए) का है और वर्ष 2020 तक यह बढ़कर 2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर (15,561 करोड़ रुपए) हो जाएगा।
- अन्य और आईवी नैदानिक जिसमें अधिकांशत: विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल है। वर्ष 2015 में अन्य श्रेणी (रोगी मॉनीटर, ईसीजी मशीन, डेफिव इत्यादि) 0.94 बिलियनअमेरिकी डॉलर (5,922 करोड़ रुपए) आकलित किया गया था और वर्ष 2020 तक यह 1.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर (12,880 करोड़ रुपए) तक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार, आईवी नैदानिक बाजार वर्ष 2015 में 0.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2,550 करोड़ रुपए) का था। और यह वर्ष 2020 तक बढ़कर 0.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5.356 करोड़ रुपए) तक पहुंच जाएगा।
- इसी प्रकार, ओर्थोपेडिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स और कंज्यूमेबल्स वर्ष 2015 से संचयी रूप से 0.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5,850 करोड़ रुपए) से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर (12,220 करोड़ रुपए) हो जाएगा।
- डेंटल उत्पाद और पेटेंट एडस वर्ष 2015 से संचयी रूप 0.47 बिलियन अमरीकी डालर (आईएनआर 2,961 करोड़) से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.11 बिलियन अमरीकी डॉलर (आईएनआर 6,930 करोड़) हो जाएगा।

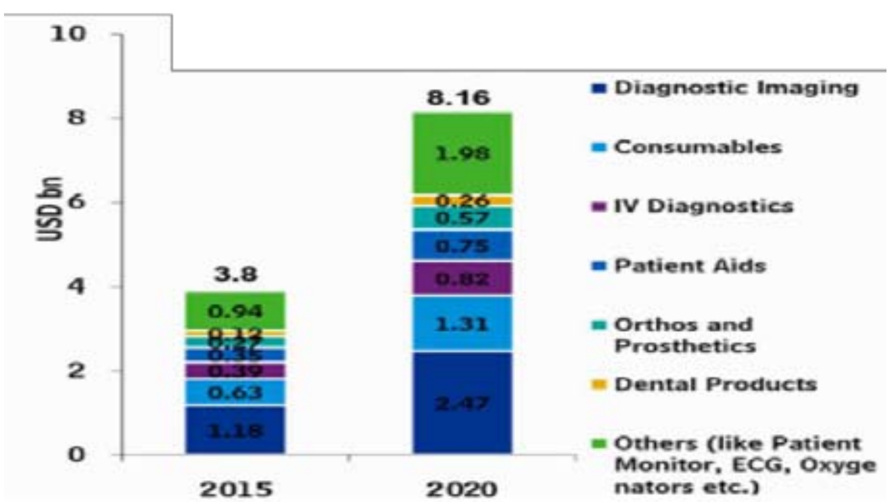

चित्र:- भारत में चिकित्सा उपकरण मांग को संचालित करने वाले विभिन्न कारक

भारत में चिकित्सा उपकरण की मांग को संचालित करने वाले विभिन्न कारक इस प्रकार हैं:-

(i) बढ़ती हुई जनसंख्या

(ii) प्रौढ़ हो रही जनसंख्या

(iii) पुरानी बीमारियों का बढ़ता हुआ रोग भार

(iv) बढ़ती हुई स्वास्थ्य बीमा व्याप्तता

(v) बढ़ता हुआ चिकित्सा पर्यटन

(vi) स्वास्थ्य देखभार अवसंरचना की मांग

क. उभरते हुए स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रारूप

ख. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष अस्पतालों की गुणवत्ता और प्रयत्याय्यन

3.5. चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2016

संरक्षा और मानक के दृष्टिकोण से चिकित्सा उपकरण उद्योग के विनियमन का अधिदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास है, जिसने दिनांक 31.01.2017 को चिकित्सा उपकरण नियमावली, अधिसूचित की है। नई नियमावली वैश्विक सुसंगत कार्यबल (जीएचटीएफ) संरचना के अनुरूप बनाई गई हैं और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के अनुरूप हैं। नयी नियमावली रोगी देखभाल और संरक्षा के लिए बेहतर चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मेक इन इंडिया के लिए विनियामकीय

बाधाओं को दूर करने, व्यापार करने की आसानी को सुकर करती है। इस नियमावली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

i. नई नियमावली के तहत चिकित्सा उपकरण को जीएचटीएफ संव्यवहार के अनुसार, संबद्ध जोखिमों के आधार श्रेणीक (निम्न जोखिम), श्रेणी ख (निम्न मध्यम जोखिम), श्रेणी ग (मध्यम उच्च जोखिम) और श्रेणी घ (उच्च जोखिम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चिकित्सा उपकरण के विनिर्माताओं को विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपात में जोखिम पर खरा उतरना अपेक्षित है जो इस विनियामवली में विनिर्दिष्ट है और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों पर आधारित है।

ii. इन नियमों के माध्यम से अधिसूचित निकायों के माध्यम से 'तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन और प्रमाणन' परिकल्पित किया गया है। अधिसूचित निकाय राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायान बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा प्रत्यायित है एनएबीसीबी, अधिसूचित निकायों को प्रत्यायात करने से पूर्व अपेक्षित मानव संसाधन और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार उनकी कार्यक्षमता का आकलन करेंगे।

iii. ये नियम चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माताओं द्वारा स्व-अनुपालन भी संस्कृति विकसित करने पर भी लक्षित है और तदनुसार श्रेणी क चिकित्सा उपकरणों के लिए विनिर्माण लाइसेंस स्थलों की पूर्व संपरीक्षा के बिना प्रदान किया जाएगा। श्रेणी क और श्रेणी ख चिकित्सा उपकरण के विनिर्माण के लिए एक प्रत्यायित अधिसूचित निकाय द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली संपरीक्षा के पश्चात संबंधित राज्य लाइसेंसीकरण प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। सभी विनिर्माण स्थलों के लिए, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को आईएसओ 13485 के साथ समरेखित करने की जरूरत होगी। श्रेणी ग और श्रेणी घ चिकित्सा उपकरण का विनिर्माण केन्द्रीय लाइसेंसीकरण प्राधिकरण द्वारा विनियामित किया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी, विशेषज्ञों अथवा अधिसूचित निकायों की सहायता ली जाएगी। सभी चिकित्सा उपकरणों के आयात सीडीएससीओ द्वारा विनियामित होते रहेंगे।

iv. अन्वेषणात्मक चिकित्सा उपकरण (अर्थात् नये उपकरण) के नैदानिक अन्वेषण (नैदानिक परीक्षण) के विनियमन के लिए पृथक प्रावधान किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के समकक्ष हैं और नैदानिक परीक्षण की तरह ये, सीडीएससीओ द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

v. लाइसेंसों की आवधिक नवीकरण की जरूरत नहीं होगी। तदनुसार; विनिर्माण और आयात लाइसेंस तब तक वैध रहेंगे जब तक इन्हें निलंबित, निरस्त अथवा परित्याग नहीं कर दिया जाता है। इसके अलावा, आवेदन दाखिल करने से लेकर अनुमति/लाइसेंस प्रदान करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। विनियामक के छोर पर ज्यादातर गतिविधियों के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है।

vi. ये नियम अन्वेषकों, विनिर्माताओं, प्रदाताओं, उपभोक्ताओं, क्रेताओं और विनियामकों सहित सभी हितधारकों के लिए सुदृढ़ परिस्थितिकी तंत्र सृजित करने पर परिकल्पित है।

vii. ये नियम भारत विशिष्ट नवाचार विकसित करने और भारत में विनिर्माण की तुलनात्मक लागत लाभ का फायदा उठाते हुए विश्वभर में चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता और वहनीयता में सुधाल लाने केलिए एक अनुकूल परिवेश प्रदान करता है। वस्तुनिष्ठ पारदर्शी और पूर्वानुमेय विनियामकीय अवसंरचना निवेशक के विश्वास को बढ़ाएगा और परिणामस्वरूप उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और संख्याओं में सुधार होगा और कारोबार भार कम होगा।

3.6. चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन की पहल

औषध विभाग (डीओपी), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का विजन चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में गुणवत्ता, उत्पादकता और नवाचार को उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करना और चिकित्सा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को सक्षम करना है। इसके लिए नवोन्मेषी क्षमताओं के साथ उच्च स्तरीय उत्पादकता वाली विश्व स्तरीय गुणवत्तायुक्त विनिर्माण संयंत्रों की आवश्यकता है। हालांकि ये बहुत ही पूंजी प्रमुख है और आर्थिक कठिनाइयों के कारण चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाइयों द्वारा स्वयं स्थापित और खोले नहीं जा सकते हैं।

3.6.1 चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझी सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) के वित्तपोषण की योजना

औषध विभाग ने "औषध उद्योग के विकास" की छत्रक योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण पार्कों में "चिकित्सा उपकरण के लिए साझे सुविधा केन्द्र के विकास" की योजना का प्रस्ताव किया है। यह उपयोजन 250 करोड़ रुपए की कुल लागत पर देश के चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझे सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) में स्थापना का प्रस्ताव करती है। इन विनिर्माण पार्कों में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होंगी:-

i. घटक परीक्षण केन्द्र

ii. इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इंटरफरेंस लेबोरेटरी

iii. जैव सामग्री/जैव अनुरूपता परीक्षण केन्द्र

iv. चिकित्सीय श्रेणी निम्न निर्वात मोल्डिंग

v. कैबिनेट मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग केन्द्र

vi. चिकित्सीय श्रेणी उत्पादों के लिए 3डी डिजाइनिंग एवं प्रिंटिंग

vii. स्टारलाइजेशन एवं विषाक्तता परीक्षण केन्द्र

viii. विकिरण परीक्षण केन्द्र

ix. वेयरहाउसिंग

x. विनियामक कार्यालय

xi. चिकित्सा उपकरण के विनिर्माण के लिए सामान्यता आवश्यक अन्य सुविधाएं

इस संबंध में ध्यान केंद्रन उच्च मूल्य चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र सृजित करने और निर्यात बाजार पर नजर रखते हुए आयात प्रतिस्थापन पर होगा और राज्यों ने उनकी क्षेत्रीय क्षमताओं, प्राकृतिक संसाधनों और विशेषज्ञता की उपलब्धता के अनुरूप चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के अंदर ही पृथक उघर्व का चयन किया है।

3.6.2 प्रतिलोमित कर संरचना में सुधार

क. उन कंपनियों की मदद करने के लिए जो भारत में ही इन उत्पादों का उत्पादन करते है। सीमाशुल्क विभाग ने चिकित्सा उपकरणओं की 67 आईटीसी श्रेणियों पर सीमाशुल्क को वर्तमान में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है।

ख. इसी प्रकार, इन चिकित्सा उपकरणों पर विशेष, अतिरिक्तकर (एसएडी) से छूट को भी वापस ले लिया गया है और अब उन पर 4 प्रतिशत एसएडी लगता है।

ग. इसके अलावा, घरेलू विनिर्माण को बल प्रदान करने के लिए, 9018 से 902230 शीर्षक के तहत आने वाले चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, पुर्जे और सहायक सामग्री पर एसएडी से पूर्ण छूट सहित मूल सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।

इन परिवर्तनों से चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण की मौजूदा बाधाएं दूर करने में मदद मिलेगी और कंपनियों को उन्हें आयात करने स्थान दर भारत में इन उपकरणों में विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

3.6.3. चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद

विभाग विशाखापतनम में आंध्रप्रदेश मेडटेक जोन लि. के सहयोग से एक चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है, जो घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक सुसाधक और संवर्धन निकाय के रूप में कार्य करेगा।

3.6.4 अधिमान्य बाजार प्रवेश

चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यह विभाग सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा चिकित्सा उपकरण की खरीद में घरेलू उद्योग को प्राधमिकता देने में प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

3.6.5 चिकित्सा उपकरण विपणन पद्धतियों के लिए एकरूप संहिता (यूसीएमडीएमपी)

औषध एवं साथ ही चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एकरूप फार्मास्यूटिकल विपणन पद्धति संहिता (यूसीपीएमपी) को 01.01.2015 से छह महीने की अवधि के लिए स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए घोषित किया गया था। इसे आगे 31.12.2015 तक बढ़ाया गया है। इसी बीच, चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक पृथक संहिता तैयार किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई और चिकित्सा उपकरण विपणन पद्धतियों के लिए एकरूप संहिता (यूसीएमडीएमपी) का मसौदा तैयार किया गया। इसके अलावा, यूसीएमडीएमपी पर पणधारकों के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया गया। इस मामले पर पणधारकों के सुझाव लेने और आगे की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए दो बैठकें आयोजित की गई।

(स्रोत: पैरा 1.1, 1.2, 1.3 एवं 2 (भारत में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण: एएमजीजेड द्वारा एक सनराइज रिपोर्ट)

4

अध्याय

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

अध्याय-4
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

4.1 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

परिचय:

जन औषधि योजना को वर्ष 2008 में देशभर के विभिन्न जिलों में समर्पित बिक्री स्टोरों अर्थात् जन औषधि स्टोरों के माध्यम से वहनीय जेनेरिक दवाइयों की बिक्री करने के लक्ष्य से शुरू किया गया था। इस योजना के कुछ लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- गुणवत्तायुक्त दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइयों की कवरेज को बढ़ाना ताकि प्रत्येक व्यक्ति के उपचार पर होने वाले व्यय को कम करके पुनर्निर्धारित किया जा सके।
- शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता सृजित करना ताकि गुणवत्ता केवल महंगी दवाइयों का पर्यायवाची बन कर न रह जाए।
- सरकार, पीएसयू, निजी क्षेत्र, एनजीओ, सोसाइटियों, सहकारी निकायों और अन्य संस्थानों को शामिल करते हुए इसे एक सार्वजनिक कार्यक्रम बनाना।
- सभी उपचारात्मक श्रेणियों में यथावश्यकतानुसार कम उपचार लागत और सरल उपलब्धता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच में सुधार करके जेनेरिक दवाइयों की मांग संवर्धित करना।

पहला जन औषधि स्टोर नवम्बर, 2008 में अमृतसर, पंजाब में खोला गया था।

इस अभियान का मूल लक्ष्य हमारे देश के प्रत्येक जिले में जन औषधि स्टोर स्थापित करना था।

हाल ही में, "प्रधानमंत्री जन औषधि योजना" (पीएमजेएवाई) का नाम बदल कर "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना" (पीएमबीजेपी) और "प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र" (पीएमजेएके) का नाम बदल कर "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र" (पीएमबीजेके) कर दिया गया है।

भारतीय सार्वजनिक औषध क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई):

बीपीपीआई, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2008 में गठित एक स्वतंत्र सोसाइटी है। बीपीपीआई का मिशन "सभी के लिए जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाना" है।

बीपीपीआई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों की समुचित निगरानी और कार्यकरण के लिए उत्तरदायी है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रगति :

मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार, केवल 112 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) खोले जा सके। अभियान की तेजी से विकास के लिए वर्ष 2016-17 के अंत तक 3000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ अगस्त 2013 के दौरान एक नई कारोबार योजना जारी की गई। इस योजना में स्कीम में कतिपय परिवर्तन शामिल थे। फिर भी पूर्व वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक पीएमबीजेके की संख्या 269 कार्यात्मक पीएमबीजेके के स्तर तक ही पहुंच सकी।

जन औषधी स्कीम का वर्ष 2015 में पुनरूद्धार :

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के प्रभावी कार्यान्वयन का विश्लेषण विचार मंथन सत्र आयोजित करके और विभिन्न हितधारियों के साथ चर्चा करके किया गया है तथा बीपीपीआई के सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी कार्यनीतिक कार्य योजना (एसएपी 2015) प्रस्तुत की। चिह्नित महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उपलब्धता, स्वीकार्यता, सुलभता वहनीयता, जागरूकता एवं स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन। तदनुसार, एक नई कार्यनीतिक कार्य योजना तैयार की गई तथा इसे सितंबर 2015 के दौरान अनुमोदित किया गया।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) कार्य योजना में प्रमुख परिवर्तन :

बीपीपीआई ने आवेदन प्रारूप को सरल कर दिया है ताकि एक आम आदमी इसे आसानी से भर सके। उपर्युक्त के अलावा, इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए पहले प्रभारित किए जाने वाले 2000/- रूपए के आवेदन शुल्क को भी माफ कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) के लिए वित्तीय सहायता:

सरकारी अस्पताल परिसरों में, जहां सरकार द्वारा प्रचालक एजेंसी को नि:शुल्क स्थान प्रदान किया जाता है, पीएमबीजेके स्थापित करने वाले गैर सरकारी संगठनों/एजेंसियों/व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

फर्नीचर एवं फिक्सचर के लिए 1 लाख रु. की प्रतिपूर्ति

आरंभ में नि:शुल्क दवा के रूप में 1 लाख रु.

कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख रु.

प्राइवेट उद्यमियों/फार्मासिस्टों/गैर सरकारी संगठनों/चेरिटेबल संगठनों द्वारा चलाई जाने वाले पीएमबीजेके, जो इंटरनेट के माध्यम से बीपीपीआई मुख्यालय से जुड़े हैं, को 2.5 लाख रु. का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह 2.5 लाख रु. की सीमा तक प्रति माह 10,000 रु. की अधिकतम सीमा के अध्ययनशील मासिक बिक्री के 15 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों में प्रोत्साहन की दर 2.5 लाख रु. की कुल सीमा 15000 रु. की मासिक सीमा के अध्यधीन 15 प्रतिशत होगी। कमजोर वर्ष अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अग्रिम के रूप में 50,000/- रुपए के मूल्य की दवाइयां 2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि में से ही प्रदान की जाएंगी जिसे कुल 2.5 लाख रुपए की कुल सीमा तक 10000/- रुपए प्रतिमाह की अधिकतम राशि के अध्यधीन 15% मासिक बिक्री के रूप में प्रदान किया जाएगा।

खुदरा विक्रेताओं एवं वितरकों के लिए व्यापार मार्जिन: व्यापार मार्जिन को खुदरा विक्रेता के लिए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत एवं वितरकों के लिए 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान 30 नवम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार की गई प्रगति

उपलब्धता:

उत्पादों एवं सेवाओं का विकल्प अब 600 से अधिक दवाओं एवं 165 से अधिक सर्जिकल एवं उपभोज्यों के स्तर के प्राप्त होने से बढ़ गया है। सीपीएसयू से दवाओं के प्रापण के अलावा, बीपीपीआई खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों से दवाओं की प्रत्यक्ष खरीद द्वारा आपूर्ति को बढ़ा रहा है ताकि पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा स्टॉक खत्म होने की स्थिति से बचा जा सके। बीपीपीआई ने मार्च 2017 के अंत तक इस आंकड़े को 1000 तक ले जाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई शुरू की है।

आपूर्ति श्रंखला:

आपूर्तिकर्ता से → सी डब्ल्यू एच → सी. एवं एफ. एजेंट → वितरक → जेएके

बीपीपीआई ने दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए आईडीपीएल परिसर में एक केंद्रीय भंडार गृह स्थापित किया है। साथ ही 3 राज्यों में सी. एव एफ. एजेंट नियुक्त किए हैं और खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न राज्यों में 40 वितरक निर्धारित किए हैं। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बीपीपीआई और अधिक सी.एंड एफ. एजेंट और वितरक नियुक्त करने वाला है।

स्वीकार्यता: पीएमबीजेके को आपूर्ति करने के लिए, सीपीएसयू एवं निजी विनिर्माताओं से प्रापण की गई दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, औषधों के प्रत्येक बैच की जांच बीपीपीआई के पैनल में शामिल एनएबीएल के प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में की जाती है जिसके द्वारा दवाओं की गुणवत्ता, निरापदता एवं प्रभावकारिता तथा अपेक्षित मानकों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाता है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही, दवाइयां सी. एवं एफ. एजेंटों, वितरकों एवं पीएमबीजेके को जारी की जाती हैं।

सुलभता: दिनांक 16.02.2017 की स्थित के अनुसार कार्य कर रहे पीएमबीजेके की संख्या 794 पहुंच गई है (26 से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में) जिनमें से 525 केन्द्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान खोले गए हैं।

इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, बीपीपीआई हमारे देश के सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बीपीपीआई मार्च, 2017 के अंत तक 3000 पीएमबीजेके के आंकड़े के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

जागरूकता: पीएबीजेके के संबंध में सामान्य लोगों के बीच जागरूकता बहुत कम है। मीडिया अभियान जेनरिक दवाओं के प्रयोग के बारे में लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में, बीपीपीआई ने विशेषकर उन राज्यों में, जहां अब पीएमबीजेके कार्यशील हैं, में विभिन्न प्रयास शुरू किए हैं ताकि लोग पीएमबीजेके में वहनीय मूल्य पर जेनरिक दवाओं की उपलब्धता का पूरा लाभ उठा सकें। वर्तमान में 794 पीएमबीजेके कार्यशील हैं (16.6.2017 की स्थिति के अनुसार) जिनमें से कुछ पहले स्थापित किए गए थे। इन पीएमबीजेके को संगठित तरीके से बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है क्योंकि जागरूकता बहुत कम है। दवाओं की सीमित उपलब्धता एवं अनुपलब्धता एक दूसरी चुनौती थी। इस योजना, व्यापार अवसर, केन्द्रों के अवस्थानों और पीएमबीजेके के पास उपलब्ध दवाओं के बारे में सभी हितधारियों के बीच जागरूकता पैदा करना अति आवश्यक है।

बीपीपीआई की इच्छा एकीकृत मीडिया मंच का उपयोग करके शहरों, जहां पीएमबीजेके पहले से स्थापित हैं, में पीएमबीजेके एवं इसके केन्द्रों के बारे में जागरूकता पैदा करने की है। सभी पुराने एवं नए पीएमबीजेके में मानकीकृत ब्रांडिंग के साथ पीएमबीजेके का स्तरोन्नयन अपेक्षित है।

विभिन्न प्रचार चैनलों यथा प्रिंट मीडिया, दृश्य मीडिया, एसएमएस और अन्य प्रत्यक्ष संचार तरीकों का उपयोग किया जाएगा। बीपीपीआई ने कई प्रदर्शनियों/कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि में पहले ही भाग लिया है।

बीपीपीआई ने पीएमजेएवाई को एकछत्र के भीतर लाने हेतु कई व्यापक स्तरीय विनिर्माताओं से सम्पर्क साधने के लिए इंडिया फार्मा, 2016, बैंगलुरू में भाग लिया।

पीएनबीजेके खोलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

विभिन्न पीएमबीजेके का उद्घाटन

पीएनबीजेके के बारे में युवा शिक्षा

योजना की सफलता सुनिश्चित करने में अन्य कारक

इस पहल की सफलता अन्य एजेंसियों पर भी निर्भर है अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकार, माननीय संसदों एवं विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के सदस्यों का सक्रिय सहयोग, आईएमए, निजी समूहों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों एवं चेरिटेबल संस्थानों, एनजीओ, प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों आदि। राज्य सरकारों के पास दवाओं के नि:शुल्क वितरण जैसी अपनी स्वयं की स्कीमें हैं। डाक्टरों द्वारा जेनरिक दवाओं का नुस्खा नहीं लिखा जाना एक अन्य कारक है। बीपीपीआई केवल जेनेरिक दवाइयों का नुस्खा लिखे जाने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सतत प्रयास कर रहा है। इसके लिए बीपीपीआई अन्य संगठनों एवं सरकारी विभागों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहा है। डाक्टरों, वैज्ञानिकों, सरकारी अधिकारियों एवं अन्य हितधारियों को शामिल करते हुए संगोष्ठियां/कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।

बजट की गई बिक्री

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बीपीपीआई ने 11.25 करोड़ रुपए की बिक्री की है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिक्री अनुमान 20 करोड़ रु. से अधिक है।

जन औषधी स्कीम शीर्ष :

बीपीपीआई का प्रयास सभी उपचारात्मक समूहों को कवर करते हुए आम रूप से प्रयुक्त होने वाली सभी जेनरिक औषधियों को पीएमबीजेके में उपलब्ध करवाने का है। पीएमबीजेके सभी उपचारात्मक समूहों को कवर करते हुए सभी जेनरिक औषधी को उपलब्ध कराने से लेकर स्वास्थ्य परिचर्या उत्पादों एवं सेवाओं का पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदान करेंगे।

पीएमबीजेके के साथ जोड़ने हेतु नागरिकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, उन्हें पीएमबीजेके खोलने के लिए आमंत्रित करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग नागरिकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें स्टोर शुरू करने के लिए 2.50 लाख रुपए की सहायता के भीतर अग्रिम के रूप में 50,000/- रुपए के मूल्य की दवाइयां प्रदान किए जाने के लिए सरकारी सहायता योजना को संशोधित किया गया है।

5

अध्याय

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

5.1 पृष्ठभूमि
5.2 प्रवेश प्रक्रिया
5.3 नाईपर, मोहाली
5.4 नाईपर, अहमदाबाद
5.5 नाईपर, गुवाहाटी
5.6 नाईपर, हाजीपुर
5.7 नाईपर, हैदराबाद
5.8 नाईपर, कोलकाता
5.9 नाईपर, रायबरेली

अध्याय-5
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

1. पृष्ठभूमि

5.1 भारतीय फार्मा उद्योग जेनेरिक दवाओं में एक वैश्विक अग्रणी रहा है। दवाओं की खोज और विकास में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए और सम्मिश्रणों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखने के लिए सरकार ने स्वीकार किया कि मानव संसाधन / प्रतिभा पूल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, भारत सरकार ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एसएएस नगर, मोहाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की, बाद में संस्थान को संसद के एक अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 के द्वारा सांविधिक मान्यता दी गई और नाईपर को राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में मेंटर संस्थान की मदद से छह नए नाईपर शुरू किए गए। इसके बाद वर्ष 2012 में मदुरै में एक नाईपर की मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने वर्ष 2015-16 के अपने बजट भाषण के दौरान छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए 3 नए नाईपर की घोषणा की। ब्यौरे इस प्रकार हैः-

नाईपर	मेंटर संस्थान	शैक्षणिक सत्र शुरू होने का वर्ष
नाईपर, मोहाली	-	1992
नाईपर, अहमदाबाद	-	2007
नाईपर, गुवाहाटी	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी	2007
नाईपर, हाजीपुर	आईसीएमआर के तहत राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आरएमआरआईएमएस -पटना)	2007
नाईपर, हैदराबाद	सीएसआईआर, भारतीय राष्ट्रीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	2007
नाईपर, कोलकाता	सीएसआईआर - भारतीय राष्ट्रीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता	2007
नाईपर, रायबरेली	सीएसआईआर - केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	2008
नाईपर, मदुरै	प्रक्रियाधीन	-
नाईपर, छत्तीसगढ़	प्रक्रियाधीन	-
नाईपर, महाराष्ट्र	प्रक्रियाधीन	-
नाईपर, राजस्थान	प्रक्रियाधीन	-

नाईपर का उद्देश्यः-

1 औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बनाए रखना एवं उनका संवर्धन करना;

2 औषध शिक्षा में मास्टर डिग्री, डॉक्टरेल और पोस्टर डॉकटरेल अग्रेणी पाठयक्रमों के लिए ध्यान केंद्रीत करना;

3 परीक्षाओं का आयोजन और डिग्री प्रदान करना;

4 मानद पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करना;

5 शिक्षा या अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना जिनका उद्देश्य पूरी अथवा आंशिक रूप से उन संस्थानों के साथ संकाय सदस्य और स्कोलरों का आदान-प्रदान आम तौर से इस प्रकार करना है जो उनको समान उद्देश्य के अनुकूल हो।

6 शिक्षक, औषधि प्रौद्योगिकी, समुदाय और अस्पताल फार्मासिस्ट और अन्य व्यवसायों के लिए पाठयक्रम का आयोजन;

7 देश और विकासशील देश में अन्य संस्थानों के लिए अपनी तरह के सूचना केंद्र को विकसित करने के लिए औषध और संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्व साहित्य को एकत्र और रख रखाव करना;

8 संस्थान के अंदर और बाहर अनुसंधानों द्वारा औषध उपकरण और उपयोग के लिए विश्लेषण का केंद्रीय संकाय बनाना;

9 कला या विज्ञान या औषध शिक्षण में प्रयोग और नई खोज एवं शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र की स्थापना करना;

10 राष्ट्रीय, शैक्षिक व्यवसाय और औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान देने के साथ औषधि क्षेत्रों में मौजूदा जानकारी के नए ज्ञान और विद्यमान सूचना के प्रसार के लिए एक विश्व स्तर केंद्र विकसित करना;

11 अनुसंधान और औषधीय जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु बहु-विषयक दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि शैक्षिक व्यवसाय और औषध उद्योग के व्यापक हितों की बेहतर तरीके से देख-रेख की जा सके और औषधीय कार्य-संस्कृति विकसित की जा सके जोकि औषधिय शिक्षा और अनुसंधान के बदलते वैश्विक परिदृश्य और पद्धति के अनुसार हो।

12 समय-समय पर औषध शिक्षा के चयनित क्षेत्रों में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सेमीनार और सम्मेलनों को आयोजन करना;

13 विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं के लिए पाठयक्रम प्रदान करना;

14 संस्थान द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान के साथ ही साथ परामर्श परियोजनाओं और उपक्रम प्रायोजित द्वारा और संस्थान एवं उद्योग और संस्थान के बीच वैज्ञानिक के आदान-प्रदान और अन्य तकनीकी स्टाफ द्वारा शैक्षिक और उद्योग के बीच बातचीत के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना;

15 देश में सामाजिक-आर्थिक पहुँच पर ध्यान रखने के कारण ग्रामीण जनता द्वारा दवाओं के वितरण और उपयोग पर अध्ययन करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है;

5.2. दाखिले की प्रक्रियाः

सभी नाईपरों के छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला लेते है। दाखिला के लिए देश में प्रत्येक नाईपर द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न पाठयक्रमों के लिए निम्नलिखित दाखिला प्रक्रिया हैः

अप्रैल महीने के प्रत्येक वर्ष में, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाते है। तदनुसार, आवेदन योग्यता के आधार पर आमंत्रित किए जाते हैः

स्नातकोत्तर - बी फार्मा + जीपीएटी अर्हताप्राप्त पीएचडी - एमएस (फार्मा)/एम फार्मा/ एम टेक (फार्मा)/ एम विज्ञान + जीएटीई/जीपीएटी/एनईटी अर्हताप्राप्त आवेदन का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर किया जाता है।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रति वर्ष जून के दूसरे रविवार को योग्यता प्राप्त अभ्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है।
उत्तीर्ण अभ्यार्थी का परिणाम नेट पर जारी किया जाता है।
अंतिम परीक्षा का आधारः-
स्नात्तोकत्तर विद्यार्थी के लिए लिखित + काउन्सलिंग का आयोजन किया जाता है।
एमबीए के लिए लिखित + जीडी/साक्षात्कार/काउन्सलिंग का आयोजन किया जाता है।
पीएचडी अभ्यार्थी के लिए लिखित + साक्षात्कार + काउन्सलिंग का आयोजन किया जाता है।

भारत सरकार की आरक्षण नीति को पूरी तरह से विभिन्न पाठयक्रम के लिए छात्रों को दाखिला करने के समय पालन किया जाता है।

शैक्षिक उद्योग संपर्कः विभाग ने विकास (वाणिज्यीकरण) और नवाचार के अनुसांधान में बदलने के लिए शैक्षिक-उद्योग संपर्क की एक बुनियादी आवश्यकताओं के रूप में पहचान की है; और शैक्षिक संस्थानों के बीच जवाबदेही भी तय की है । तदनुसार, इस मामले को नियमित समीक्षा और निरीक्षण के साथ नाईपर और सार्वजनिक और निजी औषध उद्योग साथ उठाया गया है। नाईपरों ने निजी औषध उद्योग और सीपीएसईई के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर निम्नानुसार किए हैः

नाईपर	निजी फार्मा उद्योग
हैदराबाद	1. डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज
	2. भारत बायोटेक
	3. नैटको
अहमदाबाद	4. कैडिला फार्मास्यूटिकल्स
	5. कैडिला हेल्थकेयर (जाइडस)
	6. सहजानंद टेक्नोलॉजीज
	7. जॉनसन एंड जॉनसन
मोहाली	8. सन फार्मा
	9. व्ओकहार्ड
	10 पेनेसिया बायोटेक
	11. मेडले फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
	12. डो केमिकल इंटरनेशल प्रा.लि.
	13. तिरूपती मेडिकेयर लि.
	14. क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लि.
	15. सेल्सेटे लाइफ साईस प्रा. लि.

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ:

नाईपर	सीपीएसई
मोहाली	16. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जयपुर।
अहमदाबाद	17. हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड, पुणे।
गुवाहाटी	18. i) नाटको फार्मा ii) कर्नाटक एंटी-बायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरू।
हाजीपुर	19. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
कोलकाता	20. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
रायबरेली	21. भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश/गुड़गांव/ हैदराबाद।

5.3. नाईपर, मोहाली

नाईपर मोहाली, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में घोषित किया गया है। यह संस्थान देश के अंदर ही नहीं, अपितु दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों में भी औषध विज्ञान और उससे संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की अवधारणा, की योजना बनाई गई है। यह केवल अपने क्षेत्र में अपनी तरह का एक ही संस्थान है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित

और केंद्रीत मानव संसाधन (छात्र/अनुसंधानकर्ता) कार्य करने के लिए नवीन प्रक्रियाओं का प्रकाशन पसंदीदा क्षेत्रों में औद्योगिक प्रासंगिकता के आउटपुट नामक कार्यों के कारण इसका बहुत अधिक सम्मान है। नाईपर मोहाली में एक परिसर है जो दस विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें तीन छात्रावास (छात्र) और एक छात्रावास (छात्राओं) और विवाहितों के लिए एक छात्रवास इकाई और नाईपर स्टाफ के लिए 133 क्वाटर है।

नाईपर मोहाली, में देश के विभिन्न भागों से छात्र आते है। वर्ष 2016 में, इसमें लगभग 22 विभिन्न राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों से छात्र थे। इसमे अधिकतर छात्र माध्यम और निम्न वर्गों से थे। नाईपर मोहाली का स्वयं का आवासीय परिसर है। इनके कार्यों को देखने के लिए शासक मंड़ल का गठन किया गया है।

1. उपलब्धियां

वर्ष 2016 में, संस्थान ने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 51 (सितम्बर 2016 तक) लेख प्रकाशित किए हैं। नाईपर ने वर्ष 2015 में 12 पेटेंट दायर किए और इस वर्ष आज तक की तारीख तक एक पेटेंट को अनुमोदित किया है। शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से (सितम्बर 2016 तक), 2434 छात्रों (मास्टर्स 1960, एमबीए में 487 और पीएच.डी. 245) ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर संस्थान छोड़ा है।

2. अनुसंधान

(क) उपेक्षित बीमारियां - तपेदिक, लीशमनियासिस और मलेरिया के क्षेत्रों में शोध किए गए। नए अणु संश्लेषित किए जा रहे है और उनके कार्रवाई तंत्र बनाए जा रहे हैं।

(ख) अन्य रोग

इंफ्लेमेशन, संक्रमण, कैंसर, मधुमेह, न्यूरो अवक्षय जैसी बीमारियों में चयापचय मार्ग से काम किया जा रहा है।

(ग) दवा विकास और निर्माण

(i) मौखिक जैव उपलब्धता, सिनरजिस्टिक कैसर रोधी प्रभावकारिता और दवाओं की कम विषाक्तता का सुधार करने का प्रयास किया गया है।

(ii) नए सम्मिश्रण विकसित किए जा रहे हैं।

(घ) अन्य क्षेत्र

(i) दवाओं के केमो - एंजायमेटिक संश्लेषण

(ii) हर्बल्स पर मोनोग्राफ विकसित किया जा रहा है।

(iii) मिसफोल्डेड प्रोटीन का स्थिरीकरण पर आरएनए एप्टामर्स के प्रभाव का अध्ययन

(iv) न्यूरोपैथिक दर्द निदान करने के लिए एक उचित और विश्वसनीय विधि का आकलन

शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ

जन शक्ति	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	रिक्ति
शैक्षणिक	61 + 1* = 62	30	31 + 1* = 32
गैर शैक्षणिक	217 + 6** = 223	127	90 + 6** = 96

* निदेशक के पद को इंगित करता है

** शासक मंडल द्वारा बनाई पदों को इंगित करता है

4. पिछले 4 वर्षों के दौरान कुल निधियों का आवंटन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष		**आवंटित बजट अनुमान**	**आवंटित संशोधित अनुमान**	**कुल निर्मूक्ति**
2012-13	योजना	24.00	0.00	0.00
	गैर-योजना	27.55	22.82	22.82
2013-14	योजना	12.00	0.00	0.00
	गैर-योजना	23.87	19.20	19.20
2014-15	योजना	20.00	17.03	0.00
	गैर-योजना	00.05	20.87	20.87
2015-16	योजना	20.00	9.79	9.79
	गैर-योजना	27.48	27.48	27.48
2016-17	योजना	00.01	0.00	0.00
	गैर-योजना	27.48	27.48	27.48

5. छात्र

प्रवेश की स्थिति के साथ डिग्री / कार्यक्रम और पेशकश किए गए विषय (वर्ष के साथ)

मास्टर्स / डॉक्टरेल स्तर	डिग्री एमएस / एमबीए / एम टेक/ पीएचडी	विषय	प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या	
			वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17

मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	43	43
डॉक्टरेल	पीएचडी		02	05
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोइन्फ़ोर्मेटिक्स	19	19
डॉक्टरेल	पीएचडी		01	01
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	16	16
डॉक्टरेल	पीएचडी		03	01
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	पारंपरिक औषध	05	05
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्युटिकल विश्लेषण	09	09
डॉक्टरेल	पीएचडी		02	00
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषध और विष विज्ञान	23	23
डॉक्टरेल	पीएचडी		04	06
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	नियामक विष विज्ञान	09	10
मास्टर्स	एम टेक (फार्मा)	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (सम्मिश्रणों)	07	07
डॉक्टरेल	पीएचडी		00	00
मास्टर्स	एम टेक (फार्मा)।	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया रसायन विज्ञान)	14	16
डॉक्टरेल	पीएचडी		00	00
मास्टर्स	एम टेक (फार्मा)	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (बायोटैक्नोलॉजी)	10	10
डॉक्टरेल	पीएचडी		00	00
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषध बनाने की विद्या	17	17
डॉक्टरेल	पीएचडी		06	06
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	29	31
डॉक्टरेल	पीएचडी		05	02
मास्टर्स	एम.फार्मा	फार्मेसी प्रैक्टिस	08	07
डॉक्टरेल	पीएचडी		02	01
मास्टर्स	एम.फार्मा	नैदानिक अनुसंधान	07	08
मास्टर्स	एमबीए (फार्मा)	फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट	45	38

6. शिक्षक-छात्र अनुपात

पाठ्यक्रम	अनुपात
पीएच.डी.	1:3
मास्टर्स (विज्ञान)	1:14
एमबीए (फार्मा)	1:27*

*अतिथि संकाय सदस्य भी कक्षा लेते है।

7. नियोजन की स्थिति

पिछले 2 की प्लेसमेंट स्थिति : कैंपस के अंदर / बाहर

बैच	**नियोजित छात्रों की कुल संख्या**	**कैम्पस प्लेसमेंट**	**उच्च अध्ययन**	**कैम्पस प्लेसमेंट बंद**
वर्ष 2013-15	143	92	11	40
वर्ष 2014-16	142	142	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

आकंड़े उपलब्ध नहीं है

8. नवाचार / ज्ञान हस्तांतरण

(i) पेटेंट और व्यवसायीकरण: 179 (दायर) / 38 (स्वीकृत) / 07 (लाइसेंसीकृत)

(ii) अनुसंधान उद्योग से अर्जित आय: 1.65 करोड़ रुपए (वर्ष 2016-17 की प्राप्तियों, आज तक)

(iii) प्रति संकाय प्रशस्ति पत्र: 798 (वर्ष 2016, आज तक)

9. संस्थान की अग्रता

(i) शीर्ष 100 भारतीय अन्वेषक कंपनी और अनुसंधान संगठन (वर्ष 2014) के रूप में मान्यता प्राप्त (थॉम्पसन रायटर)

(ii) कैरियर 360 पत्रिका (आउटलुक समूह) द्वारा एएएए+ श्रेणी के साथ देश के चार संस्थानों में से एक (मार्च 2014) के रूप में मान्यता

(iii) थॉमसन रॉयटर्स अभिनव पुरस्कार 2011 से सम्मानित

(iv) एस्ट्रा जेनेका बंदोबस्ती कोष (60 लाख रुपए) की स्थापना

(v)वर्ष 2008 के बाद से ब्रिस्टल-मायर-स्क्विब्बस पीएचडी और मास्टर्स के एक एक छात्र को वित्त पोषण किया

(vi) एली लिली और मर्क ने अनुसंधान कार्य करने के लिए धन दिया

(vii) अपने नागरिकों को *बोलाशक* छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कजाकिस्तान सरकार द्वारा औषध विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्थानों (संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन अलावा) के रूप में चुना

(viii) राजभाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त

10. नाईपर का प्रभाव

नाईपर, एसएएस नगर की सफलता ने भारत सरकार को दवा क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर में और अधिक नाईपर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, नाईपर आईटीईसी-एससीएएपी, क्षमता निर्माण कार्यक्रम (विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित) और एसएमपीआईसी के तहत भारत और विदेशों से कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों आयोजित किए गए है। आईडीपीएल, बीसीपीएल, एचएएल, आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण में भागीदारी इत्यादि।

छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों (एसएमई) के लिए प्रदत्त प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाएं: एसएमई केंद्र की स्थापना''अन्वेषणात्मक नव औषध'' (आईएनडी) अनुप्रयोग मूल्यांकन समिति के सदस्य भारतीय फार्माकोपिया में संशोधन समिति के सदस्य भारत की आयुर्वेदिक फार्माकोपिया को मोनोग्राफ का योगदान डब्ल्यूएचओ द्विवार्षिक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) की कार्य योजना के अंतर्गत ''भारत में जेनरिक दवा पर विशेष ध्यान देते हुए दवा की कीमतों पर ट्रिप्स का प्रभाव'' विषय पर अध्ययन किया।
लघु और माध्यम के उद्मी (एसएमई) के लिए प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करना: डब्ल्यूएचओ द्विवार्षिकी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) की कार्य योजना के तहत "भारत में जेनरिक दवा पर विशेष ध्यान देते हुए दवा की कीमतों पर ट्रिप्स का प्रभाव" पर भारत द्वारा चलाए जा रहे भारत की आयुर्वेदिक फार्माकोपिया को मोनोग्राफ का योगदान में भारतीय संशोधित समिति के अन्वेषणात्मक नव औषध (आईएनडी) अनुप्रयोग मूल्यांकन समिति के एक केंद्र की स्थापना।

संस्थान द्वारा आयोजित समारोह / कार्यशालाएं

14-16 फरवरी, 2016	उद्योग शैक्षिक सम्मेलन
22-24 फरवरी, 2016	रसायन, विनिर्माण और नियंत्रण (सीएमसी): एकीकृत दवा के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
28 मार्च, 2016	

5.4. नाईपर अहमदाबाद,

नाईपर, अहमदाबाद ने संकाय संस्थान बी.वी पटेल पीईआरडी केंद्र (31 जुलाई, 2016 तक) के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद से ही अस्थायी भवन में अपने स्वयं के परिसर में कार्य कर रहा है। शासक मंडल, संचालन समिति की अनुपस्थिति में, सचिव (औषध) की अध्यक्षता में नाईपर अहमदाबाद के प्रशासनिक कार्य की देख रेख की जाती है। दिनांक 16.11.2014 से डॉ. किरन कालिया इसके निदेशक हैं।

1. उपलब्धियां

नाईपर अहमदाबाद से 316 एमएस फार्मा छात्राओं ने स्नातक किया है और भारत तथा विदेश में विभिन्न औषध उद्योगों में नियुक्त हुए है। नाईपर, अहमदाबाद, ने जॉन हॉपकिस एंड हावर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए जैसे विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्याय शुरू किया है। 70 से ज्यादा पेपरों को विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। 10 पेंटेन्ट दायर किए गए है, जहाँ नाईपर, अहमदाबाद के संकाय या छात्र अन्वेषकों में से एक था। इनमें से 03 पेंटेन्ट फरवरी, 2016 से अब तक दायर की गई है।

2. संकाय और स्टाफ का विवरण

(i) नियमित संकाय: 01, (निदेशक)

(ii) संविदा संकाय: 14

(iii) संविदात्मक व्यवस्थापक और तकनीकी स्टाफ: 10

3. पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट अनु. आवंटन	संशो. अनु. आबंटित	कुल निर्मुक्ति
2013-14	20	6.94	6.79
2014-15	20	4.5	4.5
2015-16	21.96	19.76	19.76
2016-17	21.96	19.48	19.48

विभाग / विषय का नाम (उद्घाटन वर्ष के साथ)

क्रम सं.	विभाग	उद्घाटन वर्ष
01	जैव प्रौद्योगिकी	2007
02	प्राकृतिक उत्पाद	
03	औषध बनाने की विद्या	
04	औषधीय रसायन शास्त्र	2010
05	दवा विश्लेषण	
06	औषध और विष विज्ञान	
07	चिकित्सा उपकरण	2012

4. छात्र

प्रवेश स्थिति के साथ पेशकश की गयी डिग्री / कार्यक्रमों और विषय (वर्ष के साथ)

एमएस / एमबीए / एम टेक / पीएचडी	विषय	प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या	
		2015-16	2016-17
एमएम	**7 विषय**	**56**	**74**
पीएचडी	**शून्य**	**09**	**09**

5. शिक्षक-छात्र अनुपात: 1: 10 (14 संकाय: 140 छात्र)

6. नियोजनीयता/ नियोजन की स्थिति

वर्ष 2016 में प्रतिभागी कंपनियों की सूची	**नियोजन**
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स अहमदाबाद, केडीला फार्मास्यूटिकल्स लि. अहमदाबाद, जाइडस हेल्थकेयर लि. अहदाबाद, इंटास फार्मास्यूटिकल्स अहदाबाद, पिरामल हेल्थकेयर लि. अहदाबाद, सन फार्मास्यूटिकल्स लि. बड़ौदरा, सहजानंद लेजर टेक्नोलीजी लि. गांधी नगर, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स पुणे,	100%

7. संकाय के लिए मान्यता:

एक पहल के रूप में नाईपर अहमदाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय सहोयग को स्थापित करने के लिए हार्वड मेडिकल स्कूल और एमआईटी, यूएसए के संकायों के साथ विषय आधारित अनुसंधान सहोयग प्रारंभ किया है। सहयोग का वर्तमान केंद्र न्योरोडगनेरेटिव रोग है। नाईपर अहमदाबाद, के संकाय निम्नलिखित विश्वविद्यालय के साथ सहोयग कर रहे हैः-

8. समकक्ष समीक्षा प्रणाली : नाईपर मोहाली ने 5-6 मई, 2016 से नाईपर अहमदाबाद की समकक्ष समीक्षा की थी।

9. अनुसंधान : संस्थान मधुमेह, कैंसर, न्योरोडिजेनेरे -टिव रोग, संक्रामक रोग, ऊतको की मरम्मत, उत्थान और चिकित्सा प्रत्यारोपण में अनुसंधान करता है।

10. पुरस्कार : राष्ट्रपति भवन में गांधियन यंग टेक्नोलोजीकल इनोवेशन (जीवाईटीआई) पुरस्कार दिया गया।

11. पेंटेट और वाणिज्यिकीकरण : आगे 03 पेटेंट दायर किए गए हैं।

नाईपर का प्रभाव:

नाईपर अहमदाबाद को औषध शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्रों में से एक केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो प्लेसमेंट गतिविधियों में शीर्ष स्तर की औषध कंपनियों की और छात्रों की 100% प्लेसमेंट से झलकता है। दाखिले की काउसलिंग के समय नाईपर अहमदाबाद छात्रों के शीर्ष पसंद नाईपरों में से है।

संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

5.5. नाईपर गुवाहाटी

नाईप, गुवाहटी ने मेंटर संस्थान गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, असम के अंतर्गत वर्ष 2008 में कार्य प्रारंभ किया। शासक मंडल, संचालन समिति की अनुपस्थिति में, सचिव (औषध) की अध्यक्षता में नाईपर अहमदाबाद के प्रशासनिक कार्य की देख रेख की जाती है। दिनांक 03.11.2016 से इसके निदेशक डॉ. यूएसएन मूर्ति हैं।

1. उपलब्धियां:

क. पीएचडी - 21 (पंजीकृत), डिग्री से सम्मानित - 07, शोध प्रस्तुत-01

ख. कुल एमएस (फार्मा) (स्थापना के बाद से), पंजीकृत छात्रों की संख्या - 285

स्नातक - 222 (61 छात्र वर्तमान में अपने पीजी पाठ्यक्रम कर रहे हैं)

ग. स्नातक छात्रों में से कई छात्रों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों में पीएच.डी. में दाखिला मिल गया। ज्यादातर अन्य छात्रों को विभिन्न फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज और कंसल्टेंसी यथा-नोवार्टिस, नोवो नोडिक, बॉयोकोन, क्वीनटिल्स आदि में नियुक्त कर लिया गया है।

घ. प्रकाशन: विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में कुल 85 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं।

2. संकाय और स्टाफ के ब्यौरे

निर्देशक	:01
शैक्षणिक कर्मचारी : सहायक प्रोफेसर	:03
व्याख्याता	:01
सिस्टम इजीनियर एवं संकाय (कम्प्यूटर के प्रयोज्यता)	:01
डीएसटी महिला वैज्ञानिक	:01
अतिथि संकाय	:15
गैर शैक्षणिक कर्मचारी	:21

3. पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आवंटन

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल निर्मूक्ति
2013-14	18.8	03	2.88
2014-15	21	4	3.94
2015-16	21	21	21
2016-17	19.50	-	19.50

4.छात्र

i) दाखिला की स्थिति के साथ प्रस्तावित डिग्री / कार्यक्रम और विषय (वर्ष के साथ)

मास्टर्स / डॉक्टरेट	एमएस / एमबीए / एम टेक / पीएचडी	विषय़	दाखिला दिए गए छात्रों की संख्या	
			2015-16	2016-17
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी	18	20
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	5	7
मास्टर्स	एम फार्मा	फार्मेसी प्रैक्टिस	3	8
डॉक्टरेट	पीएचडी	फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी	2	2
डॉक्टरेट	पीएचडी	जैव प्रौद्योगिकी	1	2
डॉक्टरेट	पीएचडी	फार्मेसी प्रैक्टिस	1	1

5. शिक्षक-छात्र अनुपात: 1: 5

6. नियोजनीयता/ नियोजन की स्थिति

वर्ष 2015-16 के शैक्षिणिक सत्र में, 09 छात्रों को एनआईएसईआर; नाईपर, मोहाली नाईपर, हाजीपुर ,आईआईटी-गुवाहाटी; नाईपर-गुवाहाटी और आईएनएसटी, मोहाली जैसे प्रतिष्ठ राष्ट्रीय संस्थान में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश मिला है। अन्य 11छात्रों को अनुसंधान केंद्र के परिसर के अंदर/बाहर नोवार्टिस; नोवो नोरडिस्क; श्री धुतापापेश्वर आर्युवेदिक रिसर्च फाउन्डेशन (एसडीएआरएफ) ; ग्लोकल स्कूल ऑफ फार्मेसी ग्लोकल यूनिवर्सिटी; सहारनपुर ; ग्लोबल डाटा रिसर्च सेंटर, हैदराबाद; क्वीन टाईल्स जैसी विभिन्न कंपनियों द्वारा भर्ती किया गया है। 02 छात्रों को बीसीआईएल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया है।

7. संकाय के लिए मान्यता

डॉ. रणदीप गोगई, सहायक प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नाईपर, गुवाहाटी ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 23-29 अप्रैल, 2016 से आयोजित प्रेरित शिक्षकों के लिए इन रेसीडेन्श कार्यक्रम में भाग लिया।

8. समकक्ष समीक्षा प्रणाली

नाईपर अहमदाबाद ने कई पहलुओं पर नाईपर, गुवाहाटी की प्रगति के विश्लेषण के लिए 26-28 अप्रैल, 2016 को इसका दौरा किया था और अच्छी समीक्षा की थी जिसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

9. अनुसंधान

यह संस्थान जैव प्रौद्योगिकी, कैंसर, फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी, फार्मेसी प्रेक्टिस, फार्माकोविजिलेंस और हैमियोविजीलेंस में अनुसंधान करता है। वर्तमान में **13** छात्र (**7** फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी, **4** बायोटेक्नोलॉजी और **2** फार्मेसी प्रेक्टिस में पीएचडी कर रहे हैं।)

10. पेटेंट और वाणिज्यिकीकरण: संस्थान वर्तमान में बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एक पेटेंट आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में हैं। इसका व्यवसायीकरण के लिए और अन्वेषण किया जाना है।

11. नाईपर के प्रभाव

नाईपर-गुवाहाटी की स्थापना से पहली बार भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने को एक ठोस प्रोत्साहन मिला है। नाईपर-गुवाहाटी के अनुसंधान के प्रयासों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थानीय जड़ी बूटियों के औषधीय मूल्य पर अध्ययन को पुनर्जीवित किया गया है। नाईपर-गुवाहाटी भी बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और यह एकमात्र नाइपर है जिसके पास सायनेथिटिक बायोलिजिक्ल प्रयोगशाला है जोकि इंडियन सायोनिथेटिक बायोलिजिक्ल प्रयोगशाला में सूचीबद्ध है।

12. संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रम

संस्थान/संरचना

पशु हाउस प्रयोगशाला

5.6. नाईपर हाजीपुर

नाईपर हाजीपुर ने मेटंट संस्थान राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरएमआरआईएमएस), पटना के अंतर्गत वर्ष 2007 में कार्य प्रारंभ किया। शासक मंडल, संचालन समिति की अनुपस्थिति में, सचिव (औषध) की अध्यक्षता में नाईपर अहमदाबाद के प्रशासनिक कार्य की देख रेख की जाती है। वर्ष 2007 से आज की तारीख तक इसके निदेशक, डॉ. प्रदीप दास है।

1. उपलब्धियां

संस्थान को इसके आरंभ होने के बाद से 263 **छात्रों को मास्टर डिग्री प्रदान की गई है।**

2. संकाय और स्टाफ के ब्यौरे नीचे हैः

शैक्षणिकः 09 (संविदा पर)

गैर शैक्षणिकः 10 (संविदा पर)

3. पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल निधि का आवंटन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल निर्मूक्ति
2013 - 14	3.70	3.50	3.50
2014 - 15	4.00	4.00	4.00
2015 - 16	6.00	6.00	6.00
2016 - 17	6.00	5.00	5.00

4. छात्र:

दाखिला की स्थिति के साथ प्रस्तावित डिग्रीयां / कार्यक्रम तथा प्रस्तावित विषय (वर्ष के साथ)

एमएस / एमबीए / एम टेक / पीएचडी	विषय	प्रवेश छात्रों की संख्या	
		2015-16	2016-17
एमएस फार्मा	जैव प्रौद्योगिकी	04	10
एमएस फार्मा	फार्माकोइन्फ़ोर्मेटिक्स	08	13
एम फार्मा	फार्मेसी प्रैक्टिस	13	11
पीएचडी	जैव प्रौद्योगिकी	03	03
पीएचडी	फार्मेकोइंफोर्मेटिक्स	01	01
पीएचडी	फार्मेसी प्रैक्टिस	02	02

5. शिक्षक-छात्र अनुपात 1:10

6. नियोजनीयता/ नियोजन की स्थिति:

नाईपर हाजीपुर से पास होने वाले अधिकांश छात्रों को उपयुक्त स्थानों पर नौकरी मिल गई है।

विषय में रैंकिंग यदि कोई : उपलब्ध नहीं है।

7. शिक्षक

(i) संकाय को मान्यता: संस्थान के संकाय को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। वे विश्वविद्यालयों की परीक्षा में परीक्षकों और मौखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किए गए हैं।

(ii) सहकर्मी समीक्षा प्रणाली: संकाय के प्रदर्शन का वार्षिक आधार पर देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। संकाय के रोजगार का वार्षिक अनुबंध उसी आधार पर नए सिरे से किया जाता है।

8. अनुसंधान

इस संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी, फार्माकोइनफॉर मेटिक्स, फार्मासी प्रेक्टिस, कैंसर, एचआईवी, लिममेनियासिस और टीआरएनए संशोधन और प्रोटिन संश्लेषण में उनकी भूमिका के क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाता है।

9. नाईपर का प्रभाव

नाईपर का प्रभाव: नाईपर हाजीपुर ने तीन विषयों अर्थात्, जैव प्रौद्योगिकी, फार्माकोइन्फ़ोर्मेटिक्स और फार्मेसी प्रैक्टिस में सफलतापूर्वक 263 छात्रों को शिक्षित किया है, जो या तो अलग-अलग दवा उद्योगों में कार्यरत हैं या दुनिया भर में अलग-अलग संस्थानों या विश्वविद्यालयों में अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्व छात्र कई अलग-अलग संस्थानों में शिक्षण संकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं।

संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

5.7. नाईपर, हैदराबाद

नाईपर हाजीपुर ने मेटंट संस्थान राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरएमआरआईएमएस), पटना के अंतर्गत वर्ष 2007 में कार्य प्रारंभ किया। शासक मंडल, संचालन समिति की अनुपस्थिति में, सचिव (औषध) की अध्यक्षता में नाईपर अहमदाबाद के प्रशासनिक कार्य की देख रेख की जाती है। डॉ. एस चन्द्र शेखर, निदेशक सीएसआईआर-आईआईसीटी इसके 03 नवम्बर, 2016 से अब तक परियोजना निदेशक है।

1. उपलब्धियां

उत्तीर्ण स्नातोत्तर छात्र	:	598
पीएचडी पाठयक्रम के छात्र	:	71
प्रदान डाक्टोरेल डिग्री	:	10
पेटेंट (दायर)	:	07
अनुसंधान प्रकाशन	:	➢300
स्वीकृत बाहरी प्रयोजना अनुसंधान परियोजना	:	18

पिछले चार वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुल आवंटन।

(राशि करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	कुल निर्मुक्त राशि
2013-14	25.00	23.00	23.00
2014-15	22.00	14.00	14.17
2015-16	35.00	35.00	35.00
2016-17	35.00	-	35.00

2. शिक्षक - छात्र अनुपात

संकाय : छात्र अनुपात ~1:12

3. नियोजनीयता/ नियोजन की स्थिति:

नोवर्टिस, बायोकॉन, डा. रेड्डी, जीवीके, माइलान, अस्ट्राजेनेका, शसुन, लुपिन, अरविंदो बायोलाजिकई आदि जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने कैम्प चयन/नियोजन में भाग लिया। पिछले कुछ वर्षों में कैम्पस छात्रों के नियोजन की प्रतिशत स्थिति प्रकार है

वर्ष	2011	2012	2013	2014	2015	2016
कैंपस में नियोजन (प्रतिशत में)	91	88	85	82	82	80

4. शिक्षक

संस्थान में कुछ प्रतिभावन और समर्पित संकाय सद्सय है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से आए है। वैज्ञानिक अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थान के चार संकाय सदस्यों को एपी अकादमी ऑफ साइंसेस का एसोसिएट फेलो प्रदान किया गया

समकक्ष समीक्षा प्रणाली

संकाय सदस्यों के निष्पादन का आकलन आवधिक आधार पर किया जाता है। आकलन छात्रों के फीडबैक, शोध गतिविधियों के आउटपुट और संस्थानिक विकास में योगदान पर आधारित होता है।

5. अनुसंधान

सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र : फोकस एरिया : कैंसर, मधुमेह, एंटी इंफेक्टिव

- ✓ नई रासायनिक इकाइयों की डिजाइन एवं संश्लेषण
- ✓ स्क्रीनिंग जांच का विकास
- ✓ प्रक्रिया का विकास तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन
- ✓ नवीन औषधि डिलीवरी प्रणालियां अर्थात औषधि डिलीवरी में नैनो प्रौद्योगिकी
- ✓ जैव विश्लेषण की नई विधियों का विकास
- ✓ औषधि चयापचय और फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन

पुरस्कार

(क) एनईयूआरओडीआईएबी द्वारा **(**मधूमेह न्यूरोपैथी अध्ययन सूमह**)-** 2016 एन्जिलिका बायराऊस अवार्ड 2016

(ख) तेलंगाना एकादमी ऑफ साइंस द्वारा तेलंगाना अकदमी ऑफ साइंस के सहायक फेलो

(ग) फार्मास्यूटिकल्स श्रेणी में आर. वी. पाटील फार्माइनोवा बेस्ट रिसर्च गाइड अवार्ड

6. नवाचार / ज्ञान अंतरण

(i) पेटेंट एवं वाणिज्यीकरण - 7 पेटेंट दायर

(ii) उद्योग से अर्जित अनुसंधान आय - 33 लाख

(iii) प्रति संकाय प्रशस्ति पत्र - प्रति संकाय औसतन 440 प्रशस्ति पत्र

7. नाईपर का प्रभाव : भेषज विज्ञानों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करके उत्कृष्ट मानव संसाधन का सृजन जो भेषज उद्योग के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के फोकस क्षेत्रों पर बल देकर उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान के रूप में काम कर रहा है। फार्मा क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए शैक्षिक एवं औद्योगिक साझेदारियों का निर्माण कर रहा है।

2. संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन

दिनांक	गतिविधि का नाम	लक्ष्य समूह
9 जुलाई, 2016	औषध विज्ञान में 'भावी प्रवृत्तियों पर कार्यशाला'	शैक्षिणिक
12 और 13 अगस्त, 2016	नाईपर, हैदाराबाद में बल्क औषध और सम्मिश्रण विनिर्माण में गुणवत्ता प्रबंधन	शैक्षिणक और उद्योग

5.8. नाईपर कोलकत्ता

नाईपर, कोलकत्ता, वर्तमान में भारतीय रसायनिक जीव विज्ञान संस्थान (आईआईसीबी)- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंस्थान परिषद (सीएसआईआर), भारत के प्रमुख संस्थान में स्थित है, जो कि मेंटर संस्थान है। शासक मंडल और स्थायी समिति की अनुपस्थिति में, सचिव (औषध) की अध्यक्षता में संस्थान के प्रशासनिक कार्य की देख रेख की जाती है। डॉ. बी रविचंडीरन, निदेशक **6.7.2015** से संस्थान के निदेशक है।

1. आज तक की उपलब्धिः

स्थापना से आज तक, **325** छात्रों स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इनमें से, **220** कंपनियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में काम कर रहे है। सात बैचों में से **66** छात्र संस्थान में पीएचडी कर रहे है जिनमें से **12** छात्र विदेशों में है, तथा **12** को डिग्री मिल गई है।

2. विगत 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

(रुपए करोड़ में)

.	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल निर्मुक्ति
2013-14	04.50	04.50	04.40
2014-15	05.00	04.38	04.38
2015-16	08.00	08.00	06.30
2016-17	08.00	08.00	08.00

3. शिक्षक-छात्र अनुपात : 1:11

छात्र शिक्षण के तरीके और उनके द्वारा किए जा रहे परियोजना कार्य संतुष्ट है।

4. नियोजनीयता / नियोजन की स्थिति:

(i) कैंपस चयन / नियोजन में वर्षवार भाग लेने वाली कंपनियां : शुरूआत से छात्रों की भर्ती के लिए 14 फार्मा कंपनियां नाईपर, कोलकाता में आई।

(ii) में नियोजन की स्थिति : **कैंपस में / कैंपस के बाहर :** अधिकांश छात्र उद्योगों, कालेजों तथा शोध संस्थानों में समाहित हो गए हैं। कई छात्र देश में और विदेशों में भी उच्चतर अध्ययन कर रहे हैं। नियोजन के लिए छात्रों की पसंद के अनुसार कंपनियों में तथा शिक्षण एवं उच्च अध्ययन केंद्रों में इन छात्रों के लिए नियोजन प्राप्त किया गया।

विगत दो वर्षों के दोरान नियोजन की स्थिति		
एम.एस (फार्मा)		
वर्ष (बैच)	**छात्रों की कुल संख्या**	**निर्मुक्ति छात्रों की संख्या**
2013-2015 (7th)	49	20
2014-2016 (8th)	42	29

5. समकक्ष समीक्षा प्रणाली: 28 और 29 अप्रैल, 2016 से आयोजित की गई।

6. अनुसंधान

क. सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र : सिंथेटिक और पादप आधारित औषधि खोज, प्रतिरक्षण विज्ञान तथा प्रतिरक्षण नैदानिकी, सेलुलर और मोलक्यूलर जैविकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी और मोनोक्लोनल एंटी बाडी प्रौद्योगिकी, नई औषधि डिलीवरी प्रणालियां, रसायन एवं जैव रसायन प्रक्रिया प्रौद्योगिकी आदि।

ख. अनुसंधान प्रकाशन / संस्था तथा प्रति संकाय और उच्च प्रभाव कारक : एमएस (फार्मा) छात्रों के परियोजना कार्य से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 35 शोध पेपर छपे हैं।

7. पुरस्कार:

i. **यूनिवर्सिटी टेक्नोलोजी पेट्रोनस (यूटीपी) स्थित डॉ. वी. रविचंडीरन को सर्टिफिटेक ऑफ एचीवमेंट गोल्ड एवार्ड से सम्मानित किया गया।**

ii. **यूनिवर्सिटी टेक्नोलोजी पेट्रोनस (यूटीपी) स्थित डॉ. वी. रविचंडीरन को सर्टिफिकेट ऑफ रिसर्च एवार्ड से भी सम्मानित किया गया।**

8. पेटेंट एवं वाणिज्यीकरण: शून्य

9. नाईपर का प्रभाव:

i. कुल 325 छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
ii. 220 छात्र कंपनियों / संस्थाओं में काम कर रहे हैं।
iii. 35 शोधपत्र प्रकाशित किए गए।

10. संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशाला:-

दिनांक	**गतिविधियों का नाम**	**लक्ष्य समूह**
28 मई,2016	वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक (एसएसी)	संस्थागत
20 जून,2016	नाईपर कोलकत्ता और संस्तागत भागीदार बैठक	सभी छात्रों एवं स्टाफ के लिए
21 जून,2016	योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अनुपालन	सभी छात्रों एवं स्टाफ के लिए
21 जून,2016	सेमिनार • रोड़ आइलैंड विश्वविद्यालय में औषध अनुसंस्थान कार्यक्रम और अवसंरचना • प्रकृतिक उत्पादों से न्यूट्रिकल्स	सभी छात्रों एवं स्टाफ के लिए
25 जुलाई से 5 अगस्त, 2016	नाईपर, कोलकत्ता के फार्मेसी के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए बायोलोजिकल की गुणवत्ता नियंत्रण पर राष्ट्रीय कौशल विकास और हैन्ड्ज-ओन प्रशिक्षण	सभी छात्रों के लिए
29th – 30th जुलाई, 2016	टीयू एंड पीपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला	सभी छात्रों एवं स्टाफ के लिए
18 अगस्त , 2016	दुलर्भ रोग पाठ्यक्रम पर प्रारंभ कार्यक्रम	सभी छात्रों के लिए

5.9. नाईपर, रायबरेली

नाईपर. रायबरेली ने मेंटर संस्थान केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) लखनऊ नाईपर रायबरेली के तहत वर्ष 2007-08 में कार्य प्रारंभ किया। शासक मंडल और स्थायी समिति की अनुपस्थिति में, सचिव (औषध) की अध्ययता में संस्थान का प्रशासनिक कार्य की देख-रेख की जाती है। डॉ. स्वर्ण जीत सिंह फ्लोरा 1 नवम्बर 2016 से अब तक इसके निदेशक है।

1. उपलब्धिः

संस्थान के प्रारंभ से कुल **222** छात्र उत्तीर्ण हुए है।

2. शैक्षिक/गैर-शैक्षिक स्टाफ:-

पद	स्वीकृत पद	रिक्त
निदेशक	01	00

*जनशक्ति-शैक्षिक			
	संकाय सदस्य की स्थिति	रिक्त	कुल
कुल	**07**	**01**	**08**

*जनशक्ति गैर-शैक्षिक			
विभाग	स्थिति	कार्यरत	रिक्त
कुल		**18**	**03**

*संस्थान वार्षिक संविदा के आधार पर शिक्षक/स्टाफ की भर्ती करता है।

3. विगत चार 4 वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल राशि:-

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल निर्मुक्ति
2013-14	4.50	4.70	4.50
2014-15	15.00	4.45	4.45
2015-16	7.00	5.50	5.50
2016-17	7.00	6.25	6.25

4. छात्र:-

दाखिला की स्थिति के साथ प्रस्तावित डिग्रियां/कार्यक्रम तथा प्रस्तावित विषय (वर्ष के साथ)

एम.एस (फार्मा)	**दाखिल छात्रों की संख्या**	
	2015-16	**2016-17**
चिकित्सा रसायन	17	16
फार्मास्यूटिक्स	13	13
फार्माकोलोजी एंड टोक्सोकोलोजी	06	06

नाईपर रायबरेली में अब तक एम. एस (फार्मा) में दाखिल और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या

क्र.सं.	**बैच**	**दाखिल छात्रों की एम. एस. (फार्मा) में विषय संख्या**			**छात्रों की कुल संख्या**			
		चिकित्सा रसायन	**फार्मासयूटिक्स**	**पी एंड टी**	**दाखिल हुए**	**छोड़ दिया**	**उत्तीर्ण**	**अनुत्तीर्ण**
1	2008-10	10	10	-	20	-	20	-
2	2009-11	14	14	-	28	-	28	-
3	2010-12	15	15	-	30	-	30	-
4	2011-13	16	15	-	31	-	31	-
5	2012-14	16	16	7	39	02	37	-
6	2013-15	18	15	6	39	-	38	01
7	2014-16	19	13	6	39	01	38	-
8	2015-17	19	14	6	39	03	जारी	-
9.	2016-17	16	14	6	36	01	जारी	-
	Total	**143**	**126**	**31**	**300**	**07**	**222**	**01**

5. **शिक्षक- छात्र अनुपात** 1:10

6. **नियोजनीयता / नियोजन की स्थिति:**

विगत दो वर्ष के दौरान प्लेसमेंट स्थिति

बैच	**वर्ष**	**छात्रों की कुल संख्या**	**निर्मुक्ति छात्रों की संख्या**
6 **वां**	2013-15	39	15
7 **वां**	2014-16	38	16

7. शिक्षक:-

1. संकाय की पहचान = अनउपलब्ध

2. समकक्ष समीक्षा प्रणाली – छात्रों से फीडबैक प्राप्त करके शिक्षकों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

8. अनुसंधान

अनुसंधान प्रकाशन

वर्ष	**कुल प्रकाशन**
2010-11	02
2011-12	02
2012-13	04
2013-14	09
2014-15	08
2015-16	04

9. नाईपर का प्रभाव

- औषध विज्ञान .में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के माध्यम द्वारा उत्कृष्ट मानव संसाधन सृजित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के विश्वसनीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा एक उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्य करना।

10संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम/ कार्यशाला:-

दिनांक	18 -19 **मार्च** 2016
कार्यक्रम का नाम	8 नाईपर (आरबीएल) – सीएसआईआर-सीडीआरआई संगोष्ठी

11 दिसम्बर, **2015** को **5**वें और **6**वें बैच छात्रों का तीसरा दीक्षांत समारोह

18 – 19 मार्च, 2016 को आयोजित 8वीं नाईपर (आरबीएल)-सीएसआईआर-सीडीआरआई संगोष्ठी

डॉ. एस.जे.एस. फ्लोरा, निदेशक, नाईपर रायबरेली, के साथ स्टाफ और छात्र

6

अध्याय

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

6.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
6.2 औषध पीएसयू संबंधी मंत्रिमंडलीय टिप्पणी
6.3 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)
6.4 हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल)
6.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (केएपीएल)
6.6 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)
6.7 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आरडीपीएल)

अध्याय 6
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यम (सीपीएसई) आते हैं। पांच में से तीन, अर्थात् इंडियन ड्रग ऐंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल कैमिकल्स ऐंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) रुग्ण हैं और इन्हें औद्‌योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर किया गया है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) ने वर्ष 2013-14 के दौरान पहली बार घाटा दर्ज किए जाने की सूचना दी है। केवल कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) ही लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई है।

(2015-16 की स्थिति के अनुसार)

	एचएएल	**आईडीपीएल**	**आरडीपीएल**	**बीसीपीएल**	**केएपीएल**
स्थापित	1954	1961	1978	1980 राष्ट्रीकृत	1981
श्रेणीकरण	रुग्ण	रुग्ण	संभावित रुग्ण	रुग्ण	लाभ अर्जक
निवल मूल्य (करोड़ में)	-488.10	- 7147.23	-24.65	-184.60	127.81
कारोबार (करोड़ में)	15.12	84.22	36.53	88.19	326.90
प्रचालनात्मक लाभ /हानि (करोड़ में)	-52.43	11.33	-13.50	13.33	33.97
देनदारियां (करोड़ में)	1250	10779.20	121.05	230.55	9.06
बीआईएफआर को संदर्भित	1997	1992	नहीं	1992	लागू नहीं
कर्मचारियों की संख्या	2000 (1997 में)	11000 (1992 में)	191 (2013 में)	1467 (1992 में)	
आज की स्थिति में कर्मचारी	1010	42	152	332	712

अधिकारी स्तर	250	7	52	70	239
कर्मचारी स्तर	760	35	100	262	473
पहले वीआरएस दी गई	2007- 485 कर्मचारी	1992 - 4000 2003 - 6000	शून्य	2006 - 2016 180 कर्मचारी	2015 2 कर्मचारी
कुल भूमि	267 एकड़	2003 एकड़	9.35 एकड़	72.89 एकड़	37.34 एकड़
पट्टाधारिता	शून्य	1022 एकड़	9.35 एकड़	1.10 एकड़	शून्य
फ्रीहोल्ड	267 एकड़	981 एकड़	शून्य	71.79 एकड़	37.34 एकड़

वर्ष 2016-17 के दौरान सीपीएसई के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए की गई पहलें इस प्रकार हैं:

1. कार्य-निष्पादन प्रबंधन - सीपीएसई के कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा - सभी सीपीएसई की कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।
2. फार्मा पार्क का विकास - आईडीपीएल, हैदराबाद / आईडीपीएल ऋषिकेष/ आईडीपीएल चेन्नई में फार्मा पार्क के मामले पर भारत सरकार विचार कर रही है।
3. आरडीपीएल में डब्ल्यूएचओ-जीएमपी की स्थिति - कम्पनी ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज करने और साथ ही भारत सरकार एवं अन्य सरकारों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं में सहभागिता हेतु पात्र बनने के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमपी हेतु गुणवत्ता के लिए विस्तार, आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यक्रम (चरण-II) शुरू किया है।
4. बीसीपीएल - आयंटमेंट एवं बेटालेक्टम ब्लाक तथा पानीहाटी परियोजना को पूरा कर लिया गया है जबकि सेफालेसपोरिन ब्लॉक निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, ओएसडी परियोजना एवं एएसवीएस परियोजना चालू की जा रही है।

6.2 औषध पीएसयू पर मंत्रिमंडल का निर्णय

दिनांक 27.04.2016 को मंत्रिमंडल द्वारा एचएएल की बढ़ती देयताओं को पूरा करने के लिए एचएएल की अधिशेष और रिक्त भूमि के भाग की बिक्री के लिए पुनरूद्धार प्रस्ताव पर विचार किया गया था। मंत्रिमण्डल ने प्रस्ताव पर विचार करते हुए निदेश दिया था कि निम्नलिखित मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र की सभी औषध कम्पनियों की स्थिति की विस्तृत रूप से जांच करें और आगे की कार्रवाई के संबंध में सुझाव दें:

(i) वित्त मंत्री; कोर्पोरेट कार्य मंत्री; और सूचना और प्रसारण मंत्री;

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री; और पोत परिवहन मंत्री और

(iii) रसायन एवं उर्वरक मंत्री

वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग और रसायन एवं उर्रवक मंत्रालय ने दिनांक 19.05.2016, 19.12.2016 और 20.12.2016 की अपनी बैठकों में सार्वजनकि क्षेत्र मे सभी औषध कंपनियों की स्थिति की विस्तार से जांच की है ओर यह नोट किया है कि केएपीएल के अलावा, सभी पीएसयू रूग्ण है या प्रारंभिक अवस्था मे रूग्ण है। आईडीपीएल, बीसीपीएल और एचएएल को रूग्ण घोषित किया गया था और औपचारिक रूप से क्रमशः 1992, 1993 और 1997 को बीआईएफआर को भेजा गया था। आईडीपीएल, एचएएल और बीसीपीएल के पहले के पुनरूद्धार/पुनर्वास पैकेज वांछनीय परिणाम प्राप्त करने में असफल हुए है। आरडीपीएल में अक्तूबर, 2016 में संयंत्र में आग लगने के पश्चात उत्पादन कार्य बंद हो गया है। एचएएल और आरडीपीएल इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी कर सकें। इन सभी कंपनियों के पास व्यापक भूमि सम्पत्ति है।

व्यापक परिचर्चा के पश्चात्, मंत्रियों ने निम्नलिखित सिफारिशें की:

(i) एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की देनदारियों के चुकाने के लिए यथावश्यक मात्रा में इनकी अधिशेष भूमि की बिक्री खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सरकारी एजेन्सियों को की जाए। इन पीएसयू को बंद किए जाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/ स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) भी कार्यान्वित किया जाए। शेष भूमि का प्रबंधन निवेश विभाग एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन/लोक उद्‌यम विभाग के यथासंबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यकता हो तो इसे विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के लिए विहित किया जाए।

(ii) देनदारियों को चुकाने, तुलनपत्र को निर्बाध करने और वीआरएस/वीएसएस को प्रभावी करने के पश्चात् विभाग आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद कर दे और तथा एचएएल एवं बीसीपीएल को रणनीतिक रूप से बेच दे।

(iii) पीएसयू को बंद करने का निर्णय लेते समय, यह विभाग यथाव्यवहार्यता अनुसार निजी भागीदारी के लिए एचएएल और आईडीपीएल की अनुषंगी कम्पनियों को अलग करने की संभावना की भी खोज करे।

मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को आयोजित इसकी बैठक में मंत्रियों की उपर्युक्त सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया।

6.3 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आईडीपीएल)

पृष्ठभूमि

औषध तथा भेषज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने, विशेषकर आवश्यक जीवन रक्षक औषधों तथा दवाइयों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्राथमिक उद्देश्य से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आईडीपीएल) को 5 अप्रैल 1961 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय डुंडेहर, गुड़गांव में अवस्थित है और इसका प्रधान कार्यालय स्कॉप कॉम्पलेक्स लोधी कालोनी, नई दिल्ली में है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों के मामले में आत्मनिर्भरता सृजित करना, देश की आयात पर निर्भरता से मुक्त करना और करोड़ों लोगों को वहनीय मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध करवाना था। आईडीपीएल को मूल रुप से स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के भाग के रुप में परिकल्पित और स्थापित किया गया था और इसने भारतीय औषध उद्योग आधार की संवृद्धि में प्रमुख अवसंरचनात्मक भूमिका निभाई है।

आईडीपीएल के तीन मुख्य संयंत्र ऋषिकेश (उत्तराखंड), गुड़गांव (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) में और पूर्ण स्वामित्व वाली दो शत प्रतिशत अनुषंगी कंपनी, नामत:, आईडीपीएल (तमिलनाडू) लि. चेन्नै (तमिलनाडू) और बिहार ड्रग्स एवं ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (बीडीयूसीएल), मुजफ्फरपुर (बिहार) में है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य सरकार के साथ एक संयुक्तउद्यम,नामत: उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (ओडीसीएल), भूवनेश्वर है। आईडीपीएल, रुग्ण कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के अभिप्राय के अंतर्गत सार्वजनिक खेत्र की एक रुग्ण कंपनी है।

पूर्व की उपलब्धियां

आईडीपीएल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं था अपितु भेषजों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और केन्द्र सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना था। इस तथ्य के बावजूद कि यह निम्न मार्जिन उत्पादों का उत्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत और अखंड उद्यम था, के आईडीपीएल ने इस क्षेत्र में यथोचित रुप से अच्छा प्रदर्शन किया। आईडीपीएल ने वर्ष 1965 से 1968 तक और फिर वर्ष 1971 से 1974 तक अव्मूल्यन, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी) अर्जित किया। इसने वर्ष 1974 से 1979 तक लगातार पांच वर्षों तक निवल लाभ अर्जित किया; कंपनी की लाभप्रदाता मुख्यत: औषध उद्योग को आपूर्तिकरने के लिएबल्क औषधियों के आयात के संबंध में सरकारी नीति में परिवर्तन करना था। जो आयात पूर्वमें वर्ष 1979तक आईडीपीएल के माध्यम से किया जाता था, उसे राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) को सौंप दिया गया। यह कार्य समय की आवश्यकतानुसार आईडीपीएल को अनुदेशित किया गया था। इस प्रकार आईडीपीएलसेएक लाभ अर्जक क्षेत्र छीन लिया गया। आज, यह अनिवार्य दवाइयों की आपूर्ति कर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की रिक्तियों को भरने की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

<u>रुग्णता और पुनरुत्थान यदि कोई</u>

आईडीपीएल साठ के दशक के पुराने मॉडलों पर कार्य करता रहा, जिसने अस्सी के दशक तक अपनी प्रासंगिकता खो दी। इस परिस्थिति में, आईडीपीएल का निवल मूल्य वर्ष 1982-83 में ऋणात्मक हो गया। इसके कारण थे-

(i) रसायन, बल्क औषध एवं फार्मूलेशन उत्पादन करने वाली विशाल एकश्म प्रकारकी एकीकृत उत्पादन सुविधाएं (वर्ष 1950 से 1980 के दशक में आमतौर पर अपनाया गया मॉडल)

(ii) पुराने संयंत्र एवं मशीनरी और बल्क औषध की पुरानी प्रौद्योगिकी (परंतु फॉर्मूलेशन के लिए पुराना नहीं)

(iii) मानव शक्ति आधिक्य (वर्ष 1983-84 में 13283) और उच्च मजदूरी बिल और एक बड़े टाउनशिप, स्कूल, और अस्पतालों का अनुरक्षण

(iv) शीर्ष प्रबंधन स्तर पर बार-बार परिवर्तन (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश का औसत कार्यकाल 18 महीना)

(v) आईडीपीएल द्वारा उत्पादित दवाइयों के मूल्य वर्ष1991के उदारीकरण के दौर तक मूल्य निय्रंत्रण के अधीन थे

(vi) सरकारी नीति में परिवर्तन परिणामस्वरुप माध्यम एजेंसी आईडीपीएल से एसटीसी हो गई

(viii) निजी फार्मा क्षेत्र कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा जिनके ऊपर टाउनशिप स्कूल, अस्पताल इत्यादि सामाजिक अवसंरचना स्थापित करने और अनुरक्षण करने का भार नहीं था और उनके पास कम बोझिल उत्पादन सुविधाएं थी। कार्यशील पूंजी के अभाव में ऋषिकेश, हैदराबाद और मुजफ्फरपुर संयंत्र में अक्तूबर 1996 में उत्पादन बन्द हो गया।

<u>दिनांक 01.04.1994 से पुनरुद्धार स्थिति</u>

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने दिनांक 12 अगस्त 1992 को आईडीपीएल को एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रुप में घोषित किया। दिनांक 10.02.1994 को बीआईएफआर ने दिनांक 01.04.1994 से कार्यान्वयन के लिए एसआईसीआर की धारा 17(2) के अंतर्गत पुनर्वास स्कीम अनुमोदित कर दी। वर्ष 1994 में बीआईएफआर द्वारा मंजूर किया गया पैकेज मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से विफल हो गया - (i) यथा परिकल्पित पूरी निधि कंपनी को जारी नहीं की गई (ii) पूंजीगत पुनर्संचना नहीं की गई (iii) बैंकों ने पर्याप्त आवश्यक कार्यशील पूंजी प्रदान नहीं की (iv) कार्यशील पूंजी निधियों को अनुषंगी इकाइयों के स्थायी व्यय को पूरा करने के लिए दे दिया गया। (v) भूमि नहीं बेची जा सकी (vi) अत्यधिक महत्वाकांक्षी बिक्री लक्ष्य तय किए गए। दिनांक 23.11.1996 को, बीआईएफआर ने पुनरुत्थान पैकेज के तकनीकी आर्थिक विश्लेषण और इसे तैयार करने हेतु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक (आईडीबीआई) को प्रचालन एजेंसी (ओए) के रुप में नियुक्त किया। कंपनी के पुनरुत्थान का मुद्दा बीआईएफआर और सरकार के पास लंबित रहा। वर्ष 2001-02 में कंपनीका निजीकरण करने का प्रयास किया गया। तथापि, ओए ने किसी प्रस्ताव को बीआईएफआर के पास भेजने के लायक नहीं समझा।

आईडीपीएल को निजीकृत करने में विफल होने के पश्चात, बीआईएफआर ने दिनांक 04.12.2003 को इसे बंद करने का आदेश दिया। एएआईएफआरने दिनांक 02.08.2005 को सरकार द्वारा दाखिल अपील को अनुमत किया और निदेश दिया कि आईडीपीएल के पुनरुत्थान का एक रोड मैप प्रस्तुत किया जाए। मंत्रालय/विभाग ने निदेशक, नाईपर की अध्यक्षता में एवं विशेषज्ञ समिति गठित की और समिति द्वारा संयंत्र और मशीनरी का तकनीकी ऑडिट किया गया, आईडीपीएल को पुनरुज्जीवित करना व्यवहार्य होगा। समिति ने पाया कि फॉर्मूलेशन के उत्पादन के संयंत्र एवं इसकी मशीनरी के हालात अच्छे हैं, जिसे स्कीम-एम अपेक्षाओं के अनुरुप न्यूनतम निवेश के साथ किफायती रुप में उपयोग किया जा सकता है। यह भी सलाह दी गई कि मौजूदा बाजार परिदृश्य में आईडीपीएल की उभरती स्थिति की अवधारणा बनाई जा सकती है। आईडीबीआई ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इन गतिविधियों के कारण एएआईएफआर ने दिनांक 04.12.2003 के बीआईएफआर के आदेश को रद्द कर दिया और आईडीपीएल के पुनर्वास के लिए आगे की कार्रवाई करने हेतु, और कानून के अनुसार अगले आदेशों हेतु इस मामले को वापस बीआईएफआर को भेज दिया।

आईसीआरए प्रबंधन के सलाह से आईडीपीएल ने एक डीआरएस तैयार की और विचारार्थ और सिफारिश हेतु बीआरपीएसई को भेज दी। बीआरपीएसई के अनुमोदन के पश्चात, और आर्थिक कार्य से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति के लिए एक नोट तैयार किया गया और अनुमोदनार्थ दिनांक 11.05.2007 को सौंप दिया। सीसीईए द्वारा दिनांक 17.05.2007 को आयोजित अपनी बैठक में इस नोट पर विचार किया गया और मामले को मंत्री समूह (जीओएम) के पास भेज दिया गया। जीओएम ने दिनांक 11.10.2007 को आयोजित अपनी बैठक में सलाह दी कि आईडीपीएल का पुनरुत्थान पैकेज जनहित के लक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए, और कंपनी की व्यवहार्यताको सुनिश्चित करते हुए होने चाहिए।ई एंड वाई रिपोर्ट मंत्रालय/विभाग को सौंप दी गई है।

आईडीपीएल द्वारा आईडीबीआई (ओए) के परामर्श से पुन: एक संशोधित डीआरएस तैयार की गई और अंतिम तिथि 31 मार्च,2011 रखी गई। बीआईएफआर की दिनांक 20.08.2014 को आयोजित बैठक में अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2014 रखी गई। तदनुसार, अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2014 मानते हुए एक संशोधित अद्यतित डीआरएस तैयार की गई और विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ जनवरी, 2015 में औषध विभाग/मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को आयोजित बैठक में भूमि की बिक्री करके इसकी देनदारियों को पूरा करने के पश्चात् 9 जनवरी, 2017 को आईडीपीएल को बंद करने की सिफारिश की।

<u>आईडीपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों</u>

आईडीपीएल (तमिलनाडु), चेन्नै

आईडीपीएल (तमिलनाडु), चेन्नै सितंबर, 1965 में निगमित की गई थी, जो आरंभ में एक सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट संयंत्र था और बाद में इसे फॉर्मूलेशन के उत्पादनके उपयोग, में लाया गया। वर्ष 1994 में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के अनुसार इस संयंत्र को दिनांक 01.04.1994 से आईडीपीएल (तमिलनाडू) लिमिटेड, चेन्नै के नाम व शैली से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रुप में रुपांतरित कर दिया गया। आईडीपीएल (तमिलनाडू) एक अनुसूची एम संयंत्र है और औषधि

फॉर्मूलेशनों के विनिर्माण का कार्य कर रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में इसने 10.28 करोड़ रुपए के मूल्य के उत्पादों का उत्पादन किया।

बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (बीडीओसीएल), मुजफ्फरपुर

बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर वर्ष 1979 में निगमित किया गया था और दिनांक 01.04.1994 से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। इस इकाई की संपूर्ण इक्विटी पूंजी आईडीपीएल द्वारा धारित है। वर्तमान में, नवंबर, 1996 से इस संयंत्र में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है।

उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (ओडीसीएल)(आईडीपीएल और उड़ीसा सरकार का एक संयुक्त उद्यम)

उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) वर्ष 1979 में निगमित हुआ था और सितंबर1983 में उत्पादन हेतु पूरी तरह से चालू हो गया। ओडीसीएल एक संयुक्त उद्यम उपक्रम है जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड (आईडीपीएल) और औद्योगिक प्रवर्तन एवं निवेश कॉरपोरेट ऑफ उड़ीसा (आईपीआईसीओएल) द्वारा प्रवर्तित है। आईडीपीएल की शेयरधारिता 51% है और आईपीआईओसीएल की 49%। बीआईएफआर ने एसआईसीए अधिनियम,1985 के अंतर्गत अप्रैल 2003 में परिसमापन आदेश पारित किया। उड़ीसा उच्च-न्यायालय ने अस्थायी परिसमापक नियुक्त किया था। इस आदेश पर उड़ीसा की बड़ी पीठ ने रोक लगा दी। ओडीसीएल इस समय टेबलेट, कैप्सूल, पावडर, ओआरएस और इंजेक्टिबल इत्यादि के रुप में औषधि फॉर्मूलेशन का निर्माण कर रही है। ओडीसीएल संयंत्र एक अनुसूची-एम अनुपालक संयंत्र है और इसने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 21.50 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन किया जो ओडीसीएल का अब तक का सर्वाधिक था और इसका प्रचालनात्मक लाभ 145.50 लाख रुपए रहा।

ओडीसीएल संयंत्र के उत्पादन आंकड़ें
वर्ष 2004-05 से 2016-17 (दिसम्बर तक)

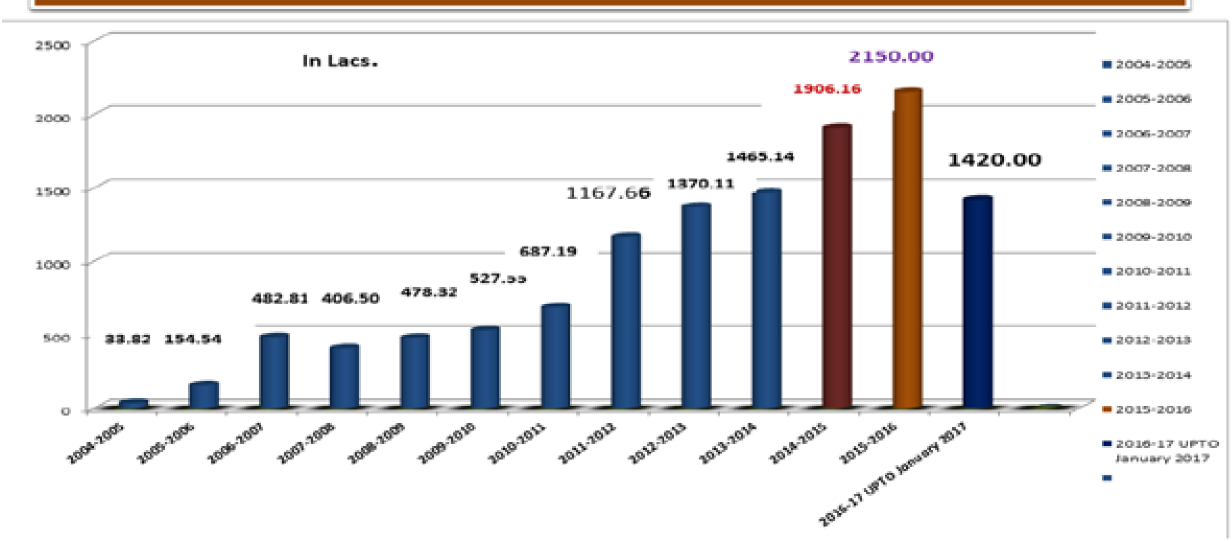

<u>आईडीपीएल टूडे</u> - वर्तमान में आईडीपीएल लगभग 130 फॉर्मूलेशनों का विनिर्माण कार्य कर रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान फार्मुलेशनों का आंतरिक उत्पादन 87.94 करोड़ रुपए और बिक्री 86.41 करो़ड़ रुपए रही।

उत्पादन एवं बिक्री कार्यनिष्पादन:

सरकार ने आईडीपीएल, ऋषिकेश, गुडगांव, आईडीपीएल (तमिलनाडु) चेन्नै और ओडीसीएल, भुवनेश्वर संयंत्रों के आधुनिकीकरण / अनुसूची-एम अनुपालन के लिए निधियां स्वीकृत की थी। सरकार ने हैदराबाद संयंत्र को कार्यात्मक बनाने के लिए भी 15.00 करोड़ रुपए की निधियां जारी की थी। यह संयंत्र लगभग तैयार हो चुका है और इसका उपयोग विभिन्न जीवन रक्षक दवाइयों जैसे एचआईवी, तपेदिक आदि के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह डब्ल्यूएचओ जीएमपी अनुपालन इकाई बनेगी जिससे इसको निर्यात बाजारों में प्रवेश करने में सहयोग मिलेगा। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के पश्चात् किया गया उत्पादन इस प्रकार है:-

पिछले वर्ष आईडीपीएल ने 88 करोड़ रुपए (लगभग) का रिकार्ड घरेलू उत्पादन किया

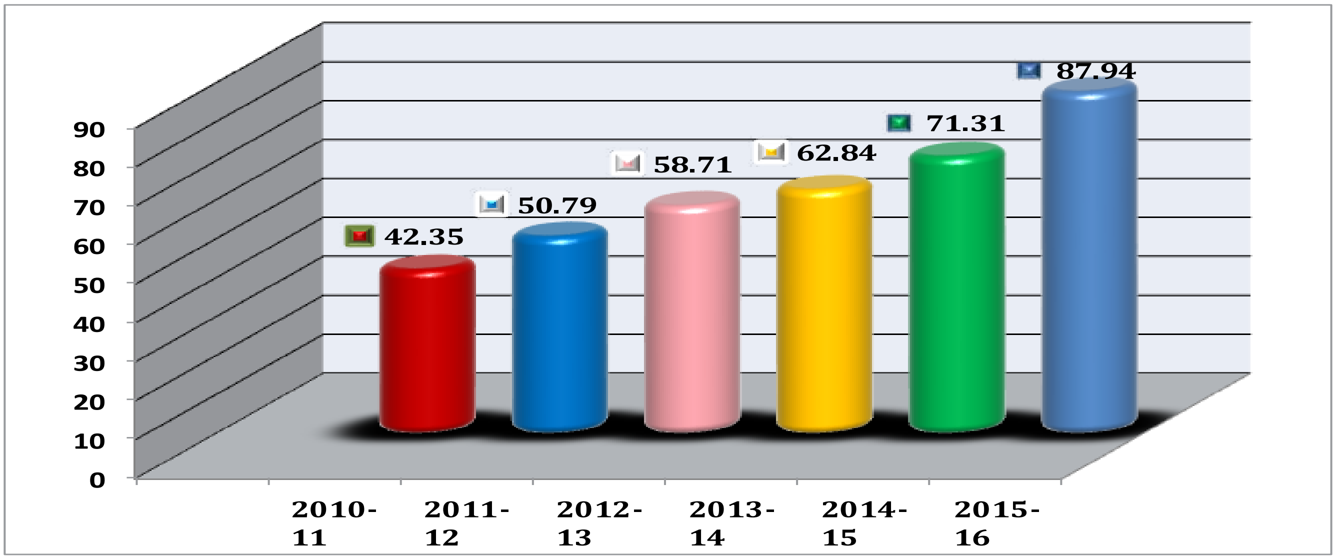

बिक्री:

बिक्री कार्यनिष्पादन कम्पनी की निरन्तर वृद्धि को दर्शाता है। आपूर्तियां समय से की जा रही हैं। आपूर्ति की प्रदानगी अवधि 30-40 दिनों की है परन्तु कई बार आईडीपीएल ने दवाइयों की आपूर्तियां प्रदानगी तिथि से काफी पहले की है और ग्राहकों ने इसकी सराहना की है।

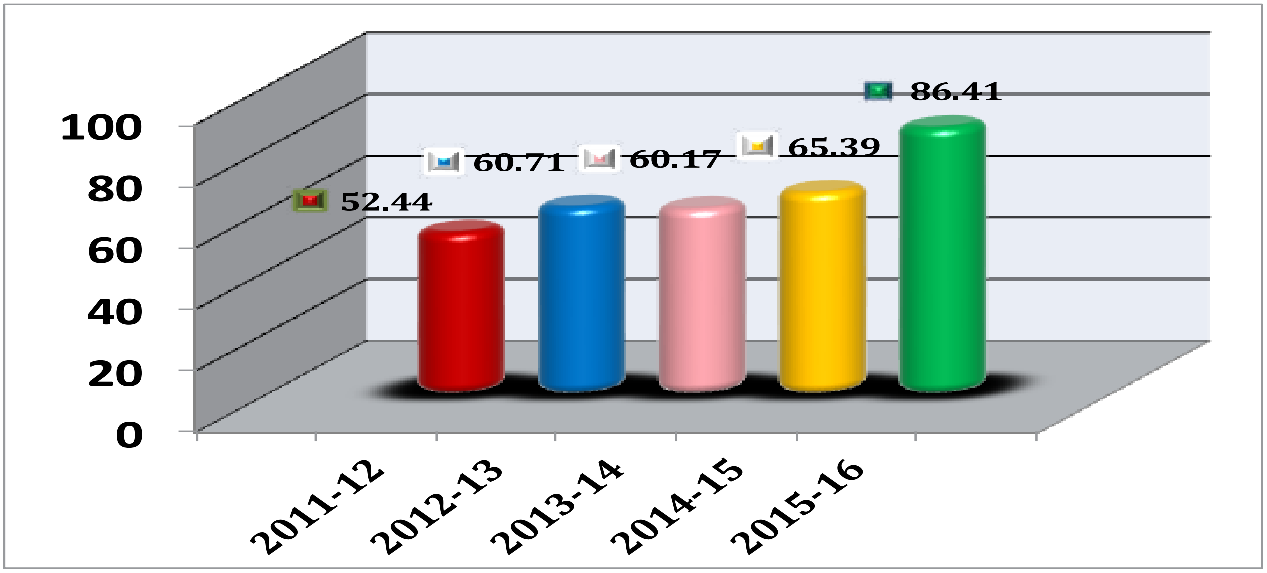

भारत सरकार के सहयोग से संयंत्रों का आधुनिकीकरण

आईडीपीएल संयंत्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर हैं। इसके गुडगांव और ऋषिकेश स्थित संयंत्रों का आधुनिकीकरण कार्य शीघ्र ही पूरा होने का अनुमान है। ऋषिकेश संयंत्र अब अनुसूची-एम अनुपालक और डब्लयूएचओ-जीएमपी अनुपालक है और इसे 4 उत्पादों के लिए सीओपीपी प्राप्त हुआ है। जबकि गुड़गांव संयंत्र भी गोली खण्ड के लिए अनुसूची-एम अनुपालक है। आईडीपीएल वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान हैदराबाद फॉर्मूलेशन इकाई को फिर से चालू करेगा।

उत्पादन प्रोफाइल और उत्पाद संख्या

वर्तमान में, आईडीपीएल करीब 90 उत्पादों (पीपीपी) एवं 25-30 उत्पादों (गैर पीपीपी) का उत्पादन कैप्सूल, टेबलेट, ड्राई सिरप, लिक्विड ओरल और इंजेक्शन स्वरुप में कर रहा है, जो मुख्यत: निम्नलिखित उपचारात्मक समूह के है: कीटाणुरोधी/रोगरोधी, दर्दनाशक/एंटीइंफ्लेमेंटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रिसपायरेट्री ट्रेक्ट, गर्भ निरोधक, विटामिन/खनिज, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, मलेरियारोधी, मधुमेहरोधी और हृदय रोग संबंधी।

शुरू किए गए नए उत्पाद: सेफिक्साइम 100 एमजी एवं 200 एमजी, सेफुरोक्सिम, एक्सेटिल 250एमजी एवं 500एमजी, एसेक्लोफेनेक 100 एमजी, एसेक्लोफेनेक 100 एमजी + पैरासिटामोल 500एमजी, ग्लिमप्राइड 1एमजी एवं 2एमजी, एटोरवैस्टाटिन 10एमजी एवं 20एमजी, सिपोराल 250 एमजी एवं 500 एमजी, मेटफॉर्मिन 500एमजी, पैंटोप्राजोल 40एमजी।

लोकप्रिय ब्रांड: डिकॉस सिरप, सकसी टेबलेट, सेबक्सिन जेड आईडीपीएल के लोकप्रिय ब्रांड है।

विपणन: संस्थाओं का हिस्सा और खुदरा: कंपनी केवल संस्थागत ग्राहकों और सरकारी विभागों को आपूर्ति कर रही है, जो पीपीपी पर अपना आदेश भेजते है। पीपीपी के अनुसार सरकारी संस्थाएं, एनपीपीए प्रमाणित मूल्यों पर 5 सीपीएसयू से 103 दवाइयां खरीद सकते है। आईडीपीएल के प्रमुख संस्थागत ग्राहक है- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा, रेलवे, राज्य सरकार/निगम और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अस्पताल जो अपना आदेश विभिन्न उपचारात्मक वर्ग के अंतर्गत भेजते हैं। उपर्युक्त के अलावा आईडीपीएल भारत सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में पूरी सहायता कर रही है।

वितरण नेटवर्क यदि कोई:- कंपनी देशभर में अवस्थित 19 डिपो (सीएंडएफए) के वितरण नेटवर्क के माध्यम से संस्थानों को अपने उत्पाद की बिक्री कर रहा है।

जनशक्ति

आईडीपीएल में 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों सहित दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर 45 नियमित कर्मचारी है और 136 कर्मचारी संविदा पर हैं। कंपनी को नियमित नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी गई है। कंपनी अपने उत्पादन, बिक्री और अन्य आवश्यक कार्यकलापों के दैनिक कार्यों की देखरेख के लिए सांविधिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर केवल संविदात्मक कर्मचारी नियुक्त करती है।

आईडीपीएल ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं जनसंख्या नियंत्रण (माला डी एवं माला एन) मलेरिया रोधी (क्लोरोक्विन) और डिहाइड्रेशन रोधी (ओआरएस) कार्यक्रम में गुणवत्तायुक्त दवाइयों की आपूर्ति कर एक प्रमुख भूमिका निभाई है। आईडीपीएल ने जेनरिक दवाइयों का निर्माण कर बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए स्वदेशी उत्पादन और कार्यकलापों को बढ़ावा दिया है। आईडीपीएल राष्ट्रीय आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़, भूकंप इत्यादि के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थितियों में सरकार को सहायता करती रही है। पिछले वर्ष, उड़ीसा, उत्तराखंड और जम्मू व कश्मीर में बाढ़ों के समय पर जीवन रक्षक औषधियों की आपूर्ति करके आईडीपीएल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आईडीपीएल ने समय पर जीवन रक्षक औषधियां प्रदान करके व्यापक योगदान दिया है।

6.4 हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसकी निगमन 1954 में किया गया था। इस कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय और विनिर्माण सुविधाकेन्द्र पिम्परी, पुणे में स्थित है। इस कम्पनी की स्थापना बल्क औषधियों और जीवन रक्षक दवाइयों एवं सम्मिश्रणों का विनिर्माण करने के लिए की गई थी। कई वर्षों के दौरान, कृषि और पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न नए उत्पादों का विनिर्माण किया गया और विनिर्माण के लिए जोड़ा गया। इस कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, इसकी अंशदान और चुकता शेयर पूंजी 71.71 करोड़ रुपए है।

उत्पादन एवं बिक्री:

(रुपए करोड़ में)

	2013-14	**2014-15**	**2015-16 (अनंतिम)***
उत्पादन	27.66	17.28	14.45
बिक्री टर्नओवर	30.11	18.54	15.12
निवल लाभ (नुकसान)	(84.23)	(70.55)	(74.68)

*अनंतिम

एचएएल अपने प्रचालनों को चलाने के लिए अपेक्षित कार्यशील पूंजी की कमी के कारण गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। कर्मचारियों का वेतन और कई सांविधिक भुगतान अर्थात् भविष्य निधि, उपदान, आयकर, बिक्रीकर भी बकाया है। कार्यशील पूंजीगत सुविधाएं भी बैंकों से नहीं आ

रही हैं क्योंकि कंपनी का खाता गैर निष्पादक परिसंपत्ति बन गया है। यह कम्पनी को वर्ष 1992 से घाटा हो रहा है और इसे वर्ष 1997 में रुग्ण घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2006 की 137 करोड़ रुपए की पुनर्वास योजना (80.63 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 56.96 करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण) सफल नहीं हुई।

670.46 करोड़ रुपए की राशि के दूसरे पुनर्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव किया गया। तथापि, मंत्रिमंडल ने इसकी अधिशेष और रिक्त भूमि की बिक्री सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकायों को करने को अनुमोदित किया। सरकार ने भी 307.23 करोड़ रुपए के केन्द्र सरकारी ऋणों की माफी,

वार्षिक रिपोर्ट-2016-17

128.68 करोड़ रुपए की राशि की देनदारियों को मोहलत देने और वेतन, मजदूरी और महत्वपूर्ण खर्चों के लिए तत्काल 100 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करने को मंजूरी दी। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी देनदारियों को चुकाने, वीआरएस/वीएसएस को लागू करने और इसके तुलन पत्र को निर्बंध करने के पश्चात् इस कम्पनी की रणनीतिक बिक्री की जाए।

उत्पादन:

पिछले वर्ष के 17.28 करोड़ रुपए की तुलना में, वर्ष 2015-16 के दौरान उत्पादन का कुल मूल्य 14.45 करोड़ रुपए रहा।

सेफालोस्पोरीन और पेन्सिलिन पाउडर इन्जेक्टेबल के अलावा, गोलियों, कैप्सूलों, कृषि उत्पाद (स्ट्रैप्टोसाइक्लिन) और नारकोटिक डिटेक्शन किट ने भी उत्पादन में योगदान दिया। कार्य पूंजी की कमी के कारण योजना के अनुसार बल्क और पैकिंग सामग्री की गैर-उपलब्धता के कारण क्षमता उपयोग और विभिन्न उत्पादों का उत्पादन प्रभावित हुआ था। 14.45 करोड रुपए के कुल उत्पादन में, पिछले वर्ष के 9.57 करोड़ रुपए की तुलना में स्ट्रैप्टोसाइक्लिन एकल उत्पाद का योगदान 10.95 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन 75.76%) रहा। नारकोटिक डिटेक्शन किट उत्पादन मूल्य 0.78 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन 5.4%) था।

चूंकि नवम्बर, 2015 में स्ट्रैप्टोसाइक्लिन पाउच के लिए नई उच्च गति वाली फॉर्म-फिल-सील मशीन शुरू की गई, स्ट्रैप्टोसाइक्लिन पाउच का उत्पादन 72 लाख पाउच/वार्षिक से बढ कर 180 लाख पाउच/वार्षिक हो गया।

<u>बिक्री</u>:

वर्ष के दौरान, इस कम्पनी ने पिछले वर्ष के 18.54 करोड़ रुपए के बिक्री कारोबार की तुलना में 1.51 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार किया। विपणन विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलापों को सफलतापूर्वक किया:

क) जन औषधि के तहत 100 लाख रूपए की लागत के फार्मुलेशनों की व्यापक रेंज का विनिर्माण एवं एनपीपीए को आपूर्ति।

ख) स्किन डि-कन्टेमिनेशन किटों और प्रशियन ब्लू गोलियों का विनिर्माण और इनकी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (एनमास), रक्षा स्थापना को आपूर्ति।

ग) नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को 75 लाख रूपए के मूल्य की नार्कोटिक किटों की आपूर्ति।

<u>सहयोगी कम्पनियां</u>

महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल) को बीआईएफआर द्वारा परिसमापन का आदेश दिया गया है और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) ने उक्त आदेश की पुष्टि कर दी है। एमएपीएल के कर्मचारी समूह द्वारा दाखिल रिट याचिका पर माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने एमएपीएल को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की आदेशानुसार एमएपीएल में स्वैच्छिक विच्छेद स्कीम (वीएसएस) को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों की सहायता से वीएसएस के तहत सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एचएएल के माध्यम से एमएपीएल के कर्मचारियों की शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए वर्ष 2005-06 में 8.5 करोड़ रूपए की योजनेतर ऋण राशि भी जारी कर दी है और राशि एमएपीएल के कर्मचारियों को वितरित कर दी गई है।

मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल) के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इसका प्रचालन बंद कर दिया गया है तथा एमएसडीपीएल बंद हो जाने के कारण इसके कर्मचारियों को मणिपुर सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के माध्यम से आवश्यक प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

6.5. कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (केएपीएल) लाभ अर्जन करने वाली एक संयुक्त क्षेत्र (भारत सरकार का 59% शेयर और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. के माध्यम से कर्नाटक सरकार का 41% शेयर) की कम्पनी है जिसे वर्ष 1981 में निगमित किया गया था। कंपनी का मूल उद्देश्य सरकार के अस्पतालों और अन्य संस्थाओं तथा साथ ही प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करवाना था। इस कंपनी के पास ड्राई पाउडर इन्जेक्टेबल, लिक्विड इन्जेक्टेबल, गोलियों, कैप्सूलों, ड्राई सिरप और सस्पेंशन्स के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित विनिर्माण सुविधाएं हैं। आज की स्थिति के अनुसार इस कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी 13.49 करोड़ रुपए है।

उत्पादन और बिक्री कार्यनिष्पादन:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2013-2014	275.73	241.59
2014-2015	281.81	274.24
2015-2016	342.01	326.92
2016-2017 (सितम्बर 2016 तक)	178.78	177.02

विगत उपलब्धियां:

- मिनी रत्न-II सीपीएसई
- आईएसओ 9001 (क्यूएमएस) और आईएसओ 14001 (ईएमएस)
- पीआईसी/एस प्रमाणन

फार्मा - व्यापार

सं.	उत्पाद	थेरेपी सेगमेंट	एनएलईएम	एकाधिकार	बाजार मूल्य
1	ग्रेनिल समूह	माइग्रेन रोधी	नहीं	नहीं	12.00 करोड़ रुपए
2	साइफोलैक फोर्ट ग्रुप	प्री एवं प्रोबायोटिक	नहीं	नहीं	4.00 करोड़ रुपए
3	रैम्सी ग्रुप	खांसी एवं सर्दी	नहीं	नहीं	3.00 करोड़ रुपए
4	जिन्फे ग्रुप	हेमैटिनिक	नहीं	नहीं	2.00 करोड़ रुपए
5	वेरक्लेव ग्रुप	एंटीबायोटिक	हां	नहीं	2.00 करोड़ रुपए

एग्रोवेट:

क्र. सं.	उत्पाद	थेरेपी खंड	एकाधिकार	बजार मूल्य
1	के साइकलिन पाउडर (एग्रो)	कीटनाशक	नहीं	5.00 करोड़ रुपए
2	केल्विमाइन ग्रूप	खाद्य अनुपूरक	नहीं	2.50 करोड़ रुपए
3	के लाइव	हेपेटो-सुरक्षात्मक	नहीं	2.00 करोड़ रुपए

वितरण नेटवर्क:

यह कम्पनी निजी चिकित्सा व्यवसायियोंकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास के साथ खुदरा व्यापार के क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार कर रही है। इसका घरेलू परिचालन बेहद समर्पित पेशेवर क्षेत्रबल वाली जनशक्ति के साथ देश भर में फैला है जो एक सुनियोजित वितरण प्रणाली द्वारा समर्थित है जिससे केएपीएल की उपस्थिति बड़े एवं साथ ही छोटे बाजारों में सुनिश्चित हो जाती है।

केएपीएल की शाखाएं सभी राज्य मुख्यालयों में स्थित हैं। इस कंपनी का बड़े शहरों में लगभग 20 शाखाओं के साथ एक उत्कृष्ट वितरण नेटवर्क है जो चैनल विपणन के माध्यम से संबंधित राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अनुमोदित स्टॉकिस्टों के माध्यम से इस व्यापार क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं, नर्सिंग होम एवं दवाई देने वाले चिकित्सकों और दर अनुबंध [आरसी] और गैर-दर अनुबंध [एनआरसी] क्षेत्र के संस्थाओं को सीधे आपूर्ति की जाती है।

विपणन:

औषध:

यह कंपनी मुख्य रूप से नुस्खा लिखने वाले चिकित्सा व्यवसायियों और ग्राहकों पर आधारित प्रेस्क्रिपशन बाजार पर संकेन्द्रण कर रही है जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी फार्मा कम्पनियों का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह कंपनी संस्थागत कारोबार संबंधी पीपीपी नीति पर भी निर्भर है जहां हमारा ध्यान सरकारी अस्पतालों, राज्य सरकार के अस्पतालों, कॉर्पोरेट, पीएसयू अस्पताल, रक्षा और बीमा पर है। इसमें इस व्यापार क्षेत्र में विस्तार करने और सीपीएसई अस्पताल और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों पर संकेन्द्रण करते हुए मात्रा में भी वृद्धि करने की क्षमता है।

एग्रोवेट:

यह कंपनी, कृषि उत्पाद डीलर और कृषि विभाग/कृषि उत्पादों के लिए बागवानी पर जोर दे रही है। उत्पादों को पशु चिकित्सा व्यवसायी, किसानों, सभी राज्यों के पशु चिकित्सा विभाग तथा पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए दुग्ध यूनियनों और खाद्य अनुपूरकों पर जोर दिया जा रहा है।

नये उत्पाद

क्र.सं.	उत्पाद	उपचारात्मक श्रेणी
1	न्यूमल एसपी	प्रोटोलाइटिक एजेन्ट सहित एनएसएआईडी
2	पॉप-ई	प्लेटलेट बूस्टिंग एजेंट
3	यूटेरीन टॉनिक	रिटेंड प्लीसेंटा को हटाना और फार्म पशुओं में यूटरस के त्वरित समामेलन के लिए
4	ब्लोट रेमेडी लिक्विड	फार्म पशुओं के लिए ब्लोट, फ्लेटुलेंस और कोलिक के लिए हर्बल

भावी योजनाएं:

सेफालोस्पोरिन परियोजना नवम्बर, 2016 से शुरू होना निर्धारित है।

6.6 बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), तत्कालीन बंगाल केमिकल एंडफार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड (बीसीपीडब्ल्यू) की स्थापना आचार्य प्रफुल्लचंद्र रॉय, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वान, द्वारा वर्ष 1901 में की गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 1980 के बीसीपीडब्ल्यू को वर्ष 1981 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के नाम से राष्ट्रीयकृत कर दिया।

इस कम्पनी का मुख्यालय कोलकाता में है। बीसीपीएल औद्योगिक रसायन (फिटकिरी), ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों, केश तेल और फिनोल, नेफ़थलीन बाल्स, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फर्श क्लीनर जैसे कीटाणुनाशकों के व्यवसाय से जुड़ी है। इस समय बीसीपीएल के चार कारखाने हैं: पश्चिम बंगाल में मानिकतला एवं पानीहाटी, मुंबई और कानपुर।

मानिकतला इकाई: यह इकाई मुख्य रूप डिवीजन-II के उत्पादों का उत्पादन करती है जिनमें ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों शामिल हैं। इस कम्पनी ने मनिकतला इकाई की गोलियों, कैप्सूलों और मलहम खण्ड का वाणिज्यिक प्रचालन कोलकाता में शुरू किया है। इन्जेक्टेबल खण्ड का कार्य शुरू किया जा रहा है और यह कम्पनी इसी वित्तीय वर्ष में इन्जेक्टेबल खण्ड से वाणिज्यि उत्पादन शुरू करने योग्य हो जाएगी।

पानीहाटी इकाई: कोलकाता के पास स्थित पानीहाटी इकाई, मुख्य रूप से प्रभाग I (एलूम) और प्रभाग III उत्पादों का उत्पादन करता है, जिसमें फिनायल, नेफ़थलीन बाल्स और अन्य कीटाणुनाशक शामिल हैं। अधिकतर नवीकृत उत्पादन ब्लाकों जैसे फिटकरी, नेफ़थलीन और व्हाइट टाइगर का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है।

मुंबई इकाई: मुंबई इकाई 'कैन्थराइडिन' के ब्रांड नाम के तहत केश तेल का उत्पादन करती है। अतिरिक्त स्रोत से आय सृजित करने के लिए विकसित किए गए वाणिज्यिक स्थलों को अन्य पक्षों को पट्टे पर दे दिया गया है। 43,206 वर्ग फुट के आकार के वाणिज्यिक स्थान को इस समय कंपनी द्वारा पट्टे पर दे दिया गया है।

कानपुर इकाई: वर्ष 1949 में स्थापित कानपुर यूनिट मुख्य रूप से डिवीजन-II उत्पादों का उत्पादन करती है जिनमें गोलियां एवं कैप्सूल और छोटी मात्रा में केशतेल शामिल हैं।

लोकप्रिय ब्रांड्स: फिनाइल - लैम्प ब्रांड, व्हाइट टाइगर, नेफ़थलीन, कैन्थराइडिन केशतेल।

इस कम्पनी को 1992 में बीआईएफआर को रेफर कर दिया गया था। सरकार द्वारा वर्ष 2006 में 490.60 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को अनुमोदित किया गया था जिसमें बीसीपीएल की

पुस्तकों पर मौजूदा ऋणों का नवीकरण, पूंजीगत निवेश,विपणन बुनियादी ढांचे और प्रोत्साहन उपायों के विकास के लिए सहायता, दैनिक अनुदान में संशोधन एवं वीआरएस का कार्यान्वयन और गैर-सरकारी देयताओं का भुगतान किया जाना शामिल है। यहां तक कि पुनरुद्धार के पश्चात् कम्पनी को घाटा होना जारी रहा। तथापि, वर्ष 2014-15 के बाद से इसके वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार हो रहा है। 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त हुई वर्ष की पहली छमाही के लिए, कम्पनी ने न केवल 10.97 करोड़ रुपए के पीबीडीआईटी की सूचना दी है बल्कि 1.16 करोड़ रुपए के निवल लाभ की भी सूचना दी है जो इस कम्पनी के पिछले 63 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है।

संयंत्र मशीनरी एवं क्षमता और क्षमता:

क्र.सं.	उत्पाद	इकाई	संस्थापित क्षमता / वर्ष	उत्पादन (2015-2016)	उत्पादन पहली छमाही (2016-17)
1	फिटकरी	एम टी	8000.00	4081.92	2520.00
3	गोलियां	सी आर	15.00	11.63	4.61
4	कैप्सूल	सी आर	15.00	7.19	2.28
5	मलहम	एम टी	60.00	37.01	20.07
6	केश तेल	के एल	600.00	151.80	60.00
7	फिनिओल	के एल	3000.00	1588.90	960.00
8	नैपथलीन	एम टी	450.00	123.44	72.29
9	डिसइन्फेक्टेंट्स	के एल	1200.00	729.97	287.0

संयंत्रों का आधुनिकीकरण (सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाएं एवं स्थिति)

(रुपए करोड़ में)

परियोजना	निवेश	स्थिति
मलहम एवं सामान्य मदें–मानिकतला	29.92	पूरा किया गया

बेटालैक्टम ब्लाक - मानिकतला	33.53	पूरा किया गया
सेफालोस्पोरीन ब्लाक – मानिकतला (अब नॉन- बेटालैक्टम ब्लाक)	31.34	पूरा किया जाने वाला
पानीहाटी परियोजना	27.95	पूरा किया गया
कानपुर में ओएसडी परियोजना	34.44	पूरा किया जाने वाला
एएसवीएस – मानिकतला	2.90	निधि के अभाव में रुक गया
पूर्व प्रचालनात्मक व्यय	17.07	
कुल	**177.15**	

वितरण प्रणाली, यदि कोई हो:

10 डीपो और 11 सीएंडएफ एजेन्सियों के साथ इस कम्पनी का सुदृढ़ वितरण नेटवर्क पूरे देश में फैला है।

कार्यनिष्पादन:

उत्पादन, कारोबार और वित्तीय कार्यनिष्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17 (30 सितम्बर 2016 को समाप्त छमाही)**
उत्पादन	19.70	64.10	106.70	49.27
कारोबार	17.06	45.84	88.19	40.44
कुल आय	36.63	65.53	112.76	51.37
सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(20.36)	1.65	11.24	10.97

ब्याज व्यय (वित्तीय लागत)	12.85	15.36	16.42	7.66
मूल्यह्रास	2.15	3.95	3.61	3.34
निवल लाभ (हानि)	1.16	(9.13)	(17.32)	(36.55)

डीपीई की रेटिंग:

वर्ष	समझौता ज्ञापन समीक्षा	कोर्पोरेट सरकार
2014-15	**"अच्छा"**	**"ठीक"**
2015-16	**"उत्कृष्ट"**	**"उत्कृष्ट"**

भावी परियोजनाएं:

एएसवीएस परियोजना: यह कम्पनी एएसवीएस परियोजना को शुरू करने की योजना बना रही है क्योंकि यह उत्पाद अपेक्षित मात्रा में इस समय देश में उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकारी क्षेत्र की दोनों यूनिटों अर्थात बीसीपीएल और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने पिछले 10 वर्षों से एएसवीएस का उत्पादन बंद कर दिया है। निधियों की अनुपलब्धता और साथ ही परियोजना लागत में वृद्धि होने के कारण यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। आज की स्थिति के अनुसार एएसवीएस ब्लॉक की कुल परियोजना लागत 31.00 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2016-17 **के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य**

(रुपए करोड़ में)

उत्पादन	110.00
कारोबार	90.00

24 अक्तूबर, 2016 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान श्री जितेन्द्र त्रिवेदी, निदेशक, औषध विभाग, भारत सरकार के साथ बंगाल कैमिकल के प्रबंधन सदस्य

"एकता संवर्धन एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता" पर दिनांक 03.11.2016 को आयोजित सेमिनार

6.7 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) संयुक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक यूनिट है जिसमें 4.98 करोड रुपए की प्रदत्त इक्वीटी पूंजी है जहां भारत सरकार एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. (रीको, राजस्थान सरकार) की क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत इक्विटी है। इसे वर्ष 1978 में निगमित किया गया था और वाणिज्यिक उत्पादन 1981 में शुरू हुआ। कम्पनी की अपनी विनिर्माण सुविधाएं हैं और रोड संख्या 12, वी.के. आई औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) में इसका पंजीकृत कार्यालय है।

यह कम्पनी गोलियों, कैप्सूल्स, लिक्विड ओरल, ओ आर एस पाउडर एवं नेत्र संबंधी दवाओं के उत्पादन से जुडी अनुसूची 'एम' अनुरूप सुविधा में लगी हुई एक फार्मूलेशन यूनिट है। इस कंपनी के पास आधुनिक उपकरणों जैसे एचपीएलसी, एफटीआईआर आदि से लैस एक सुसज्जित प्रयोगशाला है जिससे उच्च गुणवत्ता मानदंड सुनिश्चित होते हैं। यह कंपनी आईएसओ 9001: 2008 एवं डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इस कंपनी ने नई मशीनें संस्थापित करके अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाया है और साथ ही कामगारों ने उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कौशल एवं सुविज्ञता भी हासिल की है।

यह कंपनी राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार के संस्थानों अर्थात् ईएसआईसी, रक्षा, रेलवे, अन्य पीएसयू और साथी ही अन्य राज्य सरकारी संस्थानों को वहनीय दरों पर उच्च गुणवत्ता की दवाइयों के विनिर्माण एवं बिक्री कार्यों से जुड़ी है। आरडीपीएल 'जन औषधि' कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारत सरकार के महान एवं नए प्रयास में एक भागीदार है जिसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर देश में सस्ती कीमतों पर जनता को गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

उत्पादन एवं बिक्री कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2013-2014	54.93	43.51
2014-2015	25.04	24.90
2015-2016	39.78	36.53
2016-2017 (अक्तूबर 2016 तक)	3.77	6.97

<u>उत्पाद प्रोफाइल</u> :

कंपनी निम्नलिखित उत्पादों में डील कर रहा है।

- एंटी-बायोटिक
- एंटी-मलेरिया
- एन्टैसिड्स
- एनलजैस्टिक, एंटीपायरेटिक एवं एंटी-इन्फ्लेमेटरी
- एंटी-एमेटिक्स
- एंटी-स्पासमोडिक्स
- एंटी-डायरिया/ एंटी-एमीबिक
- कफ एक्सपैक्टोरेंट
- एंटी-एलर्जिक
- एंटी-बैक्टीरियल
- एंटी-फंगल
- विटामिन एवं मिनरल
- नेत्रचिकित्सा संबंधी सम्मिश्रण
- ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस)
- एंटी-रेट्रोवायरल
- एंटी-हाइपरटैंशन

भविष्य की परियोजनाएं :

इस कंपनी ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना मार्ग प्रशस्त करने और साथ ही भारत सरकार एवं अन्य सरकारों की अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपोषित परियोजनाओं का पात्र बनने हेतु डब्ल्यूएचओ-सीजीएमपी प्रमाणन के लिए उत्तीर्ण करने के लिए विस्तार, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यक्रम (चरण-II) शुरू किया है। अक्तूबर, 2016 में इसके संयंत्र में आग लग जाने के कारण, इसके उत्पादन कार्यकलाप अवरुद्ध हो गए हैं।

अध्याय 7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

अध्याय-7
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 159, दिनांक 29.08.1997 में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प के तहत की गई थी। एनपीपीए के कार्यों में, अन्य के साथ-साथ, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित औषधियों के मूल्यों का निर्धारण एवं संशोधन तथा साथ ही मूल्यों की मानीटरिंग और प्रवर्तन शामिल हैं। एनपीपीए सरकार को औषध नीति तथा दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों के बारे में इनपुट प्रदान करता है।

2. सरकार डीपीसीओ, 1995 के अधिक्रमण में 15 मई, 2013 को नया डीपीसीओ, 2013 अधिसूचित किया है।

3. डीपीसीओ, 2013 की प्रमुख विशेषताएं

- अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एन एल ई एम), 2011 को अनिवार्यता अवधारित करने के लिए बुनियादी आधार के रूप में अपनाया जाता है और इसे डीपीसीओ 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है जो मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित दवाओं की सूची है।
- उच्चतम मूल्य की गणना "बाजार आधारित आंकडों" के आधार पर की जाती है।
- मूल्य निर्धारण दवा (सक्रिय औषध घटक), दिए जाने का मार्ग, खुराक रूप/शक्ति, जैसा कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, से संबंधित विशिष्ट फार्मूलेशनों पर लागू होता है।
- राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2015 (एनएलईएम 2015) दिसंबर 2015 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गयी थी। तत्पश्चात एनएलईएम औषध विभाग द्वारा मार्च, 2016 में डीपीसीओ 2013 की प्रथम अनुसूची के रूप में अधिसूचित किया गया।

4 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के प्रकार्य इस प्रकार हैं :-

- इसको दी गई शक्तियों के अनुसार औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ),1995/2013 के प्रावधानों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करना।
- औषधियों /फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन करना और/ अथवा प्रायोजित करना।
- औषधियों की उपलब्धता की मानीटरिंग करना, कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाना,और सुधारात्मक उपाय करना ।
- बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों के बाजार अंश, कंपनियों की लाभकारिता इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र करना / उनका रख-रखाव करना।
- प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना।
- औषध नीति में परिवर्तन/संशोधन के संबंध में केंद्रीय सरकार को परामर्श देना।
- औषधि मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्रीय सरकार की सहायता करना।

5 मूल्य निर्धारण

डीपीसीओ,में अपनाई गई बाजार आधारित नीति के अंतर्गत 2013 , अनुसूचित औषध का अधिकतम मूल्य सर्वप्रथम एक प्रतिशत एवं अधिक के बाजार शेयर वाले विशेष औषध फार्मूलेशन के सभी ब्रांडेड जेनरिक एवं जेनरिक रूपों के खुदरा विक्रेता के मूल्य (रिटेलर) सरल औसत निर्धारित करके और उसके बाद इसमें प्रतिशत का सांकेतिक रिटेलर मार्जिन 16जोड़कर अवधारित किया जाता है। उस विशेष औषध फार्मूलेशन के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य को अधिसूचित अधिकतम मूल्य तथा लागू स्थानीय करों से अधिक नहीं होना चाहिए।

एनएलईएम 2015 में 30 उपचारात्मक समूहों के 929 अनुसूचित औषध सम्मिश्रण शामिल हैं, जिनकी संख्या प्रभावी रूप से 814 अनुसूचित औषध सम्मिश्रण हैं यदि हम एक से अधिक उपचारात्मक वर्गों और पृथक पैक आकार में आने वाले सम्मिश्रणों का निवल करते हैं। एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची- 1 के व्याख्या - 1 के तहत सूचीबद्ध सम्मिश्रणों के

अधिकतम मूल्यों को भी निर्धारित करता है। एनपीपीए ने 15 नवंबर 2016 की स्थिति के अनुसार डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत 540 सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है। शेष सम्मिश्रणों के लिए, एनपीपीए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में है।

डीपीसीओ, 2013 (एनएलईएम 2015 पर आधारित संशोधित अनुसूची - 1) के अंतर्गत अधिकतम मूल्य निर्धारण की स्थिति निम्नवत है : -

15 नवंबर 2016 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित सम्मिश्रणों की मूल्य निर्धारण स्थिति निम्नवत है :

विवरण	**एनएलईएम 2015 (नया)**	**एनएलईएम 2015 (साझी)**	**कुल**	**अनुसूची 1 की व्याख्या 1**	**सकल योग**
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
क. अनुसूची में प्रविष्टि	380	434	814		814
क1 पैक आकार / सामग्री की अतिरिक्त गिनती		39	39		39
ख. अधिसूचित / अनुमोदित अधिकतम मूल्य	254	244	498	42	540

फार्माट्रैक / औषध कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकडों के आधार पर अधिकतम मूल्यों में कमी को दर्शाने वाला विवरण

अधिकतम मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत कमी	**सम्मिश्रणों की संख्या**
0<= 5%	129
5<=10%	74
10<=15%	67
15<=20%	68
20<=25%	61
25<=30%	42
30<=35%	33

35<=40%	18
40%से ऊपर	48
कुल	**540**

ये मूल्य राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित किए जाते हैं जो एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर भी अपलोड की जाती हैं। अधिकतम मूल्य राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से कार्यशील एवं विधिक रूप से लागू होते हैं।

एनपीपीए ने जुलाई 2014 में डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत 106 सम्मिश्रणों (मधुमेह रोधी और हृदयरोग) के अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किया है।

एनएलईएम 2015 (संशोधित अनुसूची - 1) में सूचीबद्ध अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्यों के निर्धारण से उपभोक्ताओं को 2345.50 करोड़ रुपये की बचत सक्षम हुई है। मूल अनुसूची- 1 के अंतर्गत अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्यों के निर्धारण से उपभोक्ताओं को 2422.24 करोड़ रुपये की बचत सक्षम हुई है। पैरा 19 मूल्य अधिसूचना के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को 350 करोड़ रुपये की बचत हुई है। एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत दवाइयों के मूल्यों के विनियमन से (दिनांक 14.01.2017 की स्थिति के अनुसार) उपभोक्ताओं को करीब 5203.29 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

एनपीपीए ने 15 नवंबर 2016 तक विनिर्माताओं के अनुरोध पर 'नई औषधियों' (जो डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2य के अनुसार नई औषधियों के लिए अर्हक हैं) के 407 खुदरा मूल्यों को अधिसूचित किया है।

6. मानीटरिंग एवं प्रवर्तन

अनुसूचित औषध फार्मूलेशनों के मामले में अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुपालन नहीं किया जाना या दूसरे शब्दों में, अधिकतम मूल्य एवं लागू स्थानीय करों का उल्लंघन करने वाले एमआरपी का अर्थ उपभोक्ता से अधिक पैसे लेना होगा जो अधिक पैसे लिए जाने की तारीख से उस राशि पर ब्याज सहित फार्मूलेशन विनिर्माता कंपनी से लिया जाएगा। ब्याज सहित अधिक पैसे लिए जाने के मुद्दे अधिक संग्रहण को लोक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत भूमि राजस्व

के लिए बकाया राशि के रूप में वसूली की जाती है। इस प्रकार संग्रहित अधिप्रभारित राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन नहीं किए जाने पर अपराध की गंभीरता के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 कार्रवाई की जाती है।

डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 में यह प्रावधान है कि कोई भी विनिर्माता पिछले बारह महीने के दौरान गैर अनुसूचित औषध फार्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य मेंप्रतिशत से 10 अधिक की वृद्धि नहीं करेगा।

अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिसूचित अधिकतम मूल्य पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए औषध नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा अधिसूचित वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार वार्षिक संशोधन के अधीन होते हैं। इस प्रकार से डब्ल्यूपीआई के आधार पर संशोधित अधिकतम मूल्य आने वाले वर्ष के अप्रैल माह के प्रथमदिवस से प्रभावी होगा। वर्ष 2015 के लिए डीआईपीपी द्वारा अधिसूचित डब्ल्यूपीआई (-)2.7105 प्रतिशत है। 530 अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्य (जिनके मूल्य मूल अनुसूची - 1 एनएलईएम 2011 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं) में दिनांक 2 मार्च 2016 की अधिसूचना के तहत तदनुसार संशोधन किया गया है।

एनपीपीए ने यह भी स्पष्ट किया था कि उन अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्य जो डीपीसीओ, 2013 की संशोधित अनुसूची - 1 के एनएलईएम 2015 के अंगीकरण के पश्चात गैर अनुसूचित बन गए हैं, 1 अप्रैल 2017 तक मूल्य नियंत्रण के अधीन बने रहेंगे।

डीपीसीओ के उपबंधों के अधीन मानीटरिंग एवं प्रवर्तन 2013, एनपीपीए एवं राज्य औषध नियंत्रकों की संयुक्त जिम्मेदारी है। एनपीपीए, राज्य औषध नियंत्रकों के साथ मिलकर, अनुसूचित औषधों के बाजार मूल्य की निगरानी करता है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जाते हैं :

- देश भर के एनपीपीए अधिकारियों द्वारा नमूनों की खरीद
- राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त जांच नमूनों की जांच

- व्यक्तियों शिकायतों की जांचवी आई पी संदर्भों आदि से प्राप्त /गैर सरकारी संगठनों/
- फार्माट्रैक आंकड़ों का विश्लेषण

विश्लेषण के आधार पर, अधिप्रभारित राशि की वसूली के लिए विशिष्ट मामले की पहचान की जाती है और अपेक्षानुसार मूल्य नियत किए जाते हैं।

एनपीपीए आवश्यक फार्मूलेशनों की उपलब्धता की भी मानीटरिंग करता है और कमियों, यदि कोई है, का पता लगता है और उपचारात्मक कदम उठाता है।

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 (अक्तूबर, 2016 तक) तक की प्रवर्तन गतिविधियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	**एकत्रित नमूनों की सं.**	**प्रथम दृष्टया संसूचित उल्लंघन**	**अधिप्रभारन के संदर्भित**
2010-2011	553	225	216
2011-2012	559	156	152
2012-2013	626	165	163
2013-2014	993	389	389
2014-2015	3898 #	1020	1020
2015-2016	2947 #	613	613
2016-2017	1426 #*	279	279

*दिनांक 31.10.2016 को प्रक्रियाधीन 503 मामले सहित

#राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त अधिप्रभारन के मामले ''एकत्रित नमूने'' कॉलम के अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. नई पहलें

एनपीपीए ने 'फार्मा सही दाम' नामक एप के एंड्रॉयड संस्करण को विकसित किया जिसे एनपीपीए स्थापना दिवस के अवसर पर 29 अगस्त, 2016 माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक/संसदीय कार्य) द्वारा आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया ताकि उपभोक्ताओं को मूल्य विनियमाधीन अनुसूचित दवाओं और साथ ही गैर अनुसूचित दवाओं के मूल्यों से संबधित सूचना प्रदान करता है। इन मोबाइल अनुप्रयोगों से एक ग्राहक दवा खरीदते समय दवाइयों के मूल्य की जॉच कर सकता है और उसके लिए यह सत्यापित करना सुगम होगा कि दवा अनुमोदित कीमतों पर बेची जा रही हैं और साथ ही यह औषध कंपनियों / कैमिस्ट द्वारा अधिक मूल्य प्रभारित करने के मामले का पता लगाने में भी मदद करेगा। अधिक मूल्य प्रभारित करने के मामले में उपभोक्ता फार्मा जन समाधान वेबसाइट (http://nppaindia.nic.in/redressal.html) के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है।

8. ई-पहल

(क) फार्मा जन समाधान (पीजेएस) जो कि एक वेब आधारित प्रणाली है, एन पी पी ए द्वारा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका शुभारंभ 12 मार्च, 2015 को किया गया। यह डी पी सी ओ, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता हित की सुरक्षा के लिए एक ठोस ई-शासन टूल के रूप में कार्य करता है। फार्मा जन समाधान का मूल उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता, दवाओं के अधिक मूल्य, बिना पूर्व कीमत अनुमोदन के 'नई औषधों' की बिक्री तथा बिना ठोस एवं पर्याप्त कारणों के दवाओं की आपूर्ति या बिक्री से इनकार के संबंध में एक त्वरित एवं प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना है।कोई व्यक्ति या उपभोक्ता संगठन या स्टॉकिस्ट/वितरक/डीलर/रिटेलर या राज्य औषध नियंत्रक पी जे एस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। पूरी सूचना के साथ पी जे एस के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर एन पी पी ए द्वारा 48 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ख) फार्मा डाटा बैंक (पी डी बी) - एकीकृत फार्मास्यूटिकल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आईपीडीएमएस): इसका शुभारंभ 25 जून, 2015 को माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री द्वारा किया गया। आई पी डी एम एस को राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से एन पी पी ए द्वारा विकसित किया गया है। यह व्यापक ऑनलाइन प्रणाली फार्मास्यूटिकल विनिर्माता/विपणन/आयातक/वितरक कंपनियों को डी पी सी ओ 2013 के फार्म I, फार्म III एवं फार्म V में विहित अनिवार्य रिटर्न दाखिल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। फार्म I में 'नई औषध' के मूल्य अनुमोदन के लिए आवेदन भी इस पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया

जा सकता है। फार्म IV के तहत आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 689 फार्मा कंपनियों को 30 अक्टूबर, 2016 तक आई पी डी एम एस के तहत पंजीकृत किया गया है। 61646 उत्पादों के संबंध फार्मा कंपनियों ने सूचना पंजीकृत की है। पी डी वी से उद्योग, उपभोक्ता एवं विनियामक को लाभ पहुंचने की अपेक्षा है। यह उद्योग को रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्य अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए एक प्रयोक्ता हितैषी तंत्र उपलब्ध कराता है। एन पी पी ए कंपनियों द्वारा मूल्य प्रकटन के आधार पर मूल्य नियत करने और प्राइवेट डाटाबेस पर निर्भरता हटाने में सक्षम होगा, और उपभोक्ता प्रत्येक अनुसूचित/गैर अनुसूचित फार्मूलेशन के संबंध में मूल्य डाटा तक पहुंच बनाने तथा लागत प्रभावी उपचार के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में समर्थ होगा। रिटेलर्स की भी सही समय पर मूल्य आंकड़े तक पहुंच होगी। यह एन पी पी ए को मूल्य अनुपालन की आसानी से मानीटरिंग करने में सहायता करेगा।

9. उपभोक्ता जागरूकता की योजना स्कीम और मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना **(पीएमआरयूएस):**

एनपीपीए उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी एक योजना लागू कर रहा है। यह स्कीम दवाओं की उपलब्धता, दवाओं का मूल्य, सरकार द्वारा निर्धारित दवाओं के अधिकतम मूल्य, दवाओं की खरीद के समय बरती जाने वाली सावधानियों और एनपीपीए के कार्यों के बारे में आम जनता में जागरूकता का सृजन करती है। इससे देश के आम आदमी के लिए वहनीय मूल्यों में गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता में सुधार होता है।

परिशोधित/संशोधित स्कीम को दो भागों में बांटा गया हैः- राष्ट्रीय स्तर के घटक और राज्य/संघ राज्य स्तर के घटक। राष्ट्रीय स्तर घटक के अंतर्गत, उपभोक्ता जागरूकता, विज्ञापन, रेडियों जिंगल आदि के माध्यम से प्रिंट, और इलेक्ट्रनिक मीडिया द्वारा की जाती है। इस स्कीम में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर औषध मूल्य निर्धारण और संबंधित मामलों, अनुसंधान अध्ययन, उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन और मूल्य निगरानी प्रयोजन के लिए जांच नमूनों की खरीद की परिकल्पना भी की जा गई है। राज्य/संघ क्षेत्र स्तर के घटक के अंतर्गत राज्य औषध नियंत्रकों और उनके क्षेत्र अधिकारियों द्वारा मूल्य निगरानी और संशोधन ईकाई (पीएमआरयू) और जांच नमूनों की खरीद के लिए राज्यों को अनुदान सहायता दी गई है।

एनपीपीए ने इस स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य निगरानी और संसाधन ईकाई (पीएमआरयू) की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की और डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निगरानी और यह प्रवर्त्तन गतिविधियों का निर्वाहन करने के लिए राज्य औषध नियंत्रक को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक ईकाई संबंधित राज्य औषध नियंत्रक के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य

करेंगी। पीएमआरयू सूचना एकत्र करने के लिए एनपीपीए का प्रमुख सहयोगी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि डीपीसीओ, 2013 की सुविधाएं जमीनी स्तर तक मिले। शुरूआत में प्रयोगिक स्तर पर इस स्कीम का सात राज्यों यथा असम, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और ओडिशा में दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वयन किया जा रहा है।

10. पहुंच बाह्य गतिविधियां

एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के कार्यान्वयन और दवाओं की उपलब्धि, वहनीयता और पहुँच के मामलों में सूचना के प्रचार में मदद करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन किया है। इन कार्यशालाओं को जनवरी, 2016 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से बैंगलूरू में और नवम्बर, 2016 में नाईपर मोहाली में (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के सहयोग से) और नाईपर अहमदाबाद में दिसम्बर, 2016 में आयोजित किया गया। इस तरह के अन्य सेमिनार एनपीपीए के पहुंच वाह्य गतिविधियों के रूप में वर्ष 2016-17 में निर्धारित है। इन कार्यशालाओं में औषध क्षेत्र से कई विशेषज्ञ शिक्षाविद, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्त्ता, उद्योग के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी भाग लेते हैं जो मूल्य निर्धारण, दवाओं की पेटेटिंग, औषध क्षेत्र में नवाचार और इस विषय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ संव्यवहारों पर अपना-अपना मत प्रस्तुत करते हैं।

11. एनपीपीए की स्थापना दिवस

माननीय रसायन एंव उर्वरक मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्री के महान उपस्थिति में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2016 को एनपीपीए का स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर, “वहनीय मूल्यों” पर एक दिन का राष्ट्रीय सेमिनार में समग्र औषध परितंत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। औषध क्षेत्र से विभिन्न विषयों पर स्टेकहोल्डरों के समूह, शैक्षणिक, वकीलों सिविल सोसाइटी कार्यकर्त्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

वहनीय मूल्यों के संकल्प का संवर्धन करने और दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच को सुनिश्चित की दिशा में औषध विभाग के प्रयासों की पहचान करने के लिए, माननीय रसायन एवं उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री ने एनपीपीए के अनुरोध पर घोषणा की कि 29 अगस्त, को राष्ट्रीय जन औषधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एनपीपीए ने इस संबंध में औषध विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

12. एनपीपीए चिन्ह

एनपीपीए चिन्ह का 29 अगस्त, 2016 को एनपीपीए स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और संसदीय कार्य) द्वारा अनावरण किया गया। एनपीपीए चिन्ह का चयन क्लाउड सोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त स्क्रीनिंग प्रविष्टियों की मार्फत किया गया था।

NPPA
AFFORDABLE MEDICINES FOR ALL

13. अधिप्रभारित राशि की वसूली

आधिप्रारित राशि की वसूली और इस पर ब्याज के लिए कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। एनपीपीए आवश्यक सामग्री अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्रावधानों के साथ पठित डीपीसीओ 1995/डीपीसीओ, 2013 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करता है।

एनपीपीए ने 31 अक्तूबर, 2016 तक (डीपीसीओ, 1995 के तहत 1283 मामले और डीपीसीओ, 2013 के तहत 184 मामले) अधिप्रभार के लगभग 1467 मामलों को शुरू किया और औषध कंपनियों को मांग नोटिस जारी किए । मांग की गई धनराशि एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची गई दवाओं के कारण 4958.74 करोड़ रूपए (डीपीसीओ, 1995 के तहत 4877.79 करोड़ रूपए और डीपीसीओ, 2013 के तहत 81.00 करोड़ रूपए) है। तथापि, सिर्फ 598.80 करोड़ रूपए (डीपीसीओ, 1995 के तहत 536.81 करोड़ रूपए और डीपीसीओ, 2013 के तहत 61.99 करोड़ रूपए) की रकम ही औषध कंपनियों से 31 अक्तूबर, 2016 तक वसूली गयी है। इसमें 109-111/2013,153-164/2013,डब्ल्यूसी(सी) 696/2013, डब्ल्यूपी(सी) 983/2013, डब्ल्यूपी(सी) 123/2014, डब्ल्यूपी(सी)135/2014, और डब्ल्यूपी(सी) 346/2014 मामलों में 20 जुलाई, 2016 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया में औषध कंपनियों द्वारा जमा की गई 214 करोड़ रूपए की राशि शामिल है। 4359.93 करोड़ रूपए की शेष बकाया राशि में से, 3460.32 करोड़ रूपए की राशि अभी भी मुकदमों के कारण फंसी हुई है।

अधिप्रभार के कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय ने अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्य के विनियमन और कुछ गैर-अनुसूचित सम्मिश्रणों के

एमआरपी रोक संबंधी संबंधी एनपीपीए द्वारा जारी अधिसूचना को सही ठहराया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डीपीसीओ, 1995 के तहत वर्ष 1995 से वर्ष 2003 तक एनपीपए द्वारा जारी मानकों और अधिसूचनाओं को सीए नं.329/2005-यूओआई वीएस सिपला, सीए नं. 4005/2004, सीए नं.9609-9610/2016, सीए नं.9585/2016, सीए नं.9586/2016, और सीए नं.9561-9584/2016 मामलों में 21 अक्तूबर, 2016 के अपने निर्णय में कानूनी अनुमोदन प्रदान करने से इस आदेश के अनुपालन में, औषध कंपनियों ने सरकार को अधिप्रभार की देय राशि को जमा करना आरंभ कर दिया है।

माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय ने 26 सितम्बर, 2016 को डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत 10 जुलाई, 2014 को 106 मधुमेह और कार्डियों वस्कुलर सम्मिश्रणों के संबंध में एनपीपीए द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना को जारी रखने के लिए भारतीय औषध गंठबंधन द्वारा दायर रिट याचिका 2700/2014 को बर्खास्त कर दिया है। मुम्बई उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में आईपीए द्वारा दायर एसएलपी को 24 अक्तूबर, 2016 को बर्खास्त कर दिया था। इस न्यायिक फैसले से सभी के लिए वहनीय, उपलब्ध और सुलभ स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक दवाओं के मूल्यों को विनियमित करने की आवश्कता को मजबूती प्राप्त हुई है।

8

अध्याय

राजभाषा का कार्यान्वयन

अध्याय-8
राजभाषा का कार्यान्वयन

<u>सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग</u>

भारत संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के प्रावधानों के तथा इसके तहत जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन शामिल है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया। हिंदी में प्राप्त पत्रों तथा हिंदी में हस्ताक्षरित अभ्यावेदनों के उत्तर राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 5 तथा नियम 7(2) के प्रावधानों के अनुसार हिंदी में दिए गए।

<u>हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2016</u>

अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने में विभाग की मदद करने के उद्देश्य से विभाग में 14 से 28 सितंबर, 2016 के दौरान हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा मनाया गया।

अन्य बातों के साथ हिंदी का प्रयोग करने की प्रतिबद्धता करने के लिए सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध करते हुए सचिव (फार्मा) द्वारा जारी किए गए संदेश के अलावा पखवाड़े के दौरान अनेक हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें अभूतपूर्व संख्या में अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिए गए।

<u>विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा</u>

वर्ष 2016-17 के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में उनसे प्राप्त हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग पर तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से विभाग के अधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की आवधिक समीक्षा की गई।

अध्याय 9

सामान्य प्रशासन

9.1 संगठनात्मक ढांचा

अध्याय - 9

सामान्य प्रशासन

9.1 विभाग का संगठनात्मक ढांचा

विभाग के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं- नीति निर्माण, औषध उद्‌योगों के विकास के संबंध में क्षेत्रगत योजना तैयार करना, उनका संवर्धन और विकास करना । विभाग का प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार की औषधीय मदों का निर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ अन्य संगठनों का प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण करना है।

2. इस विभाग के अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव हैं और उनकी सहायता के लिए दो संयुक्त सचिव हैं।

3. "राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण" नामक एक संबद्ध कार्यालय है जो औषधों के मूल्य निर्धारण/संशोधन और अन्य संबंधित मामलों की देख-रेख करता है। यह नियंत्रणमुक्त औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के साथ-साथ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन की देख-रेख भी करता है।

औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का नियोजन

दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन की स्थिति निम्न प्रकार हैः

समूह	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कार्यरत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जातियां	शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति
क	30	17	4	1	-	-
ख	48	31	5	3	7	-
ग	25	22	7	-	5	-
कुल	103	70	16	4	12	-

4. समूह 'क' के अधिकारियों में अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं और अन्य विभागों/उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले अधिकारियों के अलावा केन्द्रीय सचिवालय

सेवा के अधिकारी शामिल हैं। समूह ख और ग के पदों पर नियुक्ति मुख्यत: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर की जाती है।

5. यह विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों के सदस्यों के लिए विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया की मानिटरिंग भी करता है।

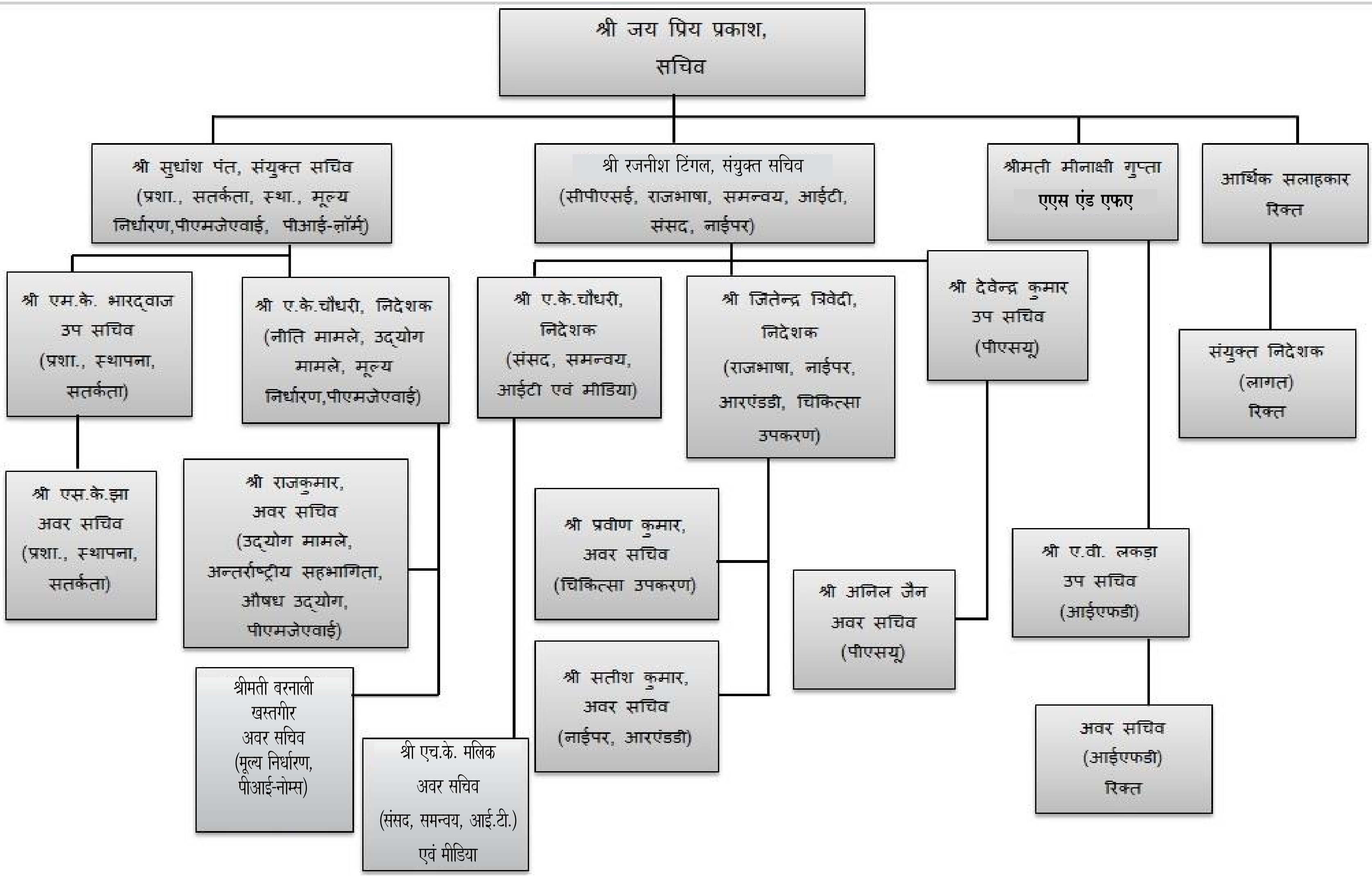
श्री जय प्रिय प्रकाश,
सचिव
श्री सुधांश पंत, संयुक्त सचिव (प्रशा., सतर्कता, स्था., मूल्य निर्धारण,पीएमजेएवाई, पीआई-नॉर्म)
श्री रजनीश टिंगल, संयुक्त सचिव (सीपीएसई, राजभाषा, समन्वय, आईटी, संसद, नाईपर)
श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता
एएस एंड एफए
आर्थिक सलाहकार
रिक्त
श्री एम.के. भारद्वाज
उप सचिव
(प्रशा., स्थापना, सतर्कता)
श्री ए.के.चौधरी, निदेशक (नीति मामले, उद्योग मामले, मूल्य निर्धारण,पीएमजेएवाई)
श्री ए.के.चौधरी,
निदेशक
(संसद, समन्वय, आईटी एवं मीडिया)
श्री जितेन्द्र त्रिवेदी,
निदेशक
(राजभाषा, नाईपर, आरएंडडी, चिकित्सा उपकरण)
श्री देवेन्द्र कुमार
उप सचिव
(पीएसयू)
संयुक्त निदेशक
(लागत)
रिक्त
श्री एस.के.झा
अवर सचिव
(प्रशा., स्थापना, सतर्कता)
श्री राजकुमार,
अवर सचिव
(उद्योग मामले, अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता, औषध उद्योग, पीएमजेएवाई)
श्री प्रवीण कुमार,
अवर सचिव
(चिकित्सा उपकरण)
श्री अनिल जैन
अवर सचिव
(पीएसयू)
श्री ए.वी. लकड़ा
उप सचिव
(आईएफडी)
श्रीमती वरनाली
खस्तगीर
अवर सचिव
(मूल्य निर्धारण, पीआई-नोम्स)
श्री सतीश कुमार,
अवर सचिव
(नाईपर, आरएंडडी)
अवर सचिव
(आईएफडी)
रिक्त
श्री एच.के. मलिक
अवर सचिव
(संसद, समन्वय, आई.टी.) एवं मीडिया

10

अध्याय

नागरिक उन्मुख अभिशासन

10.1 हमारा विजन
10.2 हमारा मिशन
10.3 हमारे ग्राहक
10.4 हमारी प्रतिबद्धता
10.5 हमारी सेवाएं
10.6 हमारी गतिविधियां
10.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
10.8 सीपीजीआरएएमएस

अध्याय - 10
नागरिक उन्मुख अभिशासन

10.1 हमारा विज़न

आवंटित कार्यों के माध्यम से औषध विभाग को दिए गए मैंडेट के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय की सहमति से निम्नलिखित विज़न तय किया गया हैः

"भारतः उचित मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयों का विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता"

10.2 हमारा मिशन

1 औषधि निति के अनुसार उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

2 पीपीपी सहित औषध क्षेत्र में औषध अवसंरचना का विकास और नवाचार विकास।

3 औषध ब्रांड भारत का बढ़ावा देना।

4 औषध उद्योग के पर्यावरण संबंधी चिरस्थायी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम/परियोजना तैयार करना।

5 मानव के लाभ के लिए नाईपरों को औषधीय विज्ञान के शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता प्राप्त ब्रांड के रूप में स्थापित करना ।

10.3 हमारे ग्राहक

- भारत के नागरिक
- लघु और मध्यम उद्यमों सहित औषध उद्योग
- डीपीसीओ के अंतर्गत राहत मांगने वाली औषध कंपनियां
- एनपीपीए / सीपीएसयू/ नाईपर

10.4 हमारी प्रतिबद्धता

औषध उद्योगों से संबंधित मामलों में जनता को निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण एवं तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

अपने कार्मिकों और जनता की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

सभी उद्योग संघों/संबंधित पक्षों के परामर्श से नीतियां तैयार करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संशोधित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

10.5 हमारी सेवाएं

हम औषधों व भेषजों, रंजक द्रव्यों एवं रंजक मध्यवर्ती उत्पादों से संबंधित नीतियां तैयार करते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं।

10.6 हमारे कार्यकलाप

विभाग के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित पर केन्द्रित हैं:-

1. औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्यों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
2. विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्यरत केंद्रीय औषध उपक्रमों का समुचित कार्य संचालन सुनिश्चित करना ।
3. सीपीएसयूज के लिए परियोजना आधारित सहायता और पुनरूद्धार योजनाएं ।
4. नाईपरों में एम फार्मा और पीएचडी कार्यक्रमों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना ।
5. सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी)सहित औषधि अनुसंधान तथा विकास और उद्योग के लिए मानव संसाधन, अवसंरचना विकसित करना ।

6. फार्मा ब्रांड इंडिया का संवर्धन करने के लिए योजना/परियोजना तैयार करना ।
7. औषध उद्योग के पर्यावरण संबंधी चिरस्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना/परियोजना तैयार करना ।
8. वार्षिक योजना, बजट तैयार करनाऔर बजट व्यय की मॉनीटरिंग करना ।

विभाग का सिटीजन चार्टर विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

10.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, औषध विभाग से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना वेबसाइट पर इस प्रकार उपलब्ध करा दी गई है जिससे कि वह आम आदमी को आसानी से तथा व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाए।

जनता को सूचना प्रदान करने के लिए विभाग में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामांकित किए गए हैं।

10.8 सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग व्यवस्था)

ऑफलाइन और सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई लोक शिकायतों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और निपटान किया जाता है।

अध्याय 11

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

अध्याय - 11
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत, औषध विभाग ने ई-गवर्नेंस को अपनाने की दिशा में सूचना और ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से को अपनाने की दिशा में पहल की है। इस कार्यक्रम ने सेवाओं को पारदर्शिता, आसान पहुंच, आंतरिक प्रक्रियाओं का सुधार और निर्णय समर्थन प्रणाली के संदर्भ में सुविधाओं का संचालन किया था।

विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा स्थापित आईटी आधारित कम्प्यूटर केन्द्र कार्यरत है और विभाग को विभिन्न आईटी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम सर्वर, ग्राहक मशीनों से सुसज्जित किया है। एनआईसी तकनीकी परामर्श, नेटवर्किंग, अनुप्रयोग विकास और कार्यान्वयन, इंटरनेट और ई-मेल डाटा आधार प्रबंधन और प्रशिक्षण जैसे मूल्यवान सेवाएं प्रदान करता है। एनआईसी की मौजूदगी और विशेषज्ञता के साथ, विभाग को निम्नलिखित आईटी/ ई-अभिशासत संबंधी पहलें करने में सहयोग मिला है।

स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन)

विभाग में सभी कार्य स्थलों में ई-मेल, इंटरनेट/इंटरनेट आंकड़ा संचलन अभिगमन प्रचालनों के लिए हर समय सुविधाओं को प्रदान करने के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा इसे प्रबंधित आईपीवी 6 अनुवर्ती बनाने के लिए उन्नयन किया गया जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) से जुड़े हैं। सभी अधिकारियों/प्रभागों/अनुभागों को अपने डेस्टटॉप पर उपयोग करने के लिए आईपीवी 6 अनुरूप आईसीटी हार्डवेयर उपलब्ध है।

वेबसाइट और सोशल मीडिया

विभाग के एक प्रभावशाली एवं चुस्त दुरूस्त द्विभाषीय वेबसाइट अर्थात http://pharmacuticals.gov.in का शुभारंभ सितम्बर 2015 में माननीय राज्य मंत्री श्री हंस राज गंगा राम अहीर द्वारा किया गया और सूचना तक नागरिकों की सुरक्षित एवं अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी क्लाउड में रखा गया। यह वेबसाइट अंतर्वस्तु प्रबंधन ढांचा का प्रयोंग करते हुए एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है और जीआईजीडब्ल्यू अनुपालक है। यह विभाग की संघटनात्मक व्यवस्था, इसके कार्य, अधिनस्थ कार्यालयों, नीतियों, प्रकाशनों, कार्यशीलमानदंडों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े/सूचना का ब्यौरा प्रदान करता है।

विभाग की जन औषधि स्कीम से संबंधित एक और वेबसाइट (http://janaushadhi.gov.in) में स्कीम के ब्यौरों के साथ-साथ उन जेनेरिक दवाइयों (गैर-ब्रांडेड) की सूची दी गई है जिन्हें भारत के विभिन्न जिलों में स्थापित किए जा रहे जन औषधि केंद्रों (जेएएस) के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है । इससे लोगों को पहले से खोले जा चुके जन औषधि केंद्रों की भी जानकारी मिलती है। यह जन औषधि बिक्री केंद्रों में बेची जाने वाली जेनेरिक दवाइयों और ब्रांडेड उत्पादों के तुलनात्मक मूल्यों की सूचना भी प्रदान करता है।

सामाजिक मीडिया के पास लोगों तक पहुंचने की काफी क्षमता थी। सरकार के निर्णयों में, नीति निर्माण में सुधार करने और जागरुकता लाने के लिए विभाग ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट सृजित किए हैं। मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव एवं विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों, संगोष्ठियों से संबंधित सूचना त्वरित रूप से इन पर पोस्ट की जाती है। जेनेरिक दवाइयों, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों नाइपरों आदि के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न पोस्ट को विभाग के फेसबुक और ट्विटर पेज पर पोस्ट किया गया है।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग:

सचिव के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा कार्य कर रही है। विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और शैक्षिक संस्थाओं (नाईपरों) ने भी वीडियो कानफ्रेंसिंग सुविधा संस्थापित की है। वीसी सुविधा विभाग को पीएसयू और नाईपर से उनके कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग करने एवं उन्हें निर्णयों की जानकारी देने के लिए उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाती है। प्रगति, प्रधानमंत्री कार्यालय का मानीटरिंग टूल प्रत्येक माह किया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय से लंबित मुद्दों के निराकरण के लिए विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी सचिवों एवं राज्य मुख्य सचिवों के साथ संपर्क करते हैं। विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ संपर्क करने के लिए भी विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग किया जाता है।

कार्य प्रवाह स्वचालन

डिजिटल इंडिया की ओर िवभाग द्वारा की गई अन्य पहल विभाग के भीतरकार्यप्रवाह के स्वचालन को कार्यान्वित करना है। ई ऑफिस एक मानक उत्पाद है जो इस समय ई-फाइल, ई-अवकाश, ई-यात्रा, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली सहयोग एवं मैसेजिंग सेवा से मिलकर बना है तथा इसका उद्देश्य कार्यप्रवाह का प्रयोग, नियम आधारित फाइल की रूटिंग, फाइलों एवं कार्यालय आदेशों का शीघ्र पता लगाना एवं इसकी पुन: प्राप्ति, प्रभ्ज्ञावीकरणके

लिए डिजिटल हस्ताक्षर फॉर्म और रिपोर्टिंग घटकों का प्रयोग बढ़ाना है। ई-ऑफिस कोकार्यकी द्विरावृति कम करने, पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

ई-अभिशासनः

आधुनिकआईसीटी अनुरूप उपकरणों का लाभ उठाते हुए एनआईसी की सहायता से औषध विभाग ने सर्वोत्तम संव्यवहारोंको अपनाने के लिए वास्तविक प्रयास किए हैं। एनआईसी द्वारा मानिटर और निर्णय प्रक्रिया और सही सूचना उपलब्ध कराने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विभिन्न एप्लीकेशनों को विकसित को कार्यान्वित किया गया है।

- आधार सक्षम बॉयोमीट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस)- विभाग के सभी कर्मचारियों (स्थायी और अस्थायी) के उपस्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रिकार्ड करता है। औषध विभाग ने प्रथम चरण में एईबीओएस को कार्यान्वित किया है और संयुक्त सचिव एवं उनके ऊपर स्तर के अधिकारियों और सभी अनुभागों के कार्यालयों में फिंगर रिडर उपकरणों को स्थापित किया है। टेबलेट उपकरणों को अधिकारियों/स्टाफ की सुविधा प्रदान करने के लिए भवनों के गेट में भी स्थापित किया है। 119 कर्मचारियों का पंजीकरण हुआ है और ये नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। उपस्थिति को मॉनिटरिंग करने के लिए मासिक रजिस्टर तैयार किया गया है।

- स्पैरो**-** स्मार्ट पर्फोर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग आनलाइन विन्डो (स्पैरो) एप्लीकेशन, जो एपीएआर को आनलाइन प्रस्तुत करने और आईएएस अधिकारियों की प्रोसेसिंग करने की अनुमति देती है, को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

- संसद प्रश्न एवं आश्वासन प्रणाली- संसदप्रश्नों की संग्रहण औरआश्वासनों की अनुस्मारकप्रणाली को उत्तर दिए गए सभी प्रश्नों और लम्बित आश्वासनों का रिकार्ड रखने के लिए विकसित किया जा रहा है।

- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली- ई-आगंतुक प्रणाली आगंतुक प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित साधन है। नागरिकों की सुविधाओं के लिए उनकी यात्रा के अनुरोध को आनलाइन पंजीकृत किया जाता है और प्रमाणित आगंतुकों को गेट पास जारी किया जाता है।

- न्यायिक मामला मानिटरिंग प्रणाली- इस प्रणाली विभाग के सभी न्यायिक मामलों का संग्रहण किया जाता है। यह आगामी सुनवाई तारीखों का पता लगाती है और मामले की

बुनियादी ब्यौरे भी रखती है। इस प्रणाली अधिकारियों को महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनाने की सुविधा मुहैया कराती है ।

- ऑनलाइन आरटीआई-एमआईएस- आरटीआई आवेदनों को कुशलता से निपटाने और उनकी निगरानी करने के लिए विभाग ने ऑनलाइनआरटीआई-एमआईएस का प्रयोग करने की पहल की है। आरटीआई-एमआईएस का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया था।

- कॉम्प डीडीओ-अधिकारियों के वेतन को प्रोसेस करने के लिए कार्यान्वित किए गए कॉम्प डीडीओ पैकेज का अतिरिक्त विशेषताओं वाले 4.0 वर्जन में उन्नयन किया गया था। इससे ई-भुगतान के माध्यम से वेतन वितरण सक्षम हो गया है।

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस)-केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस) को ऑनलाइन प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों का अविलंब समाधान करने के लिए इसे विभाग तथा इसके सभीसंबद्ध कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है।

- निविदाओं का ई-प्रकाशन-केन्द्रीय सार्वजनिक अधिप्रापण पोर्टल पर निविदाएं अपलोड करके निविदाओं के ई-प्रकाशन को कार्यान्वित किया जाता है। इससे निविदाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

- अन्य ई-अभिशासन एप्लीकेशन्स जैसे आरटीआई अनुरोध एवं अपील प्रबंधन सूचना प्रणाली और परिणाम फ्रेमवर्क प्रबंधन प्रणाली, विभिन्न अनुभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग में कार्यसंचालित किया गया है।

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और अधिक पहलें की गई हैं जो निम्नानुसार हैं :

- पी एस ई कार्यनिष्पादन मानीटरिंग प्रणाली - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग विभाग द्वारा की जानी होती है और इस प्रयोजनार्थ, एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है ताकि मानीटरिंग सुनिश्चित की जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शीर्ष स्तर के अधिकारियों को सुगमता प्रदान की जा सके।

- भंडार माल सूची प्रणाली - भंडार मालसूची प्रणाली को विभाग में कार्यान्वयन हेतु परिवर्तित किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को ऑनलाइन मदों को जारी करने और भंडार एवं मालसूची का रिकार्ड रखने का कार्य सुगम होगा।

प्रशिक्षण:

प्रयोक्ता को आधुनिकतम आईटी प्रौद्योगिकीयों के प्रयोग के बारे में सही ढंग से जागरूक करने के लिए एनआईसी कम्प्यूटर सैल संचालनात्मक जानकारी के लिए प्रयोक्ता प्रशिक्षण आयोजित करता है।डिजिटलभारतकार्यक्रमकेअन्तर्गत, उपर्युक्त एप्लीकेशनों को क्रियान्वित किया गया था और यथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। विभाग के सभी अधिकारियों/स्टाफ (जिनमें संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी शामिल हैं) को ई-आफिस पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों (बाहरी स्रोतों से लिए गए कर्मचारियों सहित) को आधार इन्बल्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के कार्यसंचालन के बारे में अवगत कराया जा रहा है। संबंधित अनुभागों को ई-समीक्षा,सीपीजीआरएएम,कोम्पडीडीओ, ई-प्रकाशन, न्यायिक मामला मानिटरिंग प्रणाली पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सभी उच्च अधिकारियों को स्पैरों सोफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

जारी किए गए निर्देशानुसार, ई-ऑफिस को इस विभाग में पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। विभाग के आउटसोर्स किए गए स्टाफ सहित सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। राज्य मंत्री के कार्यालय के स्तर तक विभाग के सभी कर्मचारियों को डिजिटल सिग्नेचर प्रदान किए गए हैं। ई-ऑफिस 01 नवम्बर, 2016 से कार्यात्मक है। ई-ऑफिस के 100 प्रतिशत कार्यान्वयन का लक्ष्य 31.03.2017 रखा गया है। आज की स्थिति की अनुसार, 90% से अधिक कार्य का निपटान ई-ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है।

12

अध्याय

अनुलग्नक

अनुलग्नक - I (क) (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं अन्य संगठनों की सूची)
अनुलग्नक - I (ख) (विभिन्न संगठनों और पीएसयू के नाम एवं पते)
अनुलग्नक - I (ग) (उत्तरदायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची)
अनुलग्नक - II (एनपीपीए का संगठनात्मक ढांचा)

अध्याय - 12

अनुलग्नक - 1 (क)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों की सूची

1. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, डुंडाहेड़ा, इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, डुंडाहेड़ा, गुडगांव, हरियाणा
2. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्सस लिमिटेड, पिम्परी,पुणे, महाराष्ट्र
3. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड,बंगलौर-560010
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
5. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, रोड संख्या 12, वीकेआई एरिया, जयपुर-302013

अन्य संगठन

1. बंगाल इम्म्युनिटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
2. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड,कोलकाता, पश्चिम बंगाल

अनुबंध - 1 (ख)

औषध विभाग के अधीनविभिन्न संगठनों और पीएसयूज के अध्यक्षों के नाम और पते

क्र.सं.	संगठन और उनका पता	नाम	पदनाम
1	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल),गुडगांव	श्री सुधांश पंत	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
2	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्सस लिमिटेड (एचएएल), पुणे - 411010.	सुश्री निरजा सर्राफ	प्रबंध निदेशक
3	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) बंगलौर- 560010	श्री के.एम.प्रसाद	प्रबंध निदेशक
4	बंगाल केमिकल्सएंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल),कोलकाता-700013	श्री पी.एम. चन्द्रैया	प्रबंध निदेशक
5	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) रोड़ नं. 12 वी.के.आई. एरिया, जयपुर-302013	श्री एस बी भद्रानावर	प्रबंध निदेशक

अनुबंध - 1 (ग)
दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

क्रम सं.	दायित्व केन्द्र और अधीनस्थ संगठन	पता
1.	डा. पी.जे.पी. सिंह (पंजीयक) कार्यवाहक निदेशक अभी नियुक्त किया जाना है।	एसएएस नगर नाईपर मोहाली, पंजाब-160062
2.	डा. किरन कालिया, (निदेशक)	पलाज, एयर फोर्स स्टेशन मुख्यालय के सामने, गांधी नगर, गुजरात-382355
3.	डा. एस. चन्द्रशेखर (परियोजना निदेशक)	नाईपर, हैदराबाद, आईडीपीएल टाउनशिप,बालांगर, हैदराबाद-500007
4.	डा. प्रदीप दास, (परियोजना निदेशक)	ईपीआईपी कैम्पस, इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर-844102, बिहार
5.	डा. वी. रविचंद्रन (निदेशक)	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ केमिकल बॉयोलोजी (सीएसआईआर के तहत आईआईसीबी), नाईपर कोलकाता का मेंटर संस्थान, 4, राजा एस.सी.मलिक रोड, जादवपुर, कोलकाता-700032 (प. बंगाल)
6.	डा. यू.एस.एन. मूर्ति (निदेशक)	नाईपर गुवाहाटी, तृतीय तल, फार्माकोलोजी विभाग, गुवाहाटी मेडिकल कालेज एंड हास्पीटल (गुवाहाटी) 781032, असम
7.	डा. एस.जे.एस. फ्लोरा (निदेशक)	नाईपर रायबरेली, श्री भवानी पेपर मिल रोड, आईटीआई कम्पाउंड, रायबरेली, उत्तर प्रदेश (भारत)-229010

अनुबंध - 2

एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

चेयरमैन एनपीपीए

सदस्य सचिव — **परामर्शदाता**

प्रशासन प्रभाग	मानीटरिंग एवं प्रवर्तन प्रभाग-III	अधिप्रभार-I	मूल्य निर्धारण	अधिप्रभार-II	विधिक
1.स्थापना मामले 2.सामान्य प्रशासन 3.रोकड/बजट 4.समन्वय 5.आर एंड आई अनुभाग 6.सतर्कता 7.संसद समितियों से संबंधित कार्य 8.संसद प्रश्नों / उत्तर /मामलों का समेकन / संकलन 9.आईएसओ आडिट 10.कहीं भी सूचीबद्ध न किया गया कोई अन्य विषय 11.सभी एमपी/वीआईपी संदर्भ और उनका समन्वय 12. एनपीपीए की वेबसाइट को अद्यतन करना	1.एनपीपीए द्वारा निर्धारित एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों का प्रवर्तन और कार्यान्वयन 2. आईएमएस की मासिक रिपोर्टों के आधार पर गैर- एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की मानीटरिंग और उन पर कार्रवाई करना यदि मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक पाए जाते हैं 3. एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों को कार्यान्वित न किए जाने के संबंध में प्राप्त एसडीसी रिपोर्टों और अन्य डीपीसीओ से संबंधित मामलों पर कार्रवाई 4.अलग-अलग व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों से मूल्य निर्धारण / एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विपणन करने अथवा 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतें 5.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए अधिप्रभार प्रभाग को रिपोर्ट भेजना 6.एनएलईएम फार्मूलेशनों के संबंध में मूल्य निर्धारित करने,यदि मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है के लिए मूल्य निर्धारण प्रभाग को रिपोर्ट भेजना 7.डीपीसीओ प्रावधानों के प्रवर्तन से संबंधित मामले में राज्य औषध नियंत्रकों के साथ अंत:क्रिया/पत्राचार 8.एनएलईएम और गैर- एनएलईएम फार्मूलेशनों का भंडारण और उपलब्धता 9. नए डीपीसीओ से संबंधित नीतिगत मामले 10.आईएमएस डाटा के आधार पर मासिक रिपोर्ट तैयार करना 11. मूल्य सूची एकत्रण और जांच 12.आईएमएस डाटा का भंडारण और परिरक्षण तथा एनपीपीए के संबंधित प्रभागों को इनपुट प्रदान करना 13.बल्क औषधियों से संबंधित पुराने मामले 14.बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों का उत्पादन और आयात डाटा 15.संबंधित संसद प्रश्न / मामले 16.आरटीआई कार्य 17.आरएफडी से संबंधित कार्य	1.डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत 1.1.2008 के बाद के सभी अधिप्रभार के मामले/ फाइलें तथा संबंधित कार्य 2.कंपनियों को अधिप्रभार के लिए नोटिस जारी करना और बाद में उसका अनुवर्तन 3.कारण बताओ नोटिस जारी करना, अधिप्रभारित रकम का हिसाब लगाना और अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए मांग करना। 4.डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभारित रकम की वसूली 5.जब कभी आवश्यक हो व्यक्तिगत सुनवाई करना और सकारण आदेश पारित करना 6.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 7.न्यायालय मामलों के लिए विधिक प्रभाग को इनपुट प्रदान करना 8.संबंधित संसद प्रश्न/मामले	1.एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन 2.डीपीसीओ,2013 में दिए गए मूल्य निर्धारण फार्मूले से संबंधित कारक/मानदंड तैयार करना और समय-समय पर इसका संशोधन 3.एनएलईएम फार्मूलेशनों जिनका आईएमएस डाटा उपलब्ध नहीं है के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए बाजार आधारित डाटा एकत्र करना 4.हर वर्ष पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद डब्लूपीआई पर आधारित एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्य का वार्षिक संशोधन 5.जब कभी एनएलईएम फार्मूलेशनो के बारे में बाजार संरचना में कोई परिवर्तन हो तो मूल्यों का वार्षिक संशोधन 6.जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, गैर-एनएलईएम फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण / संशोधन 7.राजपत्र में मूल्यों की अधिसूचना और एनएलईएम फार्मूलेशनों का मूल्य से संबंधित डाटा रखना 8.प्रत्येक एनएलईएम फार्मूलेशन के लिए बाजार संरचना/एनएलईएम विनिर्माताओं की संख्या के बारे में वार्षिक कार्य 9.प्राधिकरण की बैठकों-कार्यसूची/कार्यवृत से संबंधित समन्वय कार्य 10.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 और 1987 के अधीन 31.12.2004 तक की अवधि के लिए सभी अधिप्रभार के मामले/फाइलें तथा उससे संबंधित कार्य 11.संबंधित संसद प्रश्न/मामले	1.डीपीसीओ, 1995 और डीपीसीओ 2013 के अंतर्गत 2005 से 2007 तक की अवधि के अधिप्रभार के मामले/ फाइलें तथा उससे संबंधित कार्य 2.कंपनियों को अधिप्रभार के लिए नोटिस जारी करना और बाद में उसका अनुवर्तन 3.कारण बताओ नोटिस जारी करना, अधिप्रभारित रकम का हिसाब लगाना और अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए मांग करना। 4.डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभारित रकम की वसूली 5.जब कभी आवश्यक हो व्यक्तिगत सुनवाई करना और सकारण आदेश पारित करना 6.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 7.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 और 2013 के अंतर्गत अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 8.न्यायालय मामलों के लिए विधिक प्रभाग को इनपुट प्रदान करना 9.एनपीपीए की सभी योजना स्कीमें 10.संबंधित संसद प्रश्न/मामले	1.डीपीसीओ,1987और 1995 के अधीन न्यायालय के मामले 2.डीपीसीओ,2013 के अधीन न्यायालय के मामले 3.डीपीसीओ के विभिन्न प्रावधानों के निर्वचन और अनुप्रयोग के संबंध में एनपीपीए के अन्य प्रभागों को सलाह देना 4.स्थापना मामलों / एनपीपीए के कार्य करने के स्थान (अकमोडेशन) से संबंधित विधिक मामले 5.एनपीपीए के कार्यकरण से संबंधित दिशा-निर्देश/ क्रियाविधियां आदि 6.डीपीसीओ के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाना 7.संबंधित संसद प्रश्न/मामले